

नवंबर २०१७ मासिक करेंट अफेयर्स संग्रह

प्रीलिम्स फैक्ट्स

प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा की खोज

- हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्राचीन 'सर्पिल आकाशगंगा' (spiral galaxy) की खोज की गई है। यह 11 बिलियन वर्ष पुरानी है और इसकी सहायता से आरंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं।
- इस आकाशगंगा को A1689B11 नाम से जाना जाता है। इसका उद्भव बिग बैंग के 2.6 बिलियन वर्षों बाद हुआ था।
- शोधकर्ताओं ने 'जैमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप' पर एक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग किया, जो 'गुरुत्वीय लेंसिंग' (gravitational lensing) को 'नियर इन्फ्रारेड इंटीग्रल फील्ड स्पेक्टोग्राफ' (Near-infrared Integral Field Spectrograph- NIFS) से जोड़ती है। इस प्रकार आकाशगंगा की पुरानी और सर्पिल प्रवृत्ति को प्रमाणित किया जा गया।
- गुरुत्वीय लेंस प्रकृति के सबसे बड़े टेलीस्कोप हैं, जिनका निर्माण हज़ारों आकाशगंगाओं और डार्क मैटर युक्त विशाल क्लस्टरों से हुआ है।
- ये क्लस्टर मुड़ते हैं और आकाशगंगाओं के पीछे उनके प्रकाश में (प्रकृति अपरिवर्तनीय) सामान्य लेंसों की तुलना में अधिक वृद्धि कर देते हैं।
- आरंभिक ब्रह्मांड में सर्पिल आकाशगंगाएँ प्राप्त होना दुर्लभ है। आज यह आकाशगंगा समान द्रव्यमान की अन्य आकाशगंगाओं की तुलना में 20
 ग्ना अधिक तेज़ी से तारों का निर्माण कर रही है।
- दरअसल, इस युग की अन्य गैलेक्सियों की तुलना में A1689B11 अत्यधिक ठंडी और पतली डिस्क के समान है, जो कि आंशिक अवरोध के
 साथ शांतिपूर्वक घूर्णन कर रही है। इस प्रकार की सर्पिल आकाशगंगा को ब्रह्मांड की आरंभिक अवस्था में भी पहले कभी नहीं देखा गया था।

नासा द्वारा कॉमेट 96P का अवलोकन

- हाल ही में नासा और यूरोपियन अंतिरक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों द्वारा 'सौर और हेलिओस्फेरिक वेधशाला' (Solar and Heliospheric Observatory -SOHO) का उपयोग कर 'कॉमेट 96P' (Comet 96P) की वापसी का अवलोकन किया गया है। इस प्रकार यह अंतिरक्ष यान का अक्सर दिखने वाला 'आगंतुक ध्मकेतु' (cometary visitor) बन गया है।
- इस धूमकेतु ने 25 अक्टूबर को 'सोहो' के निचले दाहिने किनारे में प्रवेश किया और 30 अक्टूबर को इसे छोड़ने से पहले धूमकेतु ने इसके चारों ओर चक्कर लगाए। सोहो द्वारा इससे पहले भी वर्ष 1996, 2002, 2007 और 2012 में इसका अवलोकन किया था।
- इसी दौरान कॉमेट 96P नासा के दूसरे मिशन STEREO (short for Solar and Terrestrial Relations Observatory) से भी गुजरते हुए देखा गया। दरअसल, धूमकेतुओं के लिये यह आसान नहीं है कि वे अंतरिक्ष में दो विभिन्न स्थानों से एक –एक करके गुजरें। अतः ये कॉमेट 96P के अब तक के सर्वाधिक व्यापक और समांतर अवलोकन हैं।
- ये संयुक्त अवलोकन धूमकेतु के संगठन और सौर पवनों (सूर्य से होने वाला आवेशित कणों का निरंतर प्रवाह) के साथ इसकी पारस्परिक क्रिया के विषय में जानकारी देंगे।





- इन दोनों वेधशालाओं ने धूमकेतु के ध्रुवीकरण संबंधी आँकड़ों को एकत्रित किया। ये सूर्य के प्रकाश की माप थी, जिसमें प्रकाश की सभी तरंगें (धूमकेतु की पुच्छ के कण) एक माध्यम से गुजरने के पश्चात् एक ही दिशा में उन्मुख हो गई थी। ध्रुवीकरण के आँकड़ों का एक साथ अध्ययन करने पर वैज्ञानिक उन कणों के विषय में जानकारी हासिल कर सकते थे, जो कि प्रकाश से निकलते हैं।
- िकसी धूमकेतु की आकृति का पता लगाने का ध्रुवीकरण सबसे अच्छा मार्ग है और समान समय में अनेक मापें प्राप्त करना पुच्छ के कणों के संगठन और द्रव्यमान के वितरण के विषय में उपयोगी जानकारी दे सकते थे।
- कॉमेट 96P को कॉमेट मैकहोल्ज़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी खोज वर्ष 1948 में डैन मैकहोल्ज़ ने की थी।
- यह प्रत्येक 5.24 वर्षों में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। इसकी सूर्य से सबसे निकटतम दूरी 17 मिलियन किलोमीटर की है (जोिक एक धूमकेतु के लिये सूर्य से सबसे नजदीकी दूरी है)।
- जब वर्ष 2012 में कॉमेट 96P को 'सोहो' में देखा गया था तो खगोलिवदों ने धूमकेतु से कुछ दूरी पर उसके छोटे टुकड़ों का भी अध्ययन किया था, जिसका अर्थ यह था कि धूमकेतु में सिक्रयता से परिवर्तन हो रहा था।
- परंतु इस समय वैज्ञानिकों ने एक तीसरे टुकड़े का भी अवलोकन किया, जिससे यह माना गया कि इस धूमकेतु का अभी भी विकास हो रहा है।
- वैज्ञानिकों ने कॉमेट 96P के अध्ययन को अत्यधिक रुचिकर बताया है, क्योंकि इसका संगठन असामान्य है और यह एक बड़े और विविधतापूर्ण परिवार का पितृ धूमकेतु (parent) है। तात्पर्य यह है कि लाखों वर्ष पूर्व एक ही कक्षा को साझा करने वाला तथा एक ही पितृ धूमकेतु से उत्पन्न होने वाला धूमकेतुओं का समूह छोटे टुकड़ों में टूट गया था।

चीन द्वारा तिब्बत में विश्व के सबसे ऊँचे 'प्लैनेटेरियम' का निर्माण

- हाल ही में चीन ने यह घोषणा की है कि वह अगले वर्ष तिब्बत में विश्व के सबसे ऊँचे नक्षत्र भवन (planetarium) का निर्माण करेगा।
- यह प्लैनेटेरियम (जो कि चीन का पहला नक्षत्र-भवन होगा) में 1 मीटर व्यास वाले लेंसों युक्त इस क्षेत्र के सबसे बड़े प्रकाशीय खगोलीय टेलीस्कोप को लगाया जाएगा तथा इसके बाद यह खगोलीय शोध और सार्वजनिक विज्ञान शिक्षा के लिये एक बड़ा क्षेत्रीय आधार बन जाएगा।
- इस टेलीस्कोप का विकास प्लैनेटेरियम और राष्ट्रीय खगोलीय अवलोकन द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग विभिन्न तारों के लिये किया जाएगा।
- इस टेलीस्कोप को प्लैनेटेरियम में लगाने पर यह प्लैनेटेरियम को व्यापारिक खगोलीय शोध करने में सहायता करेगा।
- इस प्लैनेटेरियम की ऊँचाई विश्व में सर्वाधिक होगी। यह लोगों को ब्रह्मांड के तारों के विस्तार के बारे में अवगत कराएगा। इस क्षेत्र में हल्का सा वायु और प्रकाश प्रदृषण भी है।
- इसे वर्ष 2019 में पूरा कर लेने की योजना बनाई गई है। यह प्लैनेटेरियम तिब्बत की प्रांतीय राजधानी ल्हासा में तिब्बत म्यूज़ियम ऑफ़ नेचुरल साइंस के अंदर बनाया जाएगा।
- इसे भी 'विश्व की छत का नाम' दिया जा रहा है, क्योंकि यह समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊँचाई पर है। तिब्बत में खगोलीय अन्वेषणों के लिये आवश्यक स्वच्छ आकाश जैसी दशाएँ विद्यमान हैं।

भारत युवा विकास सूचकांक एवं रिपोर्ट, 2017

हाल ही में तमिलनाडु के श्रीपेरुंबुदूर (Sriperumbudur) में स्थित राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान का दर्ज़ा प्राप्त राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान द्वारा युवा विकास सूचकांक एवं रिपोर्ट (India Youth Development Index and Report), 2017 जारी की गई। इस पहल की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी।





उद्देश्य

इसका उद्देश्य राज्यों में युवाओं के विकास की स्थिति पर करीबी नज़र रखना है।

- इस सूचकांक के ज़िरये लचर और बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की पहचान की जाएगी।
- राज्यों में युवाओं के विकास को प्रभावित करने वाले पहल्ओं को चिन्हित किया जाएगा।
- साथ ही जिन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके विषय में नीति निर्माताओं को जानकारी दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- सूचकांक को तैयार करते समय राष्ट्रीय युवा नीति 2014 (भारत) के अनुसार युवा की परिभाषा एवं कॉमनवेल्थ की विश्व युवा विकास रिपोर्ट (15-29 वर्ष) के साथ-साथ वैश्विक तुलना हेतु कॉमनवेल्थ सूचकांकों का भी प्रयोग किया गया है।
- वैश्विक युवा विकास सूचकांक भारत के लिये निर्मित युवा विकास सूचकांक (YDI) से अलग है। भारतीय YDI भारतीय समाज में विद्यमान संरचनात्मक असमानताओं के संबंध में सामाजिक प्रगति की समग्रता का आकलन करने के लिये एक नया डोमेन सामाजिक समावेश को संबद्ध करता है। यह नया प्रयास उन अंतरों की पहचान करने में मदद करता है, जिनके संदर्भ में तीव्रता से नीतिगत हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है।

भारत की प्रथम 'एयर डिस्पेंसरी'

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत की प्रथम 'एयर डिस्पेंसरी' (जो कि एक हेलीकॉप्टर में अवस्थित होगी) को स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (Union Ministry of Development of Northeast - DONER) द्वारा इस पहल को शुरू करने के लिये आरंभिक वित्त पोषण के एक हिस्से के रूप में 25 करोड़ रुपये का योगदान किया गया है।

- यह सेवा ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाएगी, जहाँ न तो कोई भी डॉक्टर या चिकित्सा सुविधा सुलभ होती है और न ही ज़रूरतमंद मरीजों को समय पर किसी भी तरह की चिकित्सा सेवा ही प्राप्त हो पाती है।
- इस परियोजना को वर्ष 2018 के आरंभ में शुरू करने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की पहल पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में शुरू की जा रही इस पहल को भविष्य में अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी अपनाया जा सकता है।
- आरंभ में इस योजना के तहत हेलीकॉप्टर को दो स्थलों मणिपुर के इम्फाल और मेघालय के शिलांग में अवस्थित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि इन दोनों ही शहरों में प्रमुख स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान उपस्थित हैं, जहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर आवश्यक उपकरणों एवं सहायक कर्मचारियों के साथ हेलीकॉप्टर के ज़रिये पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठों राज्यों के विभिन्न स्थानों पर पहुँच कर डिस्पेंसरी/ओपीडी सेवा मुहैया करा सकते हैं।
- इतना ही नहीं, वापसी के दौरान उसी हेलीकॉप्टर से ज़रूरतमंद मरीज़ को शहर में लाकर संबंधित अस्पताल में भर्ती भी कराया जा सकता है।
- आरंभ में इम्फाल, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के आसपास अवस्थित क्षेत्र में छह मार्गों पर दोहरे इंजन वाले तीन हेलीकॉप्टरों का पिरचालन सुनिश्चित
 किया जाएगा।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण

हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey - NAS) न केवल भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण है, बल्कि यह विश्व के सबसे बड़े मूल्यांकन सर्वेक्षण में से भी एक है। इस सर्वेक्षण को सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कक्षा 3, 5 और 8 के लिये आयोजित किया गया था।





- इस सर्वेक्षण के अंतर्गत देश के सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 700 जिलों में 25 लाख से अधिक छात्रों के सीखने के स्तर का मूल्यांकन किया गया।
- सर्वेक्षण की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये एक निगरानी दल का गठन किया गया, जिसमें राज्य सरकारों के अंतर-मंत्री विभागों, शिक्षा विभागों के राष्ट्रीय और राज्य पर्यवेक्षकों तथा बहु-पार्श्व संगठनों के पर्यवेक्षक शामिल थे। इस निगरानी दल द्वारा मूल्यांकन के दिन सभी ज़िलों में किये गए सर्वेक्षण के कार्यान्वयन की निगरानी की गई।
- विशेष रूप से इसी के लिये निर्मित एक सॉफ्टवेर के आधार पर ज़िलेवार अध्यापन रिपोर्ट कार्ड तैयार किये जाएंगे। इसके बाद, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट (इसके अंतर्गत शामिल विश्लेषण में अलग-अलग एवं विस्तृत रूप से सीखने के स्तर को प्रतिबिंबित किया जाएगा) तैयार की जाएगी।
- इस सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष शिक्षा प्रणाली की दक्षता को समझने में भी मददगार साबित होगा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परिणाम बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार लाने तथा उनमें गुणात्मक सुधार करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य, जिला और कक्षा स्तरों पर शिक्षा नीति के संबंध में योजना बनाने एवं उनका कार्यान्वयन करने आदि में मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

'पैसिफिक शैडो जोन'

- शैडो ज़ोन (shadow zone) उस क्षेत्र को कहा जाता है, जहाँ अस्पष्ट स्थलाकृति और 2.5 किलोमीटर से अधिक गहराई पर भू-तापीय ऊष्मा के कारण ऊपर उठती धाराओं के मध्य जल स्थिर बना हुआ है और छिछली पवन संचालित धाराएँ (shallower wind-driven currents) उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में पानी के समीप आ जाती हैं।
- यह उत्तरी प्रशांत में सबसे प्राचीन जल है और यह 1,000 से भी अधिक वर्षों से समुद्र तल से 2 किलोमीटर नीचे एक 'शैडो ज़ोन' के रूप में विद्यमान है।
- यह जल सतह के नीचे 2.5 किलोमीटर से अधिक गहराई तक नहीं बढ़ सकता।
- दरअसल, हिंद व प्रशांत महासागरों से लगभग 2 किलोमीटर गहराई में एक शैडो ज़ोन है, जहाँ मुश्किल से ही कोई लंबवत् गति (vertical movement) होती है, जिस कारण इस महासागर का जल कई शताब्दियों से एक ही स्थान पर स्थिर बना हुआ है।

'नई जीन थेरैपी'

- हाल ही में विकसित की गई 'नई जीन थेरैपी' (new gene therapy) उन लोगों की दृष्टि को बचाने में सक्षम होगी जो आनुवंशिक रेटिना रोग के कारण अंधेपन के शिकार हैं।
- इसे 'लेबेर जन्मजात अंधता' (Leber congenital amaurosis -LCA) कहा जाता है, के कारण पूर्ण अंधापन आ जाता है। इस रोग की श्रुआत बचपन में ही हो जाती है तथा यह धीरे-धीरे बढ़ता जाता है।
- इस प्रकार की यह पहली थैरेपी है।
- वर्तमान में आनुवंशिक रेटिना रोगों (inherited retinal diseases) के लिये कोई उपचार उपलब्ध नहीं है।
- इस थेरैपी से अंधेपन के लिये जिम्मेदार 225 'आनुवंशिक उत्परिवर्तनों' (genetic mutations) का उपचार किया जा सकेगा। इससे 'रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा' (retinitis pigmentosa) का भी उपचार किया जा सकता है। यह भी एक अन्य आनुवंशिक रेटिना रोग है, जो दोषपूर्ण जीनों के कारण होता है।
- भविष्य में यह जीन थैरैपी आयु संबंधी 'मैकुलर डिजेनरेशन' (macular degeneration) जैसे सामान्य रोगों में भी अंधेपन को दूर करने के लिये संभावित प्रमुख प्रोटीन भी उपलब्ध कराएगी।
- एलसीए दुर्लभ है जो 80,000 व्यक्तियों में से लगभग एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। यह एक अथवा 19 अलग-अलग जीनों के कारण हो सकता है।
- इस जीन थेरैपी को 'वोरेतीजेन नेपर्वोवेक-लक्सटर्ना' (voretigene neparvovec -Luxturna) नाम दिया गया है।





पश्चिमी घाट के 'आँख रहित' मेंढक

- पश्चिमी घाट में विकृति युक्त कई मेंढक पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन मेंढकों में मौजूद विकृति का कारण पर्यावरण व उनकी आहार श्रृंखला में घुले विषाक्त पदार्थ (कीटनाशक) हैं।
- लुप्त आँखें, विकृत पिछले पैर, लुप्त अंग, आंशिक अंग, मुझे हुए अंग, असामान्य रूप से पतले और कमज़ोर अंग पश्चिमी घाट के मेंढकों की असामान्य विकृतियों की द्योतक हैं।
- चूँकि मेंढक अपने आवास में परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं अतः कीटनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग करने से मेंढकों में विकृतियाँ आ जाती हैं।
- धान के खेतों में रहने वाले मेंढकों में कई विकृतियाँ पाई गई हैं। सभी उभयचर धान के खेत के छिछले जल में प्रजनन नहीं करते हैं। कीटनाशकों से पड़ने वाला प्रभाव मेंढकों के प्रजनन काल पर भी निर्भर करता है।
- मेंढकों के लार्वा और वयस्क आबादी के विनाश में कीटनाशक एक बड़े कारक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- कीटनाशक मुख्यतः मेंढकों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये रसायन स्वतः ही मृदा में पहुँच जाते हैं और इसके माध्यम से जल प्रणाली
 में चले जाते हैं, जहाँ मेंढकों के लार्वा (टैडपोल) विकसित होते हैं।

स्वास्थ्य साक्षरता

- स्वास्थ्य साक्षरता से तात्पर्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और मेडिकल सेवाओं के संबंध में सूचना प्राप्त करने तथा उसे समझने की क्षमता है, तािक व्यक्ति
 अपने स्वास्थ्य के संबंध में उचित निर्णय ले सके।
- इस आवश्यक शिक्षा के अभाव में कई लोगों के लिये उनके स्वास्थ्य में सुधार को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों को सीखना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है।
- स्वास्थ्य साक्षरता के लिये आधारभूत भाषायी दक्षता और पोषण तथा हृदय स्वास्थ्य जैसे विषयों का ज्ञान होना चाहिये। यदि आप चिकित्सक की बातों को समझने में सक्षम नहीं होते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, जबिक वह आपके स्वास्थ्य के लिये आवश्यक होती है।
- स्वास्थ्य साक्षरता में कमी के कारण कई अस्पतालों में बड़ी तादाद में रोगी दिखाई देते हैं जबिक वहाँ पर्याप्त सेवाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं। इसका कारण यह है कि उचित ज्ञान के अभाव में वे ये भी नहीं जानते कि उन्हें कहाँ उपयोगी सेवाएँ प्राप्त हो सकेंगी।

'सीक्रेट एजेंट' के रूप में लघु रोबोट

- हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसे नए लघु रोबोट को विकसित किया गया है, जो मछिलयों के साथ तैर सकता है, उनके वार्तालाप करने के
 तरीके को सीख सकता है और उन्हें उनकी दिशा बदलने अथवा साथ मिलकर चलने में सहायता कर सकता है।
- यह पूर्णतया ज़ेबरा फिश (zebra fish) के समान है। चूँकि यह छोटी मछिलयों के क्षेत्र में घुसपैठ कर सकता है। अतः वैज्ञानिकों द्वारा इसे गुप्त
 एजेंट (secret agent) की संज्ञा दी गई है।
- इसकी लंबाई सात सेंटीमीटर है।
- इसमें चुंबक लगे हैं, जो इसे एक्वेरियम के अंदर बने एक छोटे से इंजन से जोड़ते हैं जिससे यह पानी में आसानी से तैर सकता है।





प्रोजेक्ट सक्षम

- लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं, खराब सेवाओं और इसके कर्मचारियों की अकुशलता के कारण भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों की गुणवत्ता
 और उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट सक्षम' चलाने की योजना बनाई है।
- प्रोजेक्ट सक्षम के अंतर्गत अगले एक वर्ष में रेलवे के प्रत्येक जोन के सभी कर्मचारियों को उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित कौशल और ज्ञान देने के लिये एक हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- यह प्रशिक्षण पाँच दिन तक कार्यस्थलों अथवा रेलवे प्रशिक्षण केंद्रों के प्रशिक्षण कक्षों में दिया जाएगा, जो कि कर्मचारियों के कार्य के स्वरूप पर निर्भर करेगा।

'ग्राहक सड़क कोयला वितरण' एप

- हाल ही में रेलवे और कोयला मंत्रालय द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के ग्राहकों को सड़क के माध्यम से कोयला वितरण का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से 'ग्राहक सड़क कोयला वितरण' एप को लॉन्च किया गया है।
- यह ग्राहक मैत्री एप प्रेषण संचालन (despatch operations) में पारदर्शिता बनाए रखने तथा इसकी जाँच करने में मदद करेगा कि सभी कार्य 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट' के सिद्धांत पर किये गए हैं अथवा नहीं। इसमें बिक्री आदेश जारी होने से लेकर सड़क के माध्यम से कोयले के वितरण तक की सभी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी।
- यह ध्यान देने योग्य है कि सीआईएल पावर स्टेशनों तक अधिकाधिक कोयला पहुँचाना चाहती है। अब कम दूरी पर स्थित संयंत्रों को सड़क के माध्यम से कोयला आपूर्ति की पेशकश की जाएगी। इस प्रकार कोयला खदानों से 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित ऊर्जा संयंत्र अपने नजदीकी खदान से अपनी क्षमतानुसार कोयला प्राप्त कर सकते हैं।

भारत का पहला हथियार संग्रहालय

- हाल ही में चांदीपुर (ओड़िशा) स्थित 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' के 'प्रूफ और एक्सपेरिमेंटल प्रतिष्ठान' में बनाए गए देश के पहले 'हथियार संग्रहालय' (weapon museaum) का उद्घाटन किया गया है।
- शुरुआत में भारतीय वायु सेना और नौसेना द्वारा उपयोग िकये गए 14 प्रकार के हथियारों को इस संग्रहालय में रखा गया है। संग्रहालय में विजयंता
 टैंक आकर्षण का विषय बना हुआ है। इस टैंक ने वर्ष 1971 के भारत-पािकस्तान युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाई थी।
- इसके अतिरिक्त इसमें WM-18 रॉकेट लॉन्चर, 105 mm इंडियन फील्ड गन, 122 mm BM-21 रॉकेट लॉन्चर, 57 mm एंटी-टैंक गन और 40 mm लाइट गन (light gun) रखी गई हैं।
- संग्रहालय के निर्माण के पीछे उद्देश्य यह है कि देश की युवा पीढ़ी और आम जनता को सशस्त्र बलों द्वारा देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का संरक्षण हेत् प्रयोग किये गए हथियारों के विषय में जागरूक किया जा सके।

जल में सौर ऊर्जा उत्पादन

- जापान में पर्याप्त संख्या में बांध और जलाशय हैं। अतः यहाँ जल की सतह पर सौर ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये कंपनियों द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। हाल ही में जापान के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है।
- जापान के 'यामाकुरा बांध' (Yamakura Dam -जो चिबा प्रांत में औद्योगिक जल आपूर्ति का उपयोग कर रहा है) के जलाशय की सतह पर क्योसेरा (Kyocera's) के सोलर पैनलों का उपयोग करके एक सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है।





- इस बांध के जलाशय का सतही क्षेत्रफल लगभग 60 हेक्टेयर है। इसके 30% क्षेत्रफल में सौर पैनलों का उपयोग करके एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। इस ऊर्जा संयंत्र से 13.7 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी। यह जल की सतह पर बनाया गया जापान का सबसे बड़ा सौर पैनल ऊर्जा संयंत्र है।
- इस ऊर्जा संयंत्र के निर्माण और संचालन के लिये क्योसेरा (Kyocera) को चुना गया था क्योंकि यह इससे पहले भी जल की सतह पर विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर चुका है।
- बांध के जलाशय के जल का उपयोग करके यह सौर द्वीप (solar island) सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के साथ ही जल की गुणवत्ता में सुधार करने का भी कार्य करेगा।

भारत में 'डिजास्टर मैप्स' की शुरुआत

- हाल ही में सोशल मीडिया फर्म फेसबुक ने किसी भी प्राकृतिक आपदा के घटित होने पर महत्त्वपूर्ण आँकड़ों को साझा करने के उद्देश्य से भारत के 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) और एक गैर-लाभकारी निकाय 'सीड्स' (SEEDS) के साथ सहयोग कर लिया है।
- यह किसी आपदा के घटित होने से पूर्व अथवा उसके बाद आपदा प्रभावित क्षेत्र में मौजूद फेसबुक उपयोगकर्ताओं की स्थिति जैसे पहलुओं का वर्णन करने के लिये आपदा के आँकड़ों से संबंधित मानचित्र (disaster maps data) उपलब्ध कराएगा।
- फेसबुक से एकत्रित किये गए आँकड़ों को संगठन की मदद के लिये साझा किया जाएगा तथा इससे संगठन को प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने तथा सूचनाओं के मिलने के बीच के समयांतराल को कम करने में सहायता मिलेगी।
- वर्तमान में आपदा उपरांत राहत प्रयासों के तहत फेसबुक अनेक प्रकार के मानचित्र उपलब्ध करा रहा है। इससे भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के उपरांत राहत प्रयासों में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

भारत में लॉन्च हुआ 'क्लाउड बेस्ड' प्लेटफार्म

- हाल ही में वैश्विक व्यावसायिक सेवा संगठन 'अर्न्स्ट एंड यंग' (Ernst & Young) ने आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण में उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत में एक 'क्लाउड-बेस्ड प्लेटफॉर्म' (cloud-based platform) लॉन्च किया है।
- यह ईवाई कैटेलिस्ट (EY Catalyst) प्लेटफॉर्म व्यवसायों को सतत् परिचालन उत्कृष्टता परिणाम प्राप्त करने तथा उन्हें विनिर्माण गतिविधियों में सुधार करने में भी सहायता कर सकता है।
- 'ईवाई कैटेलिस्ट' व्यवसायों को 24 घंटे एक व्यापक आईपी डेटाबेस तक पहुँच बनाने की अनुमित प्रदान करता है। इस डेटाबेस में अनेक भाषाओं में हज़ारों आपूर्ति पक्ष और विनिर्माण संबंधी संचालन के हज़ारों तरीकों का उल्लेख किया गया है।
- इसका उपयोग युरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया-प्रशांत और ऑस्ट्रेलिया में 20 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है।

क्लेप्टो स्लग

- हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 'क्रैटेना पेरेग्राइन (cratena peregrine) नामक समुद्री स्लग में एक नई शिकारी प्रवृत्ति 'क्लेप्टोप्रेडेसन' (kleptopredation) देखी गई है।
- पॉलिप पर मिलने वाले ये शिकारी प्लैंकटन को जकड़ लेते हैं। अतः ये पॉलिप और प्लैंकटन को खा सकते हैं।
- समुद्री स्लग का यह व्यवहार इटली के उत्तर-पश्चिम सिसली (sicily) द्वीप में देखा गया था।





'एक्सट्टीम वैल्यू थ्योरी'

- यह सांख्यिकी की एक शाखा है, जिसमें कम संभावना वाली घटनाओं का उल्लेख किया जाता है।
- इन तकनीकों को कई प्रकार की गतिविधियों (जैसे शेयर बाज़ार के गिरने से लेकर मूसलाधार बारिश होने तक) में प्रयोग किया जाता है।
- इसका प्रयोग अनेक प्रकार के क्षेत्रों जैसे- संरचनागत इंजीनियरिंग, वित्त, पृथ्वी विज्ञान, ट्रैफिक का अनुमान और भूगर्भ इंजीनियरिंग में व्यापक स्तर पर किया जाता है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी और एक्सट्रीम वैल्यू विश्लेषण का मूल उद्देश्य आधुनिक डाटा पत्राचार के लिये आधार तैयार करना है।

विश्व का पहला 'फ्लोटिंग विंड प्रोजेक्ट'

- यह 30 मेगावाट का 'हाईविंड स्कॉटलैंड' (hywrid scotland) प्रोजेक्ट है, जिसमें 6-6 मेगावाट क्षमता वाले पाँच सीमेंस टरबाइन (siemens turbines) मौजूद हैं।
- अपतटीय विंड टरबाइन का आधार निश्चित होता है। अतः उन्हें ऐसी जगहों पर नहीं लगाया जा सकता, जहाँ पानी अधिक गहरा होता है। नॉर्वे की ऑयल कंपनी स्टेटऑइल (statoil) आठ वर्ष से अपने फ्लोटिंग विंड टरबाइन के साथ प्रयोग कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप 'हाईविंड स्कॉटलैंड' प्रोजेक्ट बनाया गया है।

तालानोआ डायलॉग

- तालानोआ (talanoa) प्रशांत द्वीपों की भाषा का शब्द है। इसका तात्पर्य वार्ताओं को आसान, मुक्त, मैत्री, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शिता पूर्ण बनाने से है। इसके तहत विचारों का आदान-प्रदान कहानियों के माध्यम से किया जाता है।
- तालानोआ में अन्य देशों पर इल्ज़ाम लगाने अथवा उनकी आलोचना करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
- हाल ही में इस शब्द का प्रयोग फिज़ी के राष्ट्रपित फ्रैंक बैनीमारामा ने बॉन (जर्मनी) में चल रहे COP 23 बैठक में किया है। उनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग इस ओर संकेत करने के लिये किया गया था कि उनकी सरकार के दौरान होने वाली जलवायु संबंधी सभी वार्ताएँ समावेशी और मैत्री होंगी।
- यह शब्द जलवायु के संदर्भ में पहले से ही प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग अब बॉन सम्मेलन में भी किया जा रहा है।

जीवन की उत्पत्ति में विद्यमान 'अज्ञात यौगिक' की खोज

- हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे यौगिक की खोज की है, जिसने पृथ्वी पर जीवन की उत्पित में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- शोधकत्ताओं का अनुमान है कि जीवन के आरंभिक रूपों में तीन तत्त्वों को संगठित करने में फॉस्फोरिलेशन (phosphorylation) नामक रासायनिक प्रक्रिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही होगी।
- यह यौगिक न्यूक्लियोटाइड (आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करने), एमिनो अम्ल की छोटी श्रृंखलाओं, आनुवंशिक सूचनाओं (पेप्टाइड), जो कोशिकाओं के प्रमुख कार्य को संपन्न करती हैं और लिपिड्स (जो कोशिका भित्त का निर्माण करते हैं) मुख्य अवयव हैं।





सबसे प्राचीन स्तनपायी पूर्वज के जीवाश्म की खोज

- हाल ही में वैज्ञानिकों ने मानव जाति के सबसे प्राचीन स्तनपायी पूर्वज के जीवाश्म की खोज की है। यह चूहे के समान ही एक छोटा जीव है, जो कि आज से 145 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाया जाता था।
- इस स्तनपायी के जीवाश्म डोरसेट के जुरैसिक तट पर पाए गए थे।
- स्तनपायियों के विकासानुक्रम में यह आरंभिक जीव है।
- स्तनपायियों की इस नई प्रजाति का नाम डलर्सतोथेसिस न्यूमैनी (Durlstotherim newmani) रखा गया है।
- स्तनपायियों के दाँतों में समय के साथ-साथ परिवर्तन होता है। पहले उनके दाँत सामान्य होते हैं, जो कि अधिक उपयोगी नहीं होते, परंतु समय के साथ ही उनके दाँत कठोर हो जाते हैं, जिसके कारण वे काटने, चबाने और भोजन को आसानी से पीसने में सक्षम होते थे।

नासा का 'पब्लिक' मिशन

- नासा ने 'न्यू होरिज़ोन'(New Horizons) मिशन की अगली उड़ान को उपनाम देने के लिये लोगों से उसे एक अच्छा नाम सुझाने को कहा है।
 यह स्थान सौरमंडल के बाह्य किनारे पर मौजूद एक छोटे और बर्फीले विश्व से है।
- वर्तमान में प्लूटो से 1.6 बिलियन किलोमीटर दूर स्थित कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट (Kuiper Belt object) को उसके आधिकारिक नाम 2014 MU69' से जाना जाता है।
- यह न्यू होरिज़ोन अंतरिक्षयान 1 जनवरी, 2019 को इस ऑब्जेक्ट से होकर गुजरेगा।

पश्चिमी घाट में चींटी की एक नई प्रजाति की खोज

- हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा पश्चिमी घाट में चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता के लिये विश्व के सबसे गर्म हॉटस्पॉटस का दर्ज़ा प्राप्त है।
- यह नई प्रजाति पेरियार टाइगर रिज़र्व में पाई गई है। इसका नाम टी.एली (T.ali) है।
- यह प्रजाति टायरानोमीरमेक्स (Tyrannomyrmex) कुल से संबद्ध है, जोकि चींटियों का एक दुर्लभ और विशेष प्रकार है।
- टायरानोमीरमेक्स (Tyrannomyrmex) चींटियों का एक दुर्लभ कुल है, जो कि इंडो मलाया जैव-क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार दक्षिणी भारत और श्रीलंका से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक है।
- चींटियों का यह विशेष कुल वर्ष 2003 में टायरानोमीरमेक्स रेक्स फर्नांडीज़ (Tyrannomyrmex rex Fernández) नामक प्रजाति की खोज से ही प्रकाश में आया। इस प्रजाति की खोज मलेशिया के पसोह फ़ॉरेस्ट रिज़र्व (Pasoh forest reserve) में की गई थी।
- इसके बाद इसी कुल की अन्य प्रजातियों टायरानोमीरमेक्स डक्स या टी.डक्स (Tyrannomyrmex dux or T. dux) की खोज वर्ष 2007 में पोंमुडी हिल्स (Ponmudi hills) और टी.लेगट्सफ्रॉम (T. legatusfrom) की खोज वर्ष 2013 में श्रीलंका के सिंहराजा फारेस्ट रिज़र्व (Sinharaja forest reserve) में की गई थी।
- टी.एली इस दुर्लभ और विशेष कुल की चौथी प्रजाति है, जबिक भारत में खोजी जाने वाली यह दूसरी प्रजाति है। देश में पाई गई
 टायरानोमीरमेक्स T कुल की सभी प्रजातियाँ केरल के पश्चिमी घाट में ही पाई गई हैं।





SHe-बॉक्स पोर्टल

- हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यह सूचना जारी की है कि यदि निजी क्षेत्र के कार्यस्थलों में महिलाओं का यौन शोषण किया जाता है तो वे अपनी शिकायतें एक सरकारी पोर्टल में दर्ज करा सकती हैं।
- SHe-बॉक्स नामक इस पोर्टल को लॉन्च भी किया जा चुका है। यह पोर्टल महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दरअसल, उत्पीड़न के अंतर्गत गंदी भाषा के प्रयोग और अशिष्ट चुटकुलों को शामिल किया गया है।
- यह शिकायत योजना सरकारी कर्मचारियों के लिये इस वर्ष (2017) जुलाई में ही शुरू कर दी गई है।
- SHe-बॉक्स पोर्टल कार्यस्थलों पर यौन उत्पीडन का सामना कर रही महिलाओं की समस्या का शीघ्र समाधान करने के लिये किया गया एक प्रयास है।

निर्भय क्रज मिसाइल का सफल परीक्षण

- हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद ने भारत की पहली लंबी दूरी की सब-सोनिक क्रूज मिसाइल (sub-sonic cruise missile)
 निर्भय का सफल परीक्षण किया है।
- इस मिसाइल में 100 मीटर की ऊँचाई पर 0.7 मैक (0.7 mach) पर लक्ष्य को भेदने की क्षमता है।

लो पाँवर वाटर फिल्टर

- हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे 'लो पावर वाटर फिल्टर' (low power water filter) का निर्माण किया है, जो परंपरागत रूप से उपयोग किये जाने वाले 'रिवर्स परासरण' (reverse osmosis) के विपरीत नल के पानी का अलवणीकरण कर उसे पीने योग्य बना (200 पीपीएम आयनों से कम) सकता है।
- इस वाटर फिल्टर के जल को अलवणीकृत करने की दर और क्षमता अत्यधिक उच्च है। इसका एक ग्राम इलेक्ट्रोड 139 मिलीग्राम नमक (कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटैशियम आयन) को 3 मिलीग्राम नमक प्रति मिनट की दर से हटा सकता है। इसकी इन लवणीकृत आयनों को हटाने की कुशलता अत्यधिक उच्च (लगभग 84%) है।

रसगुल्ले को मिला 'जीआई' टैग

- हाल ही में चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री ने यह घोषणा की है कि रसगुल्ले का उद्भव स्थान पश्चिम बंगाल है, न कि ओडिशा। अतः रसगुल्ले को लेकर उड़ीसा के साथ हुए कई विवादों के पश्चात् पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग दिया गया है। बंगाल ने 'बांग्ला रसगुल्ला' पेटेंट नाम को प्राप्त किया है।
- उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इसी वर्ष आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंगनपल्ले आम और पश्चिम बंगाल के तुलापंजी चावल के साथ ही अन्य पाँच उत्पादों को भी 'भौगोलिक संकेत' (Geographical Indications- GI) नामक टैग दिया गया है।
- जीआई टैग
- भौगोलिक संकेत को बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
- भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पाद एक ऐसा कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुएँ) होता है, जिसे एक निश्चित
 भौगोलिक क्षेत्र में ही उगाया जाता है।





- यह संकेत प्राप्त होने पर उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता सुनिश्चित होती है। भौगोलिक संकेत का टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति अथवा किसी विशेष क्षेत्र से उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है, क्योंकि उत्पाद की विशेषता और उसके अन्य गुण उसके उत्पत्ति स्थान के कारण ही होते हैं।
- यह टैग किसानों और विनिर्माताओं को अच्छा बाज़ार मूल्य प्राप्त करने में सहायता करता है।

वैली ऑफ हनी

- पूर्वी घाट में स्थित अराकु (Araku) घाटी नवंबर के दौरान पीले रंग के नाइजर फूलों से भर जाती है। यहाँ के किसान शहद की खेती करते हैं और इस कारण मध्मिक्खियों को अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है।
- जिस समय मधुमिक्खयों का अस्तित्व खतरे में था, अराकु में मधुमक्खी पालनकर्ताओं द्वारा 'मीठी क्रांति' (sweet revolution) की गई थी।
 अराकु विशाखापत्तनम से 120 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है।
- पीले नाइजर फूल वाले क्षेत्रों में नीले डिब्बों को पंक्तियों में रख दिया जाता है। इनमें से प्रत्येक बॉक्स में लगभग एक लाख कार्यकारी मधुमिक्खयाँ,
 100 ड्रोन और एक रानी मक्खी होती है।

महत्त्व

मधुमिक्खियाँ जोिक संगठित समुदायों में रहती हैं, परागण तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने हेतु िकसानों के लिये अत्यिधिक महत्त्व रखती
हैं। हाल ही में पूर्वी घाट में मधुमिक्खियों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण फसलोत्पादन में वृद्धि हुई है। अनेक युवा मधुमक्खी पालन का कार्य
आजीविका के स्रोत के रूप में कर रहे हैं।

द्धवा नेशनल पार्क

- हाल ही में दुधवा नेशनल पार्क के अधिकारियों द्वारा यह घोषणा की गई है कि पार्क में बड़ी बिल्लियों की द्विवार्षिक गणना हेतु उन क्षेत्रों में 450 कैमरों को इनस्टॉल किया जाएगा, जहाँ बाघों की गतिविधियों को चिन्हित किया गया है। यह जनगणना कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी।
- यह उत्तर प्रदेश का एक संरक्षित क्षेत्र है, जिसका विस्तार लखीमपुर-खीरी और बहराइच ज़िले में है।
- लखीमपुर-खीरी जनपद में स्थित दुधवा नेशनल पार्क नेपाल की सीमा से लगे तराई-भाभर क्षेत्र में स्थित है। इसका उत्तरी किनारा नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है और इसके दक्षिण में सुहेली नदी बहती है।
- इसका क्षेत्रफल 1,284.3 किलोमीटर (490.3 वर्ग किलोमीटर) है, जिसमें 190 वर्ग किलोमीटर का बफर ज़ोन है।
- यह पार्क आम जनता के लिये प्रतिवर्ष 15 नवंबर को खुलता है और जून 15 को बंद हो जाता है।
- इस पार्क में दलदल, घास के मैदान और घने वृक्ष हैं। यह क्षेत्र मुख्यतः बारहिसंगा और बाघों की प्रजातियों के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ पिक्षयों की भी विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है।
- इस पार्क में विश्व के सबसे अच्छे साल के वृक्ष भी मौजूद हैं।

एपीसीईआरटी सम्मेलन का आयोजन

• इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्त्वावधान में सीईआरटी-इन (Indian Computer Emergency Response Team) द्वारा नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (Asia Pacific Computer Emergency Response Team) सम्मेलन का आयोजन किया गया।





- ए.पी.सी.ई.आर.टी. का यह 15वाँ सम्मेलन (भारत एवं दक्षिण एशिया में पहला) है।
- इस सम्मेलन का शीर्षक था 'डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास निर्मित करना'।
- इस सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र, अमेरिका, यूरोप, उद्योग, शिक्षा, सरकार और मीडिया से जुड़े 300 साइबर सुरक्षा पेशेवरों ने भाग लिया।
- इस सम्मेलन में सी.ई.आर.टी. की रणनीतियों से संबद्ध सामियक विषयों, प्रौद्योगिकी और डिजिटल रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विश्वास निर्मित करने तथा मोबाइल और सोशल मीडिया के संबंध में साइबर सुरक्षा से निपटने हेतु आवश्यक सर्वश्रेष्ठ उपायों के संदर्भ में चर्चा की गई।

राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (National Power Portal - NPP)

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारतीय बिजली क्षेत्र में सूचना एकत्रीकरण और प्रसार के लिये एक राष्ट्रीय पावर पोर्टल (National Power Portal-NPP) लॉन्च किया गया। एन.पी.पी. भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिये एक केंद्रीयकृत प्रणाली है जो देश में बिजली उत्पादन से लेकर संप्रेषण और वितरण से संबंधित दैनिक, मासिक और वार्षिक ऑनलाइन डाटा कैपचर/इनपुट में सहायता प्रदान करती है।

- यह केंद्रीयकृत प्रणाली विश्लेषित विभिन्न रिपोर्टों, ग्राफ, उत्पादन, संप्रेषण और वितरण के लिये अखिल भारतीय, क्षेत्रीय और केंद्रीय राज्य तथा निजी क्षेत्र के लिये राज्य स्तरीय आँकड़ों के माध्यम से बिजली क्षेत्र से संबंधित (संचालन, क्षमता, मांग, आपूर्ति, खपत आदि) सूचनाएँ प्रसारित करती है।
- एन.पी.पी. डैश बोर्ड को इस तरह से डिज़ाइन और विकसित किया गया है कि यह जी.आई.एस. सक्षम नेविगेशन एवं राष्ट्रीय, राज्य, डिस्कॉम, शहर, फीडर स्तर और राज्यों को योजना आधारित धन पोषण पर क्षमता, उत्पादन, वितरण संबंधी विजुअल चार्ट के माध्यम से विश्लेषित सूचना का प्रसार करता है।
- इस प्रणाली से नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली विभिन्न वैधानिक रिपोर्टों को भी देखा जा सकता है।
- मंत्रालय द्वारा पहले बिजली क्षेत्र से संबंधित लॉन्च िकये गए एप तरंग, उजाला, विद्युत प्रवाह, गर्व, ऊर्जा, मेरिट अब एकीकृत रूप में इस डैश बोर्ड
 पर उपलब्ध होंगे।
- एन.पी.पी. को केंद्रीय बिजली प्राधिकरण, बिजली वित्त निगम, ग्रामीण बिजलीकरण निगम तथा अन्य बड़ी कंपनियों के साथ एकीकृत किया गया
 है।

टिशु कल्चर (Tissue Culture) के लिये राष्ट्रीय प्रमाणीकरण व्यवस्था

भारत सरकार द्वारा 'सीड्स एक्ट, 1966' के तहत एक प्रमाणन एजेंसी के रूप में एन.सी.एस.-टी.सी.पी. (National Certification System for Tissue Culture-Raised Plants - NCS-TCP) की स्थापना की गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय) इसका अधिकृत निकाय होगा। इस प्रणाली के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण टिशू कल्चर रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित करने का कार्य किया जाएगा।

- पिछले दो दशकों में कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण और बागवानी फसलों की बढ़ती मांग के साथ-साथ उच्च गुणवत्तायुक्त पैदावार एवं रोग मुक्त
 रोपण की मांग में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है।
- परंपरागत प्रचार पद्धित (इसके अंतर्गत बीज की बुवाई, कटाई, लेयिरंग आदि को शामिल किया जाता है) बहुत सी अंतर्निहित सीमाओं से ग्रस्त है, जिसके कारण गुणवत्ता की गैर-एकरूपता और बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि होती है।
- तेज़ी से उच्च गुणवत्तायुक्त, रोग मुक्त और उच्च उपज देने वाले पौधों की कुलीन किस्मों को बढ़ाने हेतु यह व्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण जैव प्रौद्योगिकी तथा व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उपकरण के रूप में उभरी है।
- भारत में टिशु कल्चर उद्योग में प्रतिवर्ष 15% की दर से वृद्धि हो रही है।
- एनसीएस-टीसीपी का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण टिशू कल्चर रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करना है।





हौसला 2017

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 16 से 20 नवंबर, 2017 तक बाल अधिकार सप्ताह (हौसला 2017) मनाया गया। भारत द्वारा 14 नवंबर को बाल दिवस और 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- 1. यह देश के विभिन्न बाल देखभाल संस्थाओं के बच्चों द्वारा प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करता है।
- 2. इस अवसर पर निम्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगाः

बाल संसदः

- राष्ट्रीय बाल नीति 2013 और किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 बच्चों को उन सभी विषयों में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है जो उन्हें प्रभावित करते हैं।
- 2. इस कार्यक्रम में सभी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों से 14 से 18 आयु वर्ग के कुल 36 बच्चे भाग लेंगें।
- 3. बच्चों द्वारा दिये गए सुझावों और विचारों के सारांश को बाद में संबंधित मंत्रालय और भारत सरकार के विभागों को भेजा जा सकता है।

चित्रकला प्रतियोगिताः

- 1. चित्रकला और चित्रकारी दो सशक्त उपकरण हैं जो बच्चों के संचार कौशल को बढ़ाने के लिये प्रयोग किये जाते हैं।
- 2. एथलेटिक्स मीट, शतंरज प्रतियोगिता और फुटबाल मैचः
- 3. इस अवसर पर मंत्रालय द्वारा एथलेटिक्स मीट का आयोजन (100 मीटर दौड़,100*4 मीटर रीले दौड़, लंबी कूद, ऊँची कूद), शतरंज प्रतियोगिता और सीसीआई के बालक एवं बालिकाओं के फुटबाल मैच का आयोजन किया जाएगा।

वाक् लेखनः

- 1. सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे सीसीआई के बच्चों के लिये वाक लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करे।
- पहले तीन लेखनों को मंत्रालय में भेजा जाएगा और लेखनों का संकलन यूनीसेफ के सहयोग से, मंत्रालय द्वारा एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

विश्व मधुमेह दिवस

- प्रतिवर्ष 14 नवंबर को 'विश्व मधुमेह दिवस' मनाया जाता है। इसे मधुमेह से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी खतरे के बारे में बढ़ती चिंताओं के प्रत्युत्तर में
 'इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन' तथा 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' द्वारा वर्ष 1991 में स्थापित किया गया।
- वर्ष 2006 में एक संकल्प पारित करके इसे 'संयुक्त राष्ट्र के एक आधिकारिक दिवस' के रूप में स्थापित किया गया।
- मधुमेह एक पुरानी बीमारी या स्थिति होती है, जब अग्न्याशय इंसुलिन नहीं बना पाता है या जब शरीर इंसुलिन का अच्छा उपयोग नहीं कर पाता है तब यह समस्या उत्पन्न होती है।
- वर्ष 2017 में 'विश्व मधुमेह दिवस' की थीम थी- 'महिला और मधुमेह एक स्वस्थ भविष्य के लिये हमारा अधिकार' (Women and diabetes our right to a healthy future)।
- गौरतलब है कि 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' द्वारा निम्नलिखित 7 दिवसों तथा दो सप्ताहों को 'आधिकारिक दिवस एवं सप्ताह' के रूप में स्वीकृत किया गया है –





World TB Day, 24 March

"Official" global public health days

World Health Day, 7 April World Malaria Day, 25 April

World Immunization Week, 24-30 April

World No Tobacco Day, 31 May

World Blood Donor Day, 14 June

World Hepatitis Day, 28 July

World Antibiotic Awareness Week, 13-19 November

World AIDS Day, 1 December

महिलाएँ और मधुमेह

- आँकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में 199 मिलियन से भी अधिक महिलाएँ मधुमेह से पीड़ित हैं। इस संख्या के वर्ष 2040 तक बढ़कर 313 मिलियन होने का अनुमान है।
- विश्व स्तर पर महिलाओं की मृत्यु का नौवाँ बड़ा कारण मधुमेह है, जिससे हर साल तकरीबन 2.1 मिलियन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।
- मधुमेह के कारण न केवल महिलाओं को गर्भधारण करने में अधिक कठिनाई होती है बल्कि मधुमेह की समस्या रहने पर गर्भधारण किये जाने के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं।

हुनर हाट

देश भर के हुनरमंद कारीगरों और तिहाड़ जेल के कैदियों द्वारा तैयार हस्तशिल्प और हथकरघा के उत्कृष्ट नमूनों को 'हुनर हाट' के नाम से दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल किया गया है।

 अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा यू.एस.टी.टी.ए.डी. (Upgrading the Skills & Training in Traditional Arts/Crafts for Development) योजना के अंतर्गत हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य न केवल अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपिरक कला और शिल्प की समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखते हुए इसे बढ़ावा देना है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों हेतु रोज़गार के अवसर भी सुनिश्चित करना है।
- यह इस मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।
- जहाँ एक तरफ हुनर हाट हुनरमंद कारीगरों और शिल्पियों को अपनी समृद्ध विरासत और कौशल का प्रदर्शन करने का एक मंच प्रदान करता है,
 वहीं दूसरी तरफ इसमें लगने वाली प्रदर्शनियों के माध्यम से इन कारीगरों और शिल्पियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिनिधित्त्व भी प्रदान करता है।
- इस बार हनर हाट में 20 राज्यों और संघशासित प्रदेशों के करीब 130 कारीगर भाग ले रहे हैं, जिनमें 30 महिला कारीगर भी शामिल हैं।





इस बार क्या विशेष हैं?

 इस बार का हुनर हाट पिछले के हुनर हाट से काफी अनोखा है, क्योंकि इस बार पहली बार इसमें दिल्ली के तिहाड़ जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को भी शामिल किया गया है। इन उत्पादों में हाथ से बने फर्नीचर, हथकरघा, हस्तशिल्प, बैकरी का सामान, ऑर्गेनिक तेल, मसाले और अनाज शामिल हैं।

सुगम्य भारत अभियान

- सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का राष्ट्रव्यापी महत्त्वपूर्ण अभियान है।
- इस अभियान का उद्देश्य देश भर में दिव्यांगजनों के लिये एक बाधा रहित और सुखद वातावरण तैयार करना है। इस अभियान का शुभारंभ 03 दिसंबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर किया गया था।
- यह अभियान विकलांगता के सामाजिक मॉडल के उस सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें किसी व्यक्ति की सीमाओं और अक्षमताओं के कारण नहीं बल्कि उसकी सामाजिक व्यवस्था के तरीके के कारण विकलांगता निर्धारित की जाती है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिये व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये इस अभियान को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: सुगम्य वातावरण तैयार करना, सृगम्य परिवहन और सुचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

लक्ष्य

सुगम्य भारत अभियान के सुगम्य वातावरण निर्मित करने के लिये निम्नलिखित लक्ष्य निहित है :

- 50 शहरों में कम से कम 25 से 50 सबसे महत्त्वपूर्ण सरकारी भवनों का सुगम्य ऑडिट पूरा करना और इस वर्ष के अंत तक उन्हें पूरी तरह से सगम्य बनाना।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सभी राज्यों की राजधानियों के सभी सरकारी भवनों में से 50 प्रतिशत भवनों को दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सगम्य बनाना।
- दिसंबर 2019 तक राज्यों के उन दस सबसे महत्त्वपूर्ण शहरों/कस्बों के सरकारी भवनों का 50 प्रतिशत सुगम्य ऑडिट पूरा करना और उन्हें सुगम्य बनाना है, जो (1) और (2) में कवर नहीं किये गए।
- विभाग द्वारा 'व्यापक सुगम्यता' हासिल करने के लिये दिव्यांगजनों हेतु एक ऑनलाइन 'सुगम्य पुस्तकालय' का भी शुभारंभ किया गया है।
 विभाग द्वारा सुगम्य भारत अभियान के विभिन्न दृष्टिकोणों की जानकारी प्रदान करने के लिये मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई
 और रांची में जागरूकता कार्यशालाएँ भी आयोजित की गई हैं।

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन उपभोग की बहुत सी वस्तुओं की जी.एस.टी. दरों में भारी कटौती करने के बाद जी.एस.टी. के अंतर्गत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (एन.ए.ए.) के गठन को मंजूरी दी है।

• इस प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जी.एस.टी. दरों में की गई कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक कीमतों में कटौती के माध्यम से पहुँच पाए।





गठन

- इस प्राधिकरण में भारत सरकार के सचिव स्तरीय एक वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र और/या राज्यों से
- चार तकनीकी सदस्य शामिल होंगे।
- इसके अलावा इसके संस्थागत ढाँचे में एक स्थायी समिति, प्रत्येक राज्य में छानबीन समितियाँ और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) में सेफ गार्डस महानिदेशालय को भी शामिल किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि हाल ही में जी.एस.टी. दरों में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन करते हुए 178 वस्तुओं को 28 प्रतिशत की जी.एस.टी. दर की श्रेणी से घटाकर 18 प्रतिशत वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। अब केवल 50 वस्तुएँ ही 28 प्रतिशत वाली जी.एस.टी. दरों में शामिल हैं।
- इसी तरह अनेक वस्तुओं में भी जी.एस.टी. की दरों में 18 से 12 प्रतिशत की कटौती की गई है, जबिक कुछ वस्तुओं को जी.एस.टी. से पूर्ण रूप से छूट दे दी गई है।

यह कैसे कार्यवाही करेगा?

- प्रथम दृष्टया यदि किसी उपभोक्ता को ऐसा प्रतीत होता है कि उसे सरकार द्वारा जी.एस.टी. में किये गए संशोधनों का लाभ प्रात नहीं हो रहा है तो वह उस राज्य की स्थायी समिति के समक्ष मामले की विस्तृत जाँच हेतु आवेदन कर सकता है।
- यदि समिति द्वारा उक्त मामले की जाँच में मुनाफाखोरी की बात सामने आती है तो समिति द्वारा मामले की विस्तृत जाँच के लिये सी.बी.ई.सी. [केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) में सेफ गार्डस महानिदेशालय] को भेजी जा सकती है, जोिक अपनी जाँच रिपोर्ट एन.ए.ए. को भेजेगी।
- यदि एन.ए.ए. यह पृष्टि करता है कि मुनाफाखोरी विरोधी उपायों को लागू करने की आवश्यकता है तो इसे आपूर्तिकर्ता/संबंधित व्यवसाय को वस्तुओं की कीमत घटाने अथवा उपभोक्ता को वस्तुओं या सेवाओं को ब्याज सहित अधिक लाभ पर लौटाने का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है।
- यदि उस अतिरिक्त लाभ को उपभोक्ता तक नहीं पहुँचाया जा सकता है तो इसे उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा करने का आदेश दिया जा सकता है।
- बहुत गंभीर स्थिति में, न केवल एन.ए.ए. को चूककर्त्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाने का अधिकार है बल्कि जी.एस.टी. के अंतर्गत उसका पंजीकरण रद्द करने का भी अधिकार है।

सौभाग्य वेब पोर्टल

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री 'सहज बिजली हर घर योजना' के तहत **'सौभाग्य' वेब पोर्टल** लॉन्च किया है।

- सौभाग्य-डैश बोर्ड घरेलू विद्युतीकरण प्रगति की निगरानी हेतु निर्मित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो घरेलू बिजलीकरण की स्थिति (राज्य, ज़िला, गाँवों के क्रम में), लाइव आधार पर प्रगति, राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि तथा विद्युतीकरण की मासिक प्रगति के बारे में सूचनाओं का प्रसार करेगा।
- हालाँकि, 4 करोड़ घरों का विद्युतीकरण करना स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती है, फिर भी सरकार द्वारा सभी राज्यों के सहयोग से दिसंबर 2018 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प किया गया है।





- सरकार द्वारा विद्युत पारिस्थितिकी प्रणाली में परिवर्तन करते हुए प्रीपेड तथा स्मार्ट मीटरों के माध्यम से सभी नए बिजली कनेक्शनों के लिये
 मीटर की व्यवस्था को अनिवार्य बनाया गया है।
- इसका लाभ यह होगा कि इससे गरीब लोगों के लिये न केवल बिजली का बिल भरना आसान होगा, बिल्क बिजली चोरी में भी कमी आएगी,
 जिससे बिजली बिल भुगतान परिपालन में वृद्धि होगी।
- इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़िरये सभी राज्य विद्युतीकरण कार्य की प्रगित के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इससे राज्य बिजली कंपनी/डिस्कॉम के लिये उत्तरदायी प्रणाली के रूप में स्थापित हो जाएंगे।
- बिजली वितरण कंपनियों के साथ-साथ राज्य बिजली विभाग भी इस वेब पोर्टल/मोबाइल एप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाटा एकत्रीकरण कर सकेंगे।

जैव-अवशेषों का इस्तेमाल

- मंत्रालय ने एन.टी.पी.सी. को ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिये कोयले के साथ-साथ 10 प्रतिशत तक फसलों के अवशेष को मिलाने का निर्देश जारी किया है। इससे न केवल पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों द्वारा खरपतवार और पराली जलाने में कमी आएगी, बिल्क वायु प्रदूषण में भी कमी होगी।
- इसका एक अन्य लाभ यह होगा कि इससे किसानों को प्रति टन फसल अवशेष के लिये 5,500 रुपए का भुगतान प्राप्त होगा। फसल अवशेष को किस प्रकार से एकत्रित किया जाना है, इसके लिये अवसंरचना तैयार की जा रही है।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2018 तक देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिये 16,320 करोड़ रुपये की एक नई योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 'सौभाग्य' (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana 'Saubhagya') का शुभारंभ किया गया।

- इस योजना के तहत सरकार द्वारा दिसंबर 2018 तक (मार्च 2019 तक इस उद्देश्य को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है) सभी परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
- 1 मई, 2018 की निर्धारित समय सीमा से पहले दिसंबर 2017 तक सभी गाँवों का विद्युतीकरण किया जाएगा।
- इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि इस योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे।

पोर्टेबल डाइव डिटेक्शन सोनार

केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत नौसेना ने टाटा पावर स्ट्रैजिक इंजीनियरिंग डिवीजन के साथ खरीदो और निर्माण (भारतीय) श्रेणी [Buy and Make (Indian) category] के तहत सचल गोताखोर खोजबीन सोनार (Portable Diver Detection Sonar) हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

- रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देने के संबंध में किया गया नौसेना का यह दूसरा समझौता है। इससे पहले भारतीय नौसेना ने युद्धपोत में निगरानी रडार के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- पोर्टेंबल डाइवर डिटेंशन सोनार के नौसेना में शामिल होने से समुद्री अभियान के दौरान निगरानी क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन सोनार की खरीद से नौसेना को युद्धपोतों को खतरों से बचाने में भी सफलता मिलेगी।





डाइवर डिटेक्शन सोनार (Diver Detection Sonar - DDS) क्या है?

- डी.डी.एस. गोताखोरों और जलमम्न तैराक वितरण वाहनों (swimmer delivery vehicles) के बारे में पता लगाने के लिये पानी के नीचे कार्यरत सोनार एक ध्वनिक स्थान प्रणाली (acoustic location system) है।
- इस प्रकार की सोनार प्रणाली का उद्देश्य पानी के नीचे मौजूद खतरों (ऐसे खतरे जिनसे जान-माल को खतरा हो सकता है) की पहचान करने के साथ-साथ ट्रैकिंग और वर्गीकरण की जानकारी प्रदान करना है।
- समुद्र के अंदर आतंकवादी हमले का खतरा समुद्री उद्योग और बंदरगाह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये एक चिंता का विषय है। अक्सर बंदरगाहों को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिये, तैराकों द्वारा हमला, नावों द्वारा पानी के भीतर विभिन्न प्रकार के विस्फोटक उपकरणों के वितरण इत्यादि से उत्पन्न होने वाले खतरें।
- वस्तुतः डी.डी.एस. सिस्टम को बंदरगाहों, तटीय सुविधाओं, अपतटीय प्रतिष्ठानों, पाइपलाइनों और जहाजों के लिये पानी के नीचे सुरक्षा प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है।

तपेदिक (टीबी) के इलाज के लिये दवा की दैनिक ख़ुराक व्यवस्था लागू

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) के अन्तर्गत देश भर में तपेदिक रोग पीड़ितों के लिये दवा की दैनिक खुराक व्यवस्था लाग् करने की घोषणा की है।

- मंत्रालय द्वारा तपेदिक बीमारी के इलाज के लिये मिश्रित दवाओं की तय खुराक का इस्तेमाल करते हुए सप्ताह में तीन बार के स्थान पर दैनिक खुराक की व्यवस्था की गई है। इस परिवर्तन से तपेदिक बीमारी से लड़ने के दृष्टिकोण में बदलाव आएगा।
- तपेदिक रोधी दैनिक मिश्रित दवा को निजी फार्मेसी और प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले डॉक्टरों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि इन दवाओं की खुराक को उन रोगियों तक पहुँचाया जा सके, जो निजी क्षेत्र में इलाज करा रहे हैं।
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीबी के सभी मरीजों तक मिश्रित दवाओं की तय खुराक को दैनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिये सभी बड़े अस्पतालों, आई.एम.ए., आई.ए.पी. तथा पेशेवर चिकित्सा संगठनों तक इसका विस्तार किया जाएगा।

इलाज के तरीके में बदलाव का लाभ क्या होगा?

- इस पद्धित की विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत सभी रोगियों को निरंतर चरणों में इथैन ब्यूटॉल की मिश्रित गोलियाँ दी जाएंगी। ये दवाएँ पहले सप्ताह में तीन बार दी जाती थीं। मिश्रित दवाओं की तय खुराक से मरीजों को कम गोलियाँ खानी पडेंगी, पहले उन्हें सात अलग-अलग टैबलेट खानी पड़ती थीं। बच्चों के लिये घुलनशील टैबलेट होंगे।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट, 2017 में कहा गया है कि टीबी प्रसित लोगों की संख्या 28.2 लाख से घटकर 27 लाख हो गई है
 और पिछले एक वर्ष में मृत्यु में 60 हज़ार की कमी आई है।

कैदरीन - 22 नामक प्रोटीन : कैंसर के प्रसार में सहायक

वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसे प्रोटीन की पहचान की गई है, जो न केवल ट्यूमर की कैंसर कोशिकाओं को एक साथ बाँधकर कैंसर के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि कैंसर कोशिकाओं को ऊतकों पर आक्रमण करने में भी सहायता करने के साथ-साथ इस घातक बीमारी के इलाज़ हेतु नए उपचारों का रास्ता भी प्रशस्त करता है।

• इस प्रोटीन को कैदरीन - 22 (cadherin-22) के नाम से जाना जाता है। यह कैंसर के फैलाव तथा कैंसर मेटास्टैसिस (cancer metastasis) में संभावित कारक के रूप में जाना जाता है।





- यह स्तन कैंसर और मस्तिष्क कैंसर की कोशिकाओं के आसंजन (adhesion) और आक्रमण (invasion) की दर को 90% तक न्यून करने का काम करता है।
- कैडरीन 22 उन्नत कैंसर के चरणों और रोग के परिणामों के लिये एक शक्तिशाली निदान चिन्ह साबित हो सकता है।
- कैदरीन 22 सेल सतहों पर स्थित होता है।

नासा का अगली पीढ़ी का मौसम उपग्रह

- नासा द्वारा अत्यधिक उन्नत मौसम उपग्रहों की एक श्रृंखला के पहले उपग्रह को लॉन्च िकया गया। यह उपग्रह मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के विषय
 में अधिक सटीक तथा समय पर जानकारी प्रदान करेगा।
- एन.ओ.ए.ए. (National Oceanic and Atmospheric Administration's NOAA) के जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायर्नमेंटल सैटेलाइट-आर [Geostationary Operational Environmental Satellite-R (GOES-R)] को अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया।
- नासा द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, आने वाले समय में जी.ओ.ई.एस.-आर. का नाम बदलकर जी.ओ.ई.एस. -16 कर दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- 1. आगामी एक वर्ष के भीतर कार्यान्वित हो जाएगा।
- 2. एन.ओ.ए.ए. की मौसम संबंधी पूर्वानुमानों और चेतावनियों को जारी करने की योग्यता में वृद्धि करेगा।
- 3. साथ ही अमेरिका को एक अधिक मज़बूत और अधिक स्थिति-स्थापक मौसम चेतावनी तैयार करने वाला देश बनाने में सहायक साबित होगा।
- 4. उपग्रह का प्राथमिक यंत्र एडवांस्ड बेसलाइन इमेज़र है। यह पृथ्वी के मौसम, महासागरों और पर्यावरण की 16 अलग-अलग स्पेक्ट्रल बैंड वाली तस्वीरें उपलब्ध कराएगा।
- 5. इसके साथ- साथ इसमें दो दुश्य चैनल, चार निकट-अवरक्त चैनल सहित 10 अवरक्त चैनल भी शामिल होंगे।
- जी.ओ.ई.एस.-आर. पर लगे उत्कृष्ट अंतिरक्ष मौसम सेंसर सूर्य की निगरानी करने के साथ-साथ मौसम पूर्वानुमानियों को महत्त्वपूर्ण जानकारी भी देगा।
- 7. जी.ओ.ई.एस.-आर. श्रृंखला में चार उपग्रह हैं आर, एस, टी और यू।
- 8. ये उपग्रह वर्ष 2036 तक एन.ओ.ए.ए. के जियोस्टेशनरी कवरेज़ का विस्तार करने में सहायता प्रदान करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन (आई.सी.ए.ओ.) द्वारा भारत में सार्वभौमिक सुरक्षा आकलन किया गया। इस ऑडिट में कार्मिक लाइसेंसिंग (Personal Licensing), उड़ान क्षमता (Airworthiness), संचालन (Operations) विधायी (Legislation) तथा संगठन (Organization) के क्षेत्र में परीक्षण किया गया।
- इस ऑडिट में आई.सी.ए.ओ. द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोटोकॉल प्रश्नों पर डी.जी.सी.ए. द्वारा प्रदत्त उत्तरों का सत्यापन भी शामिल है।
- सत्यापन प्रक्रिया में दस्तावेज़ी साक्ष्य, प्रासांगिक फाइलों की कार्रवाई प्रासंगिक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श और उपयोग यात्राओं का परीक्षण किया जाता है।
- आई.सी.ए.ओ. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऑडिट दल मुख्यालय टीम को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और लगभग 90 दिनों में प्रारूप रिपोर्ट राज्य को उपलब्ध कराई जाती है।
- राज्य को 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट पर टिप्पणी करने और विभिन्न पहलुओं पर कार्य योजना तैयार करने के बाद यह रिपोर्ट आई.सी.ए.ओ. को उपलब्ध करानी होती है।
- इसके बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान कर इसे सदस्य राज्यों को उपलब्ध कराया जाता है।





अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन

- यह 'संयुक्त राष्ट्र' की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं का समन्वयन तथा विनियमन करना है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1944 में 'अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कन्वेंशन', जिसे 'शिकागो कन्वेंशन' के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा की गई
 थी।
- इस संगठन का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में अवस्थित है।
- वर्तमान में भारत सहित कुल 191 देश इस संगठन के सदस्य हैं तथा इसके द्वारा निर्मित नियम अथवा कानून इसके सदस्य देशों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं।
- हाल ही में आई.सी.ए.ओ. ने 'मॉन्ट्रियल सिम्पोज़ियम' के दौरान मानव रहित विमानों (ड्रोन) के उड़ान एवं ट्रैकिंग के लिये एक 'एकल वैश्विक ड्रोन रिजस्ट्री' (single global drone registry) के निर्माण का प्रस्ताव रखा है।
- इसका उद्देश्य मानव रहित विमानों के उड़ान और उनके ट्रैकिंग के संबंध में कुछ सामान्य नियमों को तैयार करना है, ताकि इनसे जुड़े डेटा को वास्तविक समय (real time) में सुलभ बनाया जा सके।

एम.स्ट्रिप्स एप

देश में बाघ गणना के संदर्भ में क्षेत्रीय डेटा संग्रह करने के लिये डिजिटल प्रारूप को अपनाया जा रहा है, ताकि इस संबंध में त्रुटिमुक्त तथा अधिक विश्वसनीय अनुमान प्रदान किये जा सकें। आगामी दिसंबर-जनवरी माह में होने वाली अखिल भारतीय टाइगर अनुमान प्रक्रिया में अधिकारियों ने मांसाहारी और अन्य आवास विवरणों के संकेतों संबंधी मैन्युअल रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को खत्म करने की योजना बनाई है।

- इसके लिये देहरादून स्थित वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एम-एस.टी.आर.आई.पी.ई.एस. (Monitoring System For Tigers-Intensive Protection and Ecological Status) एप का पहली बार उपयोग किया जाएगा।
- पिछले कुछ वर्षों में मांसाहारी संकेतों, छर्रों और आवास की स्थिति से संबंधित आँकड़ों को मैन्युअल रूप से फील्ड स्टाफ द्वारा दर्ज़ किया जाता
 था, लेकिन इस अभ्यास में त्र्टियों की संभावना रहती थी।
- जी.आई.एस. आधारित एप के प्रयोग से न केवल वनों के निवास स्थान संबंधी आँकड़ों को रियल टाइम में प्राप्त किया जा सकेगा, बल्कि इसके प्रयोग से निगरानी और गश्त संबंधी गतिविधियों की भी अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
- लेकिन एम-स्ट्रिप्स एप डेटा व्याख्या के संबंध में अधिक मानकीकृत और विसंगतियों से मुक्त प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त करता है।

ग्लीडोविया कोंयाकियानोरम

वैज्ञानिकों ने परजीवी फूलों की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यह पौधों की अन्य प्रजातियों को खाकर जीवित रहता है (क्लोरोफिल पौधे को अपना भोजन बनाने के लिये सूरज की रोशनी का उपयोग करने में मदद करता है)।

- कोंयक नागा जनजाति के सम्मान में इस पौधे को ग्लीडोविया कोंयािकयानोरम (Gleadovia konyakianorum) नाम दिया गया है। इसे नागालैंड के मोन ज़िले के टोबू टाउन में खोजा गया है।
- यह एक हॉलोपैरिसाइट (पूर्ण परजीवी) है, जो मेजबान पौधे (स्ट्रॉबिलैंट्स प्रजाति) से अपनी पोषण आवश्यकता को पूरा करता है। इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। यह हौस्टोरियम की सहायता से मेज़बान पौधे से पोषण संचित करता है।
 - हौस्टोरियम एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसके साथ परजीवी पौधे स्वयं को मेजबान पौधों के साथ संलग्न करते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं।
 - ग्लीडोविया कोंयाकियानोरम एक जड़ परजीवी है, जो ऊँचाई में 10 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। इसके फूल की नलिकाएँ सफेद होती हैं।





अन्य प्रजातियाँ

- दिलचस्प बात यह है कि यह दुनिया में पाए जाने वाले ग्लीडोविया पौधों की केवल चौथी प्रजाति है।
- तीन अन्य प्रजातियाँ हैं- ग्लीडोविया बेनरिजयाना (मिणपुर में खोजी गई), ग्लीडोविया मुिपनेंस (चीन में पाई गई) और ग्लीडोविया रुबोरुम (उत्तराखंड में खोज की गई तथा चीन में पाई गई हैं)।
- परजीवी पौधे जड़ या तना परजीवी दोनों रूप में हो सकते हैं। भारत में पाए जाने वाले आम तना परजीवी लोरंथुस एस.पी. हैं, यह आम के पेड़ों पर और कस्कुटा रिफ्लेक्सा पर पाई जाती हैं।
- जड़ परजीवी में सप्रिया हिमालयन प्रमुख है, यह अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में पाया जाती है।

आई.यू.सी.एन. के अनुसार

• वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रजाति को आई.यू.सी.एन. (International Union for Conservation of Nature - IUCN) की लाल सूची में 'डेटा की कमी' के रूप में वर्णित किया गया है।

व्हिस्लर-मोड कोरस

- ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव के द्वारा उत्पन्न होने वाली अंतिरक्ष लहरें होती हैं। इन तरंगों में बढ़ने के लक्षण पाए जाते हैं। साथ ही
 ये इलेक्ट्रॉन को प्रभावी ढंग से गित देने में भी सक्षम होती हैं। इन तरंगों को व्हिस्लर मोड कोरस कहा जाता है।
- हालाँिक, काफी लंबे समय से वैज्ञानिकों को यह ज्ञात था कि ग्रह के चारों ओर फँसे सौर ऊर्जा वाले कण कभी-कभी पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में
 बिखर जाते हैं, जहाँ वे खूबसूरत औरोरल (beautiful auroral displays) के प्रदर्शन में सहायक होते हैं।
- इसके बावजूद, इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि वास्तव में ये शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन किस फोर्स के कारण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं।
- नासा के वान ऐलन प्रोब्स मिशन (NASA's Van Allen Probes Mission) और फायरबर्ड (Focused Investigations of Relativistic Electron Burst Intensity, Range, and Dynamics – FIREBIRD) II क्यूबसैट (CubeSat) द्वारा प्रदत्त आँकड़ों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अंतरिक्ष में मौजूद एक सामान्य प्लाज्मा लहर पृथ्वी के वायुमंडल में उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के आवेगपूर्ण नुकसान के लिये जिम्मेदार पाई गई।

ग्रेडिएंट मैपिंग

- ग्रेडिएंट फिंगरप्रिंट मैपिंग वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक नया उपकरण है, इसे अंटार्किटका और ग्रीनलैंड में बड़े पैमाने पर बर्फ पिघलने की घटना के दौरान तटीय शहरों की स्थिति का अनुमान लगाने के लिये इस्तेमाल किया जाता है।
- साइंस एडवांस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, इस उपकरण की सहायता से तकरीबन 293 प्रमुख बंदरगाह शहरों का विश्लेषण करने के उपरांत यह पाया गया कि न्यूयॉर्क, लंदन और सिडनी जैसे शहर इस समय सबसे अधिक कमज़ोर वर्ग में यानी सुभेद्य हैं।
- यह वस्तुतः जलवायु परिवर्तन के कारण आम जन जीवन के साथ-साथ आर्थिक संवृद्धि पर पड़ने वाले प्रभावों को चिन्हित करता है।





भारत-म्याँमार के बीच पहला द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास (IMBAX-2017)

मेघालय के उमरोई जॉइंट ट्रेनिंग नोड में भारत-म्याँमार के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य म्याँमार की सेना को विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों (UN Peace-keeping Operations) के लिये प्रशिक्षित करना है।

- भारत के सैन्य प्रतिनिधि मंडल में शामिल 16 अधिकारी संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों, नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप शांति अभियानों के लिये
 आवश्यक अनुभव, ज्ञान और कौशल के साथ म्याँमार के सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे।
- भारतीय सेना के रेड हॉर्न डिवीजन की पहल और गजराज कॉर्प्स के सहयोग से इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है।
- यह छः-दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण व अभ्यास दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करेगा।
- एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इस अभ्यास का आयोजन ऐसे समय में किया गया है, जब कई मानवाधिकार संगठन म्याँमार में रोहिंग्या
 मुसलमानों के जनसंहार के लिये म्याँमार के सैन्य अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए दंडित करने की मांग कर रहे हैं।

नमामि बराक उत्सव

हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा असम के सिलचर ज़िले में नमामि बराक उत्सव को संबोधित किया गया है।

- बराक घाटी की भौगोलिक स्थिति उसे अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनाने की संभावना प्रदान करती है।
- 'ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर' का पूर्वोत्तर भाग जो असम में कच्छार से गुजरात में कच्छ तक जाता है-सिलचर से शुरू होता है, जबिक अगरतला को दिल्ली से जोड़ने वाली बड़ी रेलवे लाइन बराक घाटी से गुजरती है।
- बराक घाटी भारत के असम राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। घाटी का मुख्य शहर सिलचर है।
- दरअसल, इस क्षेत्र का नाम बराक घाटी यहाँ से बहने वाली बराक नदी के नाम पर रखा गया है।

स्पेक्ट्रम रखने की सीमा में बदलाव

हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में विलय एवं अधिग्रहण को प्रोत्साहन देने के लिये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किसी बैंड विशेष में कंपनियों के स्पेक्ट्रम रखने की सीमा हटाने की सिफारिश की है। इसके अलावा नियामक ने कुल सीमा में भी ढील देने का सुझाव दिया है।

- यदि भारत सरकार का दूरसंचार विभाग ये सुझाव स्वीकार कर लेता है तो इससे आइडिया सेल्युलर व वोडाफोन को बड़ी राहत मिल सकती है,
 जिनका विलय प्रस्तावित है।
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India-TRAI) भारत में दूरसंचार व्यवसाय का स्वतंत्र नियामक है।
- दूरसंचार सेवाओं और टैरिफ को विनियमित करने के लिये संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1997 में इसे स्थापित किया गया था।
- जनवरी 2000 में दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय ट्रिब्यूनल (Telecom Disputes Settlement Appellate Tribunal-TDSAT) की स्थापना के बाद से ट्राई की न्यायिक शक्तियाँ इसके हाथ से छीनकर इस नई संस्था को दे दी गई हैं।





जल्द ही लागू होगा नया प्रत्यक्ष कर कानून

जीएसटी लागू किये जाने के बाद एक अन्य महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार द्वारा देश के 56 साल पुराने आयकर कानून (आयकर अधिनियम, 1961) की समीक्षा करने हेतु केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) के सदस्य अरबिंद मोदी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

- इस कानून का उद्देश्य देश के प्रत्यक्ष कर कानून (डायरेक्ट टैक्स लॉ) व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है।
- इस टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न देशों की प्रत्यक्ष कर व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, देश की आर्थिक आवश्यकताओं और उसके साथ जुड़े अन्य पक्षों का विश्लेषण करने के पश्चात् एक उचित प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा।
- टास्क फोर्स को छह महीने में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
- इस टास्क फोर्स में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम् एक स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त
 इसके अंतर्गत शिक्षाविदों तथा निजी क्षेत्र के कर विशेषज्ञ के साथ-साथ एक सेवानिवृत भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी भी शामिल होगा।

इस टास्क फोर्स द्वारा निम्नलिखित विषयों पर विचार कर उपयुक्त प्रत्यक्ष कर कानून मसौदा तैयार किया जाएगा -

- विभिन्न देशों में मौजूद प्रत्यक्ष कर प्रणाली।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली।
- देश की आर्थिक ज़रूरतें।
- इससे जुड़ा कोई अन्य मुद्दा।

15वाँ वित्त आयोग

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15वें वित्त आयोग के गठन को मंज़ूरी प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन करना एक संवैधानिक बाध्यता है। 15वें वित्त आयोग की शर्तों को आने वाले समय में अधिसृचित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर या पहले, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा।
- भारत में परंपरा यह है कि पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख के पाँच वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
- अभी तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग का गठन 01 अप्रैल, 2015 से शुरू होने वाले पाँच वर्षों की अविध के लिये 02 जनवरी, 2013 को गठित किया गया था।
- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिये वैध है।
- 15वें वित्त आयोग के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से लेकर अगले पाँच वर्षों की अवधि को कवर किया जाएगा।





महिलाओं हेतु "सुरक्षित शहर प्लान"

गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, जल्द ही देश के आठ शहरों में महिलाओं के लिये एक व्यापक 'सुरक्षित शहर' योजना शुरू की जाएगी, जहाँ एक मजबूत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और पुलिस द्वारा सत्यापित सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ उपलब्ध होंगी।

हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव द्वारा इस योजना की समीक्षा की गई, ताकि इसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ और हैदराबाद में लागू किया जा सके।

योजना के प्रमुख बिंदु

- पुलिस में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण
- सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना
- पुलिस स्टेशनों में महिलाओं की तैनाती
- साइबर अपराधों से सुरक्षा
- बुनियादी ढाँचागत मुद्दे
- अँधेरे स्थानों और अपराध-प्रवण क्षेत्रों का मानचित्रण
- शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी इत्यादि।
- 1. इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत इन शहरों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु उठाए गए कदमों के विषय में भी चर्चा की गई।
- 2. इनमें दिल्ली पुलिस की 'हिम्मत' एप, सभी महिला सदस्य वाली गश्ती वैन का 'शिष्टाचार' कार्यक्रम; हैदराबाद पुलिस की 'हॉकीए' (hawkeye) मोबाइल एप तथा 'भरोसा' कार्यक्रम; उत्तर प्रदेश पुलिस की पावर एंजेल्स एवं बेंगलुरु पुलिस की 'सुरक्षा' एप जैसी कई पहलों के विषय में चर्चा की गई।

नेशनल बायोमैटीरियल केंद्र

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ऑर्गनाइज़ेशन का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नेशनल टिशू बैंक में नेशनल बायोमैटीरियल केंद्र के साथ गुणवत्तापूर्ण टिशुओं की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटना और विभिन्न क्रियाकलापों को सुनिश्चित करना है।

- पी.आई.बी. द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, भारत में तकरीबन 23% प्रत्यारोपण मृत व्यक्तियों से प्राप्त अंगों द्वारा किया जाता है। यदि इस
 प्रतिशत में वृद्धि की जाती है तो अंगों के व्यावसायिक व्यापार के खतरे और जीवित व्यक्ति द्वारा अंग दान किये जाने से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य
 संबंधी खतरे से भी बचा जा सकता है।
- इसके लिये आवश्यक यह है कि अंग प्रत्यारोपण के लिये बुनियादी ढाँचे एवं सरकारी अस्पतालों की क्षमता में सुधार किया जाए, ताकि गरीबों और ज़रूरतमंदों को लाभ मिल सके।

केंद्र से संबंधित मुख्य बिंदु

- राष्ट्रीय स्तर का टिशू बैंक टिशू प्रत्यारोपण की मांग को पूरा करेगा। इसमें इसकी खरीद, भंडारण तथा बायोमैटीरियल के वितरण को पूरा करने संबंधी सभी पक्षों को शामिल किया जाएगा।
- केंद्र के अंतर्गत एक दानदाता से दूसरे व्यक्ति के शरीर में टिशू प्रत्यारोपित करने के संदर्भ में बहुत सी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।





केंद्र के क्रियाकलाप क्या-क्या हैं?

- टिशू की खरीद और वितरण हेतु समन्वय।
- दान में मिले टिशू की स्क्रीनिंग।
- टिशू को हटाना एवं उसका भंडारण करना।
- टिश् का संरक्षण एवं टिश् की प्रयोगशाला जाँच।
- कीटाणुशोधन।
- आँकड़ों को सुरक्षित रखना तथा गोपनीयता का पालन करना।
- टिशू का गुणवत्ता प्रबंधन।
- टिशू के बारे में मरीज़ की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एकत्रित करना।
- टिशू प्रत्यारोपण संबंधी दिशा-निर्देशों को आगे बढ़ाना।
- अन्य टिश् बैंकों के पंजीकरण की ज़रूरत के अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध कराना।

2018 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित

हाल ही में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 2018 को 'अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष' (International Year of Millets) के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। यदि यू.एन. द्वारा इस प्रस्ताव के संबंध में सहमति व्यक्त की जाती है तो इससे उपभोक्ताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग और अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रों में कदन्न के विषय में जागरूकता आएगी।


प्रमुख बिंदु

- इसका लाभ यह होगा िक वैश्विक स्तर पर कदन्न के उत्पादन और खपत को बढ़ावा दिये जाने से जहाँ एक ओर भूख जैसे गंभीर मुद्दे से सही रूप में
 निपटने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर इससे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में भी उल्लेखनीय रूप से सहायता प्राप्त होगी।
- आम-तौर पर कदन्न को छोटे बीज वाली घास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे प्राय: शुष्क भूमि अनाज के रूप में जाना जाता है।
- इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, छोटे कदन्न, पोसो, फॉक्सटेल, बार्नियार्ड, कोदो इत्यादि को शामिल किया जाता है।
- कदन्न सभी प्रकार से एक अनुकूलित भोजन है, जो न केवल स्वास्थ्य के लिये बेहतर है बल्कि किसानों के लिये उत्पादकता, जैव-ईंधन इत्यादि
 की दृष्टि से व्यापार के संदर्भ में भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति अति असंवेदित एवं अनुकूलित होने के कारण कदन्न ऐसी मौसम सिहण्णु फसल है, जिसमें निम्न दर्ज़े का कार्बन एवं
 वाटर फुटप्रिंट निहित होते है। यही कारण है कि सामान्य भौगोलिक स्थिति वाले स्थानों के साथ-साथ अत्यधिक ऊँचाई वाले स्थानों में भी कदन्न
 की खेती की जा सकती है।





हृदय की विफलता को रोकने हेतु रोबोटिक प्रणाली



Normal heart

Heart with atrial fibrillation

वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम मांसपेशियों के साथ एक नरम रोबोट प्रणाली विकसित करने में सफलता हासिल की गई है, इसकी सहायता से ऐसे बच्चों की हृदय संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, जिनकी एक-तरफा हृदय संबंधी समस्याएँ होती हैं।

- हृदय की भाँति ज्यों का त्यों गति करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। यह साँफ्ट रोबोटिक एक्टुएटर (soft robotic actuator) बायोमेडिकल उपकरणों में पारंपरिक रूप से उपयोग किये जाने वाले अधिक कठोर घटकों के लिये एक आकर्षक विकल्प है।
- शोधकर्ताओं द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि कई बाल हृदय रोगियों में एकतरफा दिल की स्थिति होती है अर्थात् ऐसे हृदय रोगी पूरी तरह से विफल हृदय जैसी स्थिति में नहीं होते हैं। इसका कारण जन्मजात स्थितियाँ भी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हृदय के दाएँ या बाएँ निलय के कारण भी हृदय रोग की समस्या बन जाती है।
- बाहरी एक्टुएटर की सहायता से हृदय के स्वयं के कक्ष के माध्यम से रक्त पर दबाव बनाने में मदद मिलती है। शोधकर्त्ताओं द्वारा विकसित प्रणाली के अंतर्गत एंटीकॉयगुलेंट्स (Anticoagulants) के न्यूनतम उपयोग के साथ इस कार्य को सैद्धांतिक रूप से पूर्ण किया जा सकता है।

यूरोपियन पुनर्निर्माण और विकास बैंक में भारत की सदस्यता को मंज़ूरी

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूरोपियन पुनर्निर्माण और विकास बैंक (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) में भारत की सदस्यता के संबंध में मंज़ूरी दी है। अब ई.बी.आर.डी. की सदस्यता प्राप्त करने के लिये आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

- ई.बी.आर.डी. की सदस्यता से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में और अधिक निखार आएगा तथा इसके आर्थिक हितों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ई.बी.आर.डी. के संचालन वाले देशों तथा उसके क्षेत्र ज्ञान तक भारत की पहुँच निवेश तथा अवसरों को बढ़ाएगी।
- इस सदस्यता से विनिर्माण, सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में सह-वित्तपोषण के अवसरों के ज़रिये भारत और ई.बी.आर.डी. के बीच सहयोग के अवसर बढेंगे।
- इस सदस्यता से भारत को निजी क्षेत्र के विकास को लाभान्वित करने के लिये बैंक की तकनीकी सहायता तथा क्षेत्रीय ज्ञान से मदद मिलेगी।
- ई.बी.आर.डी. की सदस्यता से भारतीय फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ेगी और व्यापार के अवसरों, खरीद कार्यकलापों, परामर्श कार्यों आदि
 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनकी पहुँच बढ़ेगी।
- यूरोपियन पुनर्निर्माण और विकास बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। यह बैंक निवेश के रूप में अर्थव्यवस्थाओं को सहायता प्रदान करता है। ई.बी.आर.डी. के महत्त्वपूर्ण कार्यों में अपने संचालन में सदस्य देशों में निजी क्षेत्र का विकास करना भी शामिल है।





अंडमान एवं निकोबार द्वीप समृह रक्षा अभ्यास' (डी.ए.एन.एक्स-17)

अंडमान एवं निकोबार कमान के तत्त्वावधान में 'अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह रक्षा अभ्यास' (Defence of Andaman & Nicobar Islands Exercise- DANX-17) का परिचालन किया गया।

- इस अभ्यास का अंगीकरण योजना निर्माण चरण से लेकर, संयुक्त प्लानिंग एवं समेकित दृष्टिकोण का सैन्य बलों के सहक्रियाशील अनुप्रयोग के लिये किया गया।
- इस रक्षा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की रक्षा हेतु सभी कमान बलों की प्रक्रियाओं एवं ड्रिलों की प्रैक्टिस करने के साथ-साथ उनका सुदृढ़ीकरण करना था।
- इसके अंतर्गत फाइटर्स, विशेष बलों, नौसेना जहाजों तथा हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट वायुयानों समेत मुख्य ज़मीनी एक्रेटिशनल बलों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय विज्ञान संघ

अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय विज्ञान संघ (International Union of Geological Sciences - IUGS) भूगर्भ विज्ञान के ओलंपिक्स के रूप में विख्यात है। आई.यू.जी.एस. के तत्त्वावधान में आई.जी.सी. (International Geological Congress - IGC) का आयोजन हर चार वर्ष में वैश्विक निविदा की प्रक्रिया के ज़िरये होता है।

- अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ, भूविज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है।
- आई.यू.जी.एस. की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। यह इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस (आईसीएसयू) का एक वैज्ञानिक संघीय सदस्य भी है, जहाँ इसे विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के समन्वयन निकाय के रूप में जाना जाता है।
- वर्तमान में आई.यू.जी.एस. के अंतर्गत एक 121 अनुवर्ती संगठनों के माध्यम से 121 देशों (और क्षेत्रों) के भूवैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्त्व शामिल है।
- आई.यू.जी.एस. भूगर्भीय समस्याओं (विशेषकर दुनिया के महत्त्व की) के अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और अंतःविषय सहयोग की सुविधा और सहायता प्रदान करता है।
- आई.यू.जी.एस का सचिवालय चीन के बीजिंग शहर में भूवैज्ञानिक विज्ञान के चीनी अकादमी (Chinese Academy of Geological Sciences) में अवस्थित है।
- आई.यू.जी.एस., इंटरनेशनल जियोसाइंस प्रोग्राम (International Geoscience Programme -IGCP) हेतु यूनेस्को का एक संयुक्त सहयोगी संगठन है।
- इनके द्वारा संयुक्त रूप से ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेशनल जियोपार्क (Global Network of National Geoparks -GGN) में भी भाग
- जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा आई.यू.जी.एस. पब्लिकेशंस के प्रकाशनों और उनके वितरण संबंधी मामलों की देख-रेख की जाती

बैक्टीरिया से बनाया गया सबसे छोटा डाटा रिकॉर्डर

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने प्राकृतिक जीवाणु प्रतिरक्षा प्रणाली को दुनिया के सबसे छोटे डाटा रिकॉर्डर में परिवर्तित करने में सफलता हासिल की है।

- बैक्टीरिया सेल्स (जीवाणु कोशिकाओं) के ज़िरये बीमारियों के उपचार से लेकर पर्यावरण निगरानी तक हर कार्य में यह तकनीक अहम् साबित होगी।
- अमेरिका के 'कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर' के शोधकर्त्ताओं ने लैब में जीवाणु को ऐसे रूप में परिवर्तित किया, जिसे रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर के अंदर भेजा जा सके।





- चूँकि ये अतिसूक्ष्म होते हैं, इसलिये इन्हें इस तरह से बनाया गया कि ये अंदर की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकें।
- ये न केवल आंतरिक गतिविधियों बल्कि मौसम के साथ होने वाले परिवर्तन को भी बता सकते हैं।
- इस तकनीक का प्रयोग पर्यावरणीय संवेदना, पारिस्थितिकी और कीटाणु-विज्ञान के बुनियादी अध्ययन में भी किया जा सकता है।
- इस माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शी रिकॉर्डर को बनाने में प्लाजिम्ड नामक डीएनए के टुकड़े को परिवर्तित किया गया।
- शोधकर्त्ताओं का मानना है कि इस तरह मरीज के पाचन तंत्र की मदद से उसके शरीर की बीमारियों का पता लगाने में यह तकनीक मददगार साबित हो सकती है।

राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (National Foundation for Communal Harmony)

राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (एन.एफ.सी.एच.) द्वारा 19 से 25 नवंबर 2017 के मध्य सांप्रदायिक सद्भाव अभियान और फंड रेजिंग (Communal Harmony Campaign and Fund Raising) सप्ताह का आयोजन किया गया।

- एन.एफ.सी.एच. गृह मंत्रालय के साथ संबद्ध एक स्वायत्त संगठन (autonomous organization) है।
- यह कौमी एकता (Qaumi Ekta) वीक के साथ मिलकर सांप्रदायिक सद्भाव अभियान का आयोजन करता है।
- यह सांप्रदायिक सद्भाव झंडा दिवस (Communal Harmony Flag Day) का भी पर्यवेक्षण करता है।
- यह प्रतिष्ठान सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को मज़बूती प्रदान करने की दिशा में भी काम करता है।
- इस प्रतिष्ठान द्वारा आरंभ 'सहायता' प्रोजेक्ट के तहत सांप्रदायिक, जातिवाद, नस्लवाद तथा आतंकवादी हिंसा के कारण अनाथ अथवा निराश्रित हुए बच्चों हेतु आवश्यक राहत तथा पुनर्वास के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

गेको (Gecko) की एक और नई प्रजाति की खोज

- 1. हाल ही में उत्तरी आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में गेको की एक नई स्थानिक प्रजाति (एक प्रकार की छिपकली) की खोज की गई।
- 2. ओडिशा के प्रसिद्ध चिकित्सक सुशील कुमार दत्ता के नाम पर नामित, हेमीडैक्टिलस सुशीलदत्ताई (Hemidactylus sushilduttai) या दत्ता की महेंद्रगिरि गेको (Dutta's Mahendragiri gecko) इस परिवार की 32वीं प्रजाति है। यह अपने वर्ग की सबसे बड़ी प्रजाति है।
- 3. दनिया भर में इस वर्ग की तकरीबन 90 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- इस पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली गेको की यह दूसरी स्थानिक प्रजाति है।
- 5. इस क्षेत्र में पाई जाने वाली अन्य स्थानीय प्रजातियों में यह तीसरी कशेरुक प्रजाति है। अन्य दो प्रजातियाँ जेपोर इंडियन गेको (Cyrtodactylus Jeyporensis) और जेजीनियोफिस ओरिएंटलिस (Caecilian Amphibian) हैं।
- 6. दत्ता की महेंद्रगिरि गेको की कुल लंबाई 225 मिमी. होती है। इसकी पूँछ की लंबाई इसकी समस्त लंबाई की आधी होती है।
- 7. यह एक रात्रिचर प्राणी है।
- 8. यह समुद्री स्तर से 250-1100 मीटर की ऊँचाई वाली चट्टानों, बड़े पेड़ों और कॉफी बागानों में पाई जाती है।

दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त राजनेता

वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त राजनेता (artificial intelligence politician) का विकास किया है, जिसे 'सैम' (SAM) कहा जा रहा है।





- सैम नामक यह आभासी राजनीतिज्ञ, न्यूजीलैंड के एक 49 वर्षीय उद्यमी निक गेरिट्सेन द्वारा बनाया गया है।
- सैम स्थानीय मुद्दों जैसे आवास, शिक्षा और आव्रजन (migration) से संबंधित नीतियों के बारे में किसी व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब दे सकता है।
- सैम लगातार फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से लोगों को जवाब देना सीख रहा है।

टेराहर्ट्ज़ इमेजिंग (Terahertz imaging) क्या है?

- यह एक स्कैनिंग तकनीक है। इसके अंतर्गत घनी सतहों में प्रवेश करने के लिये बेहद उच्च आवृत्ति वाली तरंगों का उपयोग किया जाता है। मूल रूप से इसे पेट्रोलियम भंडार की खोज में उपयोग किया जाता है।
- हालाँकि, अब इसका इस्तेमाल कला के उद्धार (Art Restoration) में भी किया जाता है. ये तरंगें किसी भी चित्रकला में प्रयुक्त रंग की परतों को भेद कर उस चित्र में (बगैर कोई नुकसान पहुँचाए) विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं।
- सिम्नल प्रोसेसिंग के बिना, शोधकर्ता केवल 100 से 150 माइक्रोन की परतों की ही पहचान कर सकते हैं, लेकिन उन्नत प्रसंस्करण का उपयोग करके वे 20 माइक्रोन तक की महीन परतों को भी भेद सकते हैं।
- पुराने समय की कला के साथ-साथ इस गैर-विनाशकारी तकनीक का इस्तेमाल त्वचा के कैंसर का पता लगाने, टरबाइन ब्लेड कोटिंग्स का उचित
 आसंजन सुनिश्चित करने और ऑटोमोटिव पेंट की मोटाई को मापने के लिये भी किया जा सकता है।

एग्लाइ एक्सीलेरेटर क्या है?

- हाल ही में फ्राँस के पेरिस शहर में प्राचीन तथा अनमोल कलाओं की नाज़ुक एवं खुबसूरत कलाकारी के गंभीर विश्लेषण में सहायता प्रदान करने के लिये दुनिया के एकमात्र समर्पित कण त्वरक (particle accelerator dedicated) को स्थापित किया गया है।
- इस 37 मीटर लंबाई वाले एग्ली एक्सीलेरेटर (AGLAE Accelerator) को पेरिस संग्रहालय के नीचे स्थापित किया गया है।
- इसे जैविक सामग्री से बनी अन्य वस्तुओं एवं चित्रों की प्रमाणित के विषय में जानने के लिये नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाएगा।
- यह एक्सीलेरेटर हीलियम और हाइड्रोजन नाभिकों की गित को बढ़ाने (प्रित सेकंड 20,000 से 30,000 किमी.) के बाद वस्तु पर नाभिकों की बौछार करता है।
- इससे विकिरण उत्सर्जित होता है, जिनके माध्यम से चित्र अथवा किसी भी वस्तु का बेहतर ढंग से विश्लेषण किया जा सकता है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य संबंधित सांसद की देख-रेख में चुनी हुई ग्राम पंचायतों के जीवन स्तर में सुधार लाना था।

- इस योजना का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये सार्वजिनक सेवाओं तक पहुँच में सुधार और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है, ताकि ये गाँव पड़ोस की अन्य ग्राम पंचायतों के लिये एक आदर्श उदाहरण पेश कर सकें।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना में ग्राम विकास योजना के तहत 19,732 नई पिरयोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। इसके साथ–साथ अन्य 7,204
 पिरयोजनाएँ लागू की जा रही हैं।





- योजना के तहत तकरीबन 703 सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। कई राज्यों में राज्य सरकारें कार्यक्रमों को लागू करने में मदद कर रही हैं, जिससे सामाजिक विकास के सूचकांकों में सुधार देखने को मिल रहा है।
- आई.सी.डी.एस. केंद्रों में पंजीयन, खुले में शौच से मुक्ति एवं संक्रमण से बचाव के शत-प्रतिशत प्रयास शामिल हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल गाँवों में संक्रमण से बचाव, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने, महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने और नए जन-धन खाते खुलवाने में भी 13 से 19 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज़ की गई है।

स्वच्छ गंगा परियोजना

- केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा ब्रिटेन में रह रहे भारतीय उद्यमियों से गंगा नदी को स्वच्छ करने हेतु चलाई जा रही सरकार की 'नमामि गंगे परियोजना' में सहयोग के लिये आगे आने की अपील की है।
- निर्मल गंगा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गंगा के प्राचीन गौरव को बनाए रखने के लिये लोगों की सहभागिता भी बेहद ज़रूरी है।



- पी.आई.पी. द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, घाटों, शमशानों, जल स्रोतों, उद्यानों, स्वच्छता सेवाओं, सार्वजनिक सुविधाओं एवं नदी के किनारों
 के विकास की 10,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की तीन परियोजनाएँ चल रही हैं, लेकिन इसके लिये और अधिक धन की आवश्यकता है।
- 650 करोड़ रुपए की लागत से पाँच राज्यों में घाटों की 119 परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है।
- निर्मल गंगा सुनिश्चित करने के लिये सरकार सीवेज़ निपटान पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है।

कार्बन उत्सर्जन को ईंधन में परिवर्तित करने वाली झिल्ली

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Massachusetts Institute of Technology - MIT) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई प्रणाली विकसित की है, जो कारों और विमानों से उत्सर्जित होने वाली कार्बन-डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों को उपयोगी ईंधन में परिवर्तित कर सकती है।

- 1. इस नई प्रणाली के अंतर्गत शोधकर्त्ताओं द्वारा लैंथनम (lanthanum), कैल्शियम और लौह ऑक्साइड से बनी एक झिल्ली का इस्तेमाल किया गया। यह कार्बन-डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को झिल्ली के माध्यम से एक ओर से दूसरी ओर गमन करने में सहायक होती है, इस प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड पृथक हो जाती है।
- 2. इस प्रक्रिया के दौरान उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल या तो ईंधन के रूप में या अन्य तरल हाइड्रोकार्बन ईंधन बनाने के लिये हाइड्रोजन अथवा/और पानी के साथ किया जा सकता है।
- 3. इसका उपयोग मेथनॉल (इसे मोटर वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है), सिनगैस आदि के निर्माण में किया जा सकता है।
- 4. भिवष्य में यह नई प्रक्रिया कार्बन के एकत्रीकरण, उपयोग और भंडारण संबंधी प्रौद्योगिकियों का भी हिस्सा बन सकती है।



641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9 दूरभाष : 011-47532596, (+91)8130392354,56 ई-मेल:helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट:www.drishtiIAS.com फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation ट्विटर:twitter.com/drishtiias



5. यदि इसे बिजली उत्पादन के संदर्भ में लागू किया जाता है तो यह जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन

हाल ही में जॉर्जिया के स्थायी प्रतिनिधि तामार बरुचेशविली (Tamar Beruchashvili) को अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन (International Maritime Organization - IMO) के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो जहाज की सुरक्षा और बचाव तथा जहाजों के कारण फैलने वाले समुद्री प्रदूषण से रोकथाम के लिये उत्तरदायी है।
- इसमें 171 सदस्य राज्य और तीन सहयोगी सदस्य हैं।
- आई.एम.ओ. का प्राथमिक उद्देश्य शिपिंग और इसके प्रेषण के लिये एक व्यापक नियामक ढाँचे का विकास और रखरखाव करना है। इसके अंतर्गत सुरक्षा, पर्यावरणीय चिंताएँ, कानुनी मामले, तकनीकी सहयोग, समुद्री सुरक्षा और नौवहन की दक्षता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
- 4. आई.एम.ओ. की संरचना में एक विधानसभा, परिषद, समुद्री सुरक्षा समिति, समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति, कानून समिति, तकनीकी सहयोग समिति और सचिवालय शामिल है।
- 5. आई.एम.ओ. द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संधियों की रूपरेखा तय करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है।
- 6. वस्तुतः यह सामुद्रिक मामलों को विनियमित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के संदर्भ में एक अधिकरण के रूप में कार्य करता है

एशिया और प्रशांत महासागर के लिये संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग

एशिया और प्रशांत महासागर के लिये संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP) एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक क्षेत्रीय विकास शाखा है।

प्रमुख बिंदु

- 1. यह 53 सदस्य देशों और 9 एसोसिएट सदस्यों से बना एक आयोग है.
- 2. इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम में तुर्की से पूर्व में किरिबाती तक और दक्षिण में न्यूजीलैंड से उत्तरी क्षेत्र में रूसी संघ तक फैला हुआ है .
- यही कारण है कि ई.एस.सी.ए.पी. संयुक्त राष्ट्र के पाँच क्षेत्रीय कमीशनों में सबसे व्यापक होने के साथ-साथ 600 से अधिक कर्मचारियों के साथ एशिया-प्रशांत क्षेत्र की संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था है।
- इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय थाईलैंड के बैंकॉक शहर में है।
- 5. ई.एस.सी.ए.पी. सदस्यीय राज्यों हेतु परिणामोन्मुखी परियोजनाएँ विकसित करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और क्षमता निर्माण जैसे महत्त्वपूर्ण पक्षों के संबंध में कार्य करता है।



भारत और विश्व

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी के पुनर्निर्वाचन के मायने

भारत के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने दूसरे कार्यकाल (2018-2027) के लिये चुने गए हैं। इसे एक ओर जहाँ भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह विश्व में भारतीय न्यायपालिका की स्वच्छ छवि का परिचायक भी है। ब्रिटेन के प्रत्याशी जज क्रिस्टोफर ग्रीनवुड और भारत के प्रत्याशी जज दलवीर भंडारी ICJ में नौ वर्ष के कार्यकाल हेतु निर्वाचन के लिये आमने-सामने थे।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है।
- इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था।
- इसका मुख्यालय (पीस पैलेस) हेग (नीदरलैंड) में स्थित है।
- इसके प्रशासनिक व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ वहन करता है।
- इसकी आधिकारिक भाषाएँ अंग्रेजी और फ्रेंच हैं।
- ICJ में 15 जज होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद् द्वारा नौ वर्षों के लिये चुने जाते हैं। इसकी गणपूर्ति संख्या (कोरम) 9 है।
- ICJ में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाने के लिये प्रत्याशी को महासभा और सुरक्षा परिषद् दोनों में ही बहुमत प्राप्त करना होता है।
- इन न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर न होकर उच्च नैतिक चरित्र, योग्यता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर उनकी समझ के आधार पर होती है।
- एक ही देश से दो न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं।
- ICJ में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉ. नगेन्द्र सिंह थे।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके सभी 193 सदस्य देश इस न्यायालय से न्याय पाने का अधिकार रखते हैं। हालाँकि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, वे भी यहाँ न्याय पाने के लिये अपील कर सकते हैं।
- न्यायालय द्वारा सभापित तथा उप-सभापित का निर्वाचन और रिजस्ट्रार की नियक्ति होती है।
- मामलों पर निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। सभापित को निर्णायक मत देने का अधिकार है। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है तथा इस पर पुनः अपील नहीं की जा सकती है, परंतु कुछ मामलों में पुनर्विचार किया जा सकता है।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता केंद्र

एस.ए.आर.टी.टी.ए.सी. क्या है?

- एस.ए.आर.टी.टी.ए.सी., आई.एम.एफ. के चौदह क्षेत्रीय केंद्रों के वैश्विक नेटवर्क का एक नवीनतम प्रारूप है।
- यह एक नई तरह की क्षमता विकास संस्था है, जो कि व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में लक्षित तकनीकी सलाह के साथ स्वनिर्धारित प्रशिक्षण को एकीकृत करने तथा दोनों के मध्य सहयोग स्थापित करने का काम करती है।
- एस.ए.आर.टी.टी.ए.सी. को इसके छ: सदस्य देशों बांग्लादेश, भृटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त इसे ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ तथा यूनाइटेड किंगडम की अतिरिक्त सहायता भी प्राप्त होती है।





इसका लक्ष्य क्या है?

- इसका लक्ष्य अपने सदस्य देशों को व्यापक आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों का निर्माण करने तथा उनके अनुपालन के संदर्भ में उनकी संस्थागत और मानव क्षमता को दृढ़ करना है, तािक इस क्षेत्र विशेष की आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने के साथ-साथ गरीबी को भी कम किया जा सके।
- यह इस क्षेत्र में व्यापक आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन, मौद्रिक परिचालनों, वित्तीय क्षेत्र विनियमन एवं पर्यवेक्षण तथा व्यापक आर्थिक आँकड़े जैसे क्षेत्रों में योजना, समन्वय और आई.एम.एफ. की क्षमता विकास गतिविधियों को लागू करने के लिये एक केंद्र-बिन्दु साबित होगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund IMF) एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थित पर नज़र रखने का कार्य करती है।
- यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता प्रदान करती है।
- आई.एम.एफ. का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. संयुक्त राज्य अमेरिका में है|
- आई.एम.एफ. की विशेष मुद्रा एस.डी.आर. (Special Drawing Rights) कहलाती है| ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के लिये कुछ देशों की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, इसे ही एस.डी.आर. कहते हैं|
- एस.डी.आर. के अंतर्गत यू.एस. डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन, यूरो तथा चीन की रेंमिन्बी शामिल हैं।
- आई.एम.एफ. का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगित को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।

दक्षिण चीन सागर

- दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से लगा हुआ और एशिया के दक्षिण-पूर्व में स्थित है।
- यह चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर, जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग करीब 1.4 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र में विस्तृत है और इसमें स्प्राटल और पार्सल जैसे द्वीप समूह शामिल हैं।
- इसके इर्द–गिर्द इंडोनेशिया का करिमाता, मलक्का, फारमोसा जलडमरू मध्य और मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप आते हैं। दक्षिणी इलाका चीन की मुख्यभूमि को छूता है तो दक्षिण–पूर्वी हिस्से पर ताइवान की दावेदारी है।
- दक्षिण चीन सागर के पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया को छूते हैं। पश्चिम में फिलीपींस है, तो दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के बंका व बैंतुंग द्वीप लगे हैं।

क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स?

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वर्ष 1989 में जी-7 की पहल पर स्थापित एक अंतः सरकारी संस्था है।
- इसका उद्देश्य 'टेरर फंडिंग', 'ड्रग्स तस्करी' और 'हवाला कारोबार' पर नज़र रखना है।





क्यों महत्त्वपूर्ण है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स?

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किसी देश को निगरानी सूची में डाल सकती है और उसके बावजूद कार्रवाई न होने पर उसे 'खतरनाक देश'
 घोषित कर सकती है।
- उत्तर कोरिया, ईरान और युगांडा को भी इस सूची में डाला गया है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम और अमेरिका जैसे देश इसकी
 रिपोर्ट का कड़ाई से पालन करते हैं।

व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बावज़ूद मसूद अज़हर पर क्यों नहीं लगते प्रतिबंध?

मसूद अज़हर को वैश्विक आतंकी के तौर पर सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर अपनी तकनीकी रोक को चीन ने अगस्त में तीन महीने के लिये बढ़ा दिया था। दरअसल फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र में इस आशय के प्रस्ताव पर रोक लगाई गई थी।

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति द्वारा हाल ही में इस मुद्दे पर चर्चा होनी है और चीन ने संकेत दिया है कि यहाँ भी वह अपना पुराना राग अलापता नज़र आएगा। इससे पहले भी चीन भारत के इस प्रस्ताव को उल्लेखनीय सहमित मिलने के बावज़ूद भी वीटो करता आया है।

क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति?

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 समिति का गठन वर्ष 1999 के प्रस्ताव-1267 (resolution 1267) के अनुसार किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 समिति को अलकायदा और तालिबान प्रतिबंध समिति के तौर पर भी जाना जाता है।
- आरंभ में इस समिति का गठन तालिबान द्वारा नियंत्रित अफगानिस्तान पर लगाए गए प्रतिबंधों की देख-रेख हेत् किया गया था।
- हालाँकि, बाद में इसे शक्तिशाली बनाते हुए प्रतिबंधात्मक गतिविधियों के संचालन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया।
- यदि किसी व्यक्ति या आतंकवादी संगठन को इस सूची में शामिल किया गया है तो यह उनकी गतिविधियों को रोकने, वित्तीय दंड आरोपित करने और परिसंपत्तियों को ज़ब्त करने में मदद करता है।

अकेले चीन कैसे नहीं होने देता अज़हर को प्रतिबंधित?

- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पिरषद 1267 सिमिति, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पिरषद के सभी 15 सदस्यों से मिलकर बनी है और सर्व-सम्मित से निर्णय लेती है। यदि किसी आशय या निर्णय का एक भी सदस्य द्वारा विरोध किया जाता है तो फिर वह प्रस्ताव पारित नहीं होता।
- यहीं कारण है कि चीन द्वारा विरोध दर्ज़ करने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मसूद अज़हर को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के तौर पर निर्दिष्ट नहीं कर पा रही है और न ही उसकी संपत्ति और यात्राओं पर प्रतिबंध लगा पा रही है।





राष्ट्रीय घटनाक्रम

अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन

अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होंगे तथा छह केंद्रीय मंत्रियों और सभी मुख्यमंत्रियों को इसका सदस्य बनाया गया है। परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया गया है|

क्या है नया?

- पुनर्गठित परिषद के सदस्यों में 6 केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया हैं।
- सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्रशासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री भी परिषद के सदस्य होंगे।
- पुनर्गठित परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्यों में आठ अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।

स्थायी समिति का भी पुनर्गठन

- इसके अलावा सरकार ने अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भी पुनगर्ठन करते हुए गृह मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया है। परिषद की नई
 स्थायी समिति के सदस्यों में चार केंद्रीय मंत्री और सात मुख्यमंत्री शामिल हैं।
- अंतरराज्यीय परिषद को भेजने से पूर्व केंद्र-राज्य संबंधी सभी मामलों पर स्थायी समिति में विचार-विमर्श होगा और इसके बाद ही इन्हें परिषद के विचारार्थ भेजने की संस्तुति की जाएगी।

अंतरराज्यीय परिषद के कार्य

- भारत के संविधान में ऐसी शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों का प्रयोग किये जाने के लिये प्राधिकार के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अनुरूप संविधान ने विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विस्तृत वितरण किया है।
- तदनुसार, विधायी शक्ति का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों—केंद्रीयसूची (सूची।), राज्य सूची (सूची।) और समवर्ती सूची (सूची।।) में वर्गीकृत किया गया है। विधायन की अविशष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं।

सरकारिया आयोग

- केन्द्र सरकार ने केन्द्र और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में 1988 में एक आयोग गठित किया था।
- सरकारिया आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार परिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिये एक स्वतंत्र
 राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतरराज्जीय परिषद स्थापित किये जाने की महत्त्वपूर्ण सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसरण में संविधान के
 अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के दिनांक 28 मई, 1990 के आदेश के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था, जिसकी पहली बैठक
 10 अक्टूबर, 1990 को हुई थी।
- अंतरराज्यीय परिषद को राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करने और सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों या केंद्र और एक या अधिक राज्यों के समान हित वाले विषयों की पड़ताल और विमर्श करने का अधिकार है।
- इस पर ऐसे विवादों पर सिफारिशें देने और नीति तथा कार्य के बीच बेहतर समन्वय के लिये सुझाव देने का दायित्व भी है।





सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र

- सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र 'राष्ट्रीय कमांड कंट्रोल संचार और खुफिया नेटवर्क' (National Command Control Communications and Intelligence Network-NC3I Network) का एक प्रमुख केंद्र है। यह तटीय निगरानी में सुधार करने हेतु शुरू की गई भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की संयुक्त पहल है।
- एनसी3आई नेटवर्क तट से लगे और द्वीपीय क्षेत्रों में स्थित 51 नौसैन्य और कोस्ट गार्ड स्टेशनों को जोड़ता है। यह नेटवर्क इन स्टेशनों को विभिन्न सेंसरों (जैसे-भारतीय कोस्ट गार्ड की कोस्टल राडार चेन और स्वचालित ट्रैकिंग प्रणालियाँ और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल कैमरा) के माध्यम से प्राप्त की गई जाँच संबंधी सुचनाएँ उपलब्ध कराता है।
- आईएमएसी वह केंद्र है, जहाँ विभिन्न संवेदकों से प्राप्त आँकड़ों का संग्रहण होता है, जिनकी जाँच करने के लिये उन्हें विभिन्न स्टेशनों में प्रसारित कर दिया जाता है।
- एनसी3आई नेटवर्क को बंगलुरु स्थित 'भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड' (BEL) द्वारा बनाया गया है। नौसेना का कहना है कि 2012 में स्वीकृत यह
 प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से कार्यान्वित हो चुका है।
- एनसी3आई नेटवर्क और सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र को 'राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र जागरूकता' (National Maritime Domain Awareness) प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है। इस प्रकार एनसी3आई एक संचार केंद्र की भाँति कार्य करता है, जबिक आईएमएसी आँकड़ों के संग्रहण हेतु इसके एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

संविधान के अनुच्छेद 124 (1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, जिसके अनुसार 'भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसका मुखिया भारत का मुख्य न्यायाधीश कहलाएगा। मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक कार्यों के लिये भले ही सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के बराबर अधिकार हो, लेकिन उसे शीर्ष न्यायपालिका का प्रशासनिक प्रमुख माना गया है।

- संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम सात न्यायाधीशों के होने की व्यवस्था की गई है।
- हालाँकि यह भी कहा गया है संसद् कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में पिरवर्तन कर सकती है। वर्तमान में उच्चत्तम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सिहत न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 हो सकती है।
- उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपित द्वारा की जाती है और उनका चयन कॉलेजियम व्यवस्था के तहत किया जाता है। देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है।
- कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी विरष्ट जजों की सिमिति जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है।
- इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला कॉलेजियम करता है। साथ ही उच्च
 न्यायालय के कौन से जज पदोन्नत होकर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
- उल्लेखनीय है कि कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधित प्रावधान में। वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था के अध्यक्ष चीफ जिस्टिस दीपक मिश्रा हैं और जिस्टिस जे. चेलामेश्वरम, जिस्टिस रंजन गोगोई, जिस्टिस मदन बी. लोकूर और जिस्टिस कुरियन जोसेफ इसके सदस्य हैं।





कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर क्यों है विवाद?

- दरअसल, कॉलेजियम पाँच लोगों का समूह है और इन पाँच लोगों में शामिल हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार विरष्ठ न्यायाधीश।
- कॉलेजियम के द्वारा जजों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है। कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर विवाद इसलिये है, क्योंकि यह व्यवस्था नियुक्ति का सूत्रधार और नियुक्तिकर्त्ता दोनों स्वयं ही है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका की भूमिका बिल्कुल नहीं है या है भी तो बस मामूली।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency - NTA) की स्थापना को मंज़्री

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिये प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित करने के लिये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency - NTA) की स्थापना को मंज़्री प्रदान की गई। मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (Indian Societies Registration Act), 1860 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर शीर्ष परीक्षा संगठन के रूप में एन.टी.ए. के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- शुरुआत में एन.टी.ए. द्वारा उन प्रवेश परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा, जिन्हें वर्तमान में सी.बी.एस.ई. द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- एन.टी.ए. द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार ऑनलाइन पद्धित से परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी। ऐसा करने का उद्देश्य विद्यार्थी को उसके सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करना है।
- ग्रामीण छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उप-ज़िला/ज़िला स्तर पर परीक्षा केंद्रों को स्थापित किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो सकेगा विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा एन.टी.ए. को इसके परिचालन के प्रथम वर्ष में 25 करोड़ रुपये का प्रारंभिक अनुदान दिया जाएगा। तत्पश्चात् यह अपने संचालन के लिये आत्मनिर्भर (Self-Sustaining) हो जाएगा।

एन.टी.ए. का गठन

- एन.टी.ए. की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रख्यात शिक्षाविद द्वारा की जाएगी।
- इसके सी.ई.ओ. भारत सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक होंगे।
- इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत एक शासक मंडल भी होगा, जिसके सदस्य प्रयोक्ता संस्थाओं (User Institutions) से होंगे।

इसका प्रभाव क्या होगा?

- एन.टी.ए. की स्थापना से विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में भाग ले रहे लगभग 40 लाख छात्रों को लाभ होगा। इसकी स्थापना के बाद सी.बी.एस.ई. (Central Board of Secondary Education CBSE), ए.आई.सी.टी.ई. (All India Council for Technical Education AICTE) जैसी एजेंसियाँ प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित कराने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगी।
- इसके अतिरिक्त यह छात्रों की योग्यता, बुद्धिमत्ता तथा समस्या निवारण क्षमता के कठिन स्तरों का आकलन करने के लिये उच्च विश्वसनीयता एवं प्रमाणीकरण लाने की दिशा में भी प्रयास करेगा।





इसकी पृष्ठभूमि क्या है?

- विश्व के अधिकांश उन्नत देशों की भाँति भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले हेतु आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने हेतु कोई विशेषीकृत निकाय मौजूद नहीं है।
- एक विशेषीकृत निकाय की आवश्यकता को समझते हुए वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2017-18 के अपने बजट भाषण में उच्च शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सभी प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने हेतु एक स्वायत्त तथा आत्मिनिर्भर शीर्ष परीक्षा संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency - NTA) की स्थापना की घोषणा की गई थी।

भूमि अधिग्रहण बिल पर संसदीय समिति

भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015 को वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बदलाव के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन कई दलों द्वारा इसके विरोध को देखते हुए मई 2015 में इस पर विचार-विमर्श के लिये एक संयुक्त संसदीय समिति गठित कर दी गई।

क्या है भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015?

- भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (संशोधन) विधेयक 2015, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में संशोधन की मंज़्री देता है।
- संभावना व्यक्त की जा रही है कि अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव से किसानों को सरकार की ओर से अनिवार्य रूप से अधिग्रहीत भूमि के बदले में बेहतर मुआवज़ा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ मिलेंगे।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में संशोधन क्यों?

- भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 पहली जनवरी, 2014 से लागू हुआ था।
- हालाँकि अधिनियम को लागू करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।
- इसके अलावा, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिये अपेक्षित ज़मीन के अधिग्रहण में प्रक्रियागत मुश्किलें भी कम करने की ज़रूरत थी। उन मुश्किलों को दूर करने के लिये अधिनियम में कुछ संशोधन किये गए।

विधेयक में क्या?

- वह विधेयक भूमि उपयोग की पाँच विशेष श्रेणियाँ निर्धारित करता है, वे श्रेणियाँ हैं:
 - t器
 - 2. ग्रामीण बुनियादी ढाँचा
 - 3. किफायती आवास
 - 4. औद्योगिक गलियारे
 - 5. सार्वजनिक-निजी भागीदारी सहित बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ जहाँ केंद्र सरकार ज़मीन की मालिक है।
- 2013 के कानून में प्रावधान था कि कोई भी ज़मीन सिर्फ तभी अधिग्रहीत की जा सकती है जब कम-से-कम 70 प्रतिशत ज़मीन मालिक इसके
 लिये अनुमित दें, लेकिन इस संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था।





- यह विधेयक उपरोक्त पाँच श्रेणियों से संबंधित परियोजनाओं के लिये सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) से छूट
 प्रदान करता है, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था।
- यह विधेयक अन्य अधिनियमों जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और रेलवे अधिनियम के तहत पुनर्वास और मुआवजे के प्रावधानों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत लाने की व्यवस्था करता है।

क्यों गठित की जाती है संयुक्त संसदीय समिति?

- संयुक्त संसदीय सिमिति, संसद द्वारा गठित की जाने वाली एक तदर्थ सिमिति है। इसका गठन संसद द्वारा किसी विशेष मुद्दे या रिपोर्ट की जाँच के लिये किया जाता है।
- दरअसल, संसद के पास काम की अधिकता होती है तथा समय सीमित होता है, ऐसे में यह सभी विधेयकों एवं रिपोर्टों की जाँच करने में कठिनाई
 को देखते हुए विभिन्न विधेयकों, मुद्दों एवं संसद में पेश की गई रिपोर्टों की जाँच तथा परीक्षण के लिये संयुक्त संसदीय सिमितियाँ गठित की जाती
 हैं।
- संयुक्त सिमितियाँ संसद के किसी भी एक सदन द्वारा पारित एवं दूसरे सदन द्वारा सहमित व्यक्त किये जाने पर ही गठित की जाती है तथा सदस्यता
 आदि का निर्णय भी संसद द्वारा ही किया जाता है।

न्यायपालिका हेत् अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने के लिये (बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 01.04.2017 से 31.03.2020 के अतिरिक्त) राष्ट्रीय न्याय सुपुर्दगी एवं न्यायिक सुधार मिशन के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन मिशन मोड में जारी रखने को मंज़्री दी।

मंत्रिमंडल द्वारा न्याय विभाग द्वारा जीओ टैगिंग के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की स्थापना को भी मंज़्री दी गई।

उद्देश्य

 इसका उद्देश्य भविष्य की परियोजनाओं के साथ-साथ संपूर्ण देश में न्यायालय परिसरों का निर्माण करना, आवासीय यूनिटों के संबंध में नियमावली तैयार करना है।

लाभ

- इस स्कीम से ज़िला, उप-ज़िला, तालुका, तहसील एवं ग्राम पंचायत और गाँव स्तर सिहत संपूर्ण देश के ज़िला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिये उपयुक्त संख्या में न्याय परिसर और आवासीय यूनिट की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी।
- इससे देश भर में न्यायपालिका कार्य प्रणाली और कार्य प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी।

वित्तीय सहायता

- ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिये न्यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिये
 केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इससे ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिये 3000 न्यायालय परिसरों और 1800 आवासीय यूनिटों की निर्माणाधीन परियोजना को पूरा करने में मदद मिलेगी।





केंद्र एवं राज्यों के मध्य निधि आवंटन का अनुपात



परियोजना की निगरानी संबंधी प्रावधान

- न्याय विभाग द्वारा एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से कार्य प्रगति, निर्माणाधीन न्यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों की कार्य प्रगति संबंधी आँकड़े एकत्रित किये जाने के साथ-साथ बेहतर परिसंपत्ति प्रबंधन भी सरलता से किया जा सकेगा।
- त्विरत और बेहतर निर्माण को सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न राज्यों में राज्य के मुख्य सिचवों और पी.डब्लू.डी. अधिकारियों के साथ मॉनिटिरंग सिमित की नियमित बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

अंधविश्वास-निरोधक विधेयक

कर्नाटक राज्य विधानसभा द्वारा अंधविश्वास निरोधक विधेयक (Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Bill) को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक को राज्य सरकार द्वारा सितंबर माह में पारित किया गया था।

- इस विधेयक को न्यूनतम संशोधनों के साथ अंतिम रूप प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत वास्तु तथा ज्योतिष शास्त्र को शामिल नहीं किया गया है।
- इसके साथ-साथ एक उच्च जाति समुदाय (माधव ब्राह्मण) में प्रचलित एक प्रथा, जिसमें शरीर पर 'मुद्रा' (हिंदूओं और बौद्ध के समारोहों एवं मृर्तियों तथा भारतीय नृत्य में प्रयुक्त प्रतीकात्मक हाथ का इशारा) का मृद्रांकन किया जाता है, को छूट प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु

- कर्नाटक में सिद्दुभुक्टी, माता, ओखली जैसे कई रिवाज़ आपराधिक माने गए हैं, जिनसे इंसान की जान को खतरा होता है। विधेयक के अनुसार,
 अगर ऐसी किसी दिकयानुसी प्रथा से इंसान की जान चली जाती है तो दोषियों को मौत की सज़ा भी दी जा सकती है।
- विधेयक में अंधविश्वास को फैलाने वाले तत्त्वों के खिलाफ एक्शन लेने का भी प्रावधान है। यदि गाँव का ओझा ग्रामीणों को झाड़-फूँक के जाल में फँसाएगा तो उसके अलावा उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जो उसका प्रचार-प्रसार कर रहा है। इसके लिये सरकार प्रचार के सभी माध्यमों पर भी नज़र रखेगी।
- इस विधेयक में नर बिल पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव किया गया है। अंधिवश्वास निरोधी विधेयक में नर बिल के साथ-साथ पशु की गर्दन पर वार कर उसकी बिल पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।
- इस विधेयक में 'बाईबिगा प्रथा' के नाम पर लोहे की रॉड को मुँह के आर-पार करते हुए करतब करना, 'बनामाथी प्रथा' के नाम पर पथराव करना,
 तंत्र-मंत्र से प्रेत या आत्मा को बुलाने की मान्यता पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।





- अंधविश्वास विरोधी विधेयक में धर्म के नाम पर महिलाओं और बिच्चियों को देवदासी बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस विधेयक में धर्म के नाम पर महिलाओं और लड़िकयों के यौन शोषण को रोकने और खत्म करने का प्रावधान किया गया है।
- विदित हो कि महाराष्ट्र में बहुत पहले से ऐसा ही एक कानून मौजूद है।
- कुप्रथाओं के उन्मूलन में कानूनी प्रावधानों की उपयोगिता अवश्य है, लेकिन समाज से अंधविश्वासों को जड़ से समाप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं है।
- कुछ लोगों का मत यह हो सकता है कि प्रस्तावित कानून संविधान के अनुच्छेद 25 (प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार) का उल्लंघन करता है। हालाँकि इसे एक उचित प्रतिबंध के रूप में देखा जाना चाहिये, क्योंकि इससे सार्वजनिक हित सुनिश्चित होता है।

वर्ष 2018 से दिल्ली में बी.एस. - VI लागू

कॉप-21 के संबंध में भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप भारत सरकार द्वारा वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और इन्हें अधिक ईंधन कुशल बनाने के मद्देनज़र भारी प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ स्वस्थ पर्यावरण को कायम रखना है। यही कारण है कि सरकार द्वारा भारत में ईंधन की गुणवत्ता में इज़ाफा करने के लिये वाहन उत्सर्जन मानकों यानी भारत स्टेज (बी.एस.) नियमों को लागू किया जा रहा है।

- अभी तक पूरे देश में यातायात ईंधन बीएस-IV (1 अप्रैल 2017 से शुरू) लागू थे।
- सरकार ने सभी हितधारकों के साथ काफी परामर्श करने के बाद इस दिशा में अगला कदम उठाया है। ध्यातव्य है कि सरकार द्वारा भारत में बीएस-IV से सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बीएस-VI ग्रेड को 1 अप्रैल, 2020 से लागू करने का फैसला लिया गया है।
- इस प्रकार बीएस-V ग्रेड को बीच में ही स्थगित कर दिया गया है।
- तेल शोधन कंपनियाँ बीएस-VI ग्रेड ईंधन के उत्पादन के लिये भारी मात्रा में निवेश कर रही हैं।

राजधानी दिल्ली में बीएस-VI 1 अप्रैल, 2018 से ही लागू होंगे

- दिल्ली और आस-पास के इलाकों में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीएस-VI ग्रेड ईंधन को 1 अप्रैल 2020 के बजाय 1 अप्रैल, 2018 से ही लागू करने का निर्णय लिया गया है।
- इसके साथ-साथ सरकार द्वारा तेल कंपनियों से भी आग्रह किया गया है कि वे पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बीएस-VI ग्रेड ईंधन को 1 अप्रैल, 2018 से शुरू करने की संभावनाएँ तलाश करें।

बी.एस. मानक क्या हैं?

- वस्तुत: बीएस का मतलब है 'भारत स्टेज' (Bharat stage), इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण का पता चलता है।
- वायु प्रदूषण फैलाने वाली मोटर गाड़ियों के साथ-साथ इंजन द्वारा संचालित होने वाले सभी उपकरणों के लिये केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में
 'बीएस उत्सर्जन मानकों' (Bharat stage emission standards) की शुरुआत की गई थी।
- बीएस मानक यूरोपीय नियमों पर आधारित मानक हैं। यद्यपि अलग-अलग देशों में ये मानक अलग-अलग भी हो सकते हैं, जैसे अमेरिका में ये
 टीयर-1, टीयर-2 के रूप में होते हैं, वहीं यूरोप में इन्हें यूरो मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है।





• वस्तुतः बीएस के साथ जो संख्या संलग्न होती है उससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि किस इंजन से कितना प्रदूषण फैलता है। यानी संख्या जितनी ज़्यादा अधिक, उतना कम प्रदूषण। उदाहरण के लिये, बीएस-2 स्तर के वाहन बीएस-3 स्तर के वाहनों से ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।

भारतीय परिदृश्य में बीएस मानक

- भारत में उत्सर्जन मानकों का आरंभ वर्ष 1991 में हुआ था हालाँकि इस प्रकार के नियम केवल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर ही लागू होते थे,
 लेकिन इन मानकों के लागू होने के अगले ही वर्ष से डीज़ल चालित वाहनों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया।
- इसके बाद वर्ष 2005 और 2006 के आसपास, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये बीएस-3 मानकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ-साथ
 देश के अन्य कई शहरों में शुरू किया गया।
- उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में बीएस-3 मानकों का अनुपालन वर्ष 2010 से शुरू किया गया, जबिक विश्व के अन्य विकसित देश में [यूरो-4 (जनवरी 2005), यूरो-5 (सितंबर 2009) और यूरो-6 (सितंबर 2014)] में यह पहल बहुत पहले ही शुरू हो गई थी।

समेकित बाल विकास सेवा अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत निहित उपयोजनाओं से संबंधित मुद्दे

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने समेकित बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services - ICDS) अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत निहित उपयोजनाओं को 01 अप्रैल, 2017 से 30 नवंबर, 2018 तक जारी रखने के संबंध में मंज़ूरी प्रदान की है।

आई.सी.डी.एस. योजना के अंतर्गत शामिल उपयोजनाएँ हैं:

- ✓ आंगनवाडी सेवा
- ✓ किशोरी योजना
- ✓ बाल संरक्षण सेवा
- √ राष्ट्रीय शिशु गृह योजना
- इसके साथ-साथ मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित को भी मंज़्री दी गई है:
 - ✓ 11-14 आयु वर्ग की स्कूल बाह्य लड़िकयों के लिये किशोरी योजना (Scheme for Adolescent Girls for out of school) का कार्यान्वयन तथा इसका चरणबद्ध विस्तार।
 - ✓ 11-14 आयु वर्ग की स्कूल बाह्य लड़िकयों के लिये चल रही किशोरी शक्ति योजना (Kishori Shakti Yojana) का चरणबद्ध तरीके से समापन।

वित्तीय आवंटन

- सभी राज्यों तथा विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिये 60-40 वित्तीय आवंटन।
- पूर्वोत्तर तथा हिमालयन राज्यों के लिये 90:10।
- विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिये 100 प्रतिशत।





संशोधन

- केंद्र और राज्यों के बीच इस संशोधित लागत भागीदारी के साथ राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में परिवर्तित किया गया है।
- इस योजना का कार्यान्वयन पहले से मौजूद कार्यान्वयन एजेंसियों के बजाय राज्यों/संघ क्षेत्रों के माध्यम से किया जाएगा।

उद्देश्य

- कुपोषण, रक्ताल्पता तथा जन्म के समय बच्चों में कम वज़न की समस्या का समाधान करना।
- किशोरियों का सशक्तीकरण सुनिश्चित करना।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को संरक्षण प्रदान करना।
- कामकाजी माताओं के बच्चों की देख-रेख हेतु सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करना।
- बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना।
- समय पर कार्यवाही के लिये नकारात्मक अलर्ट जारी करना।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बेहतर निष्पादन के लिये प्रोत्साहित करना।
- निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने एवं अधिक पारदर्शिता लाने हेतु संबंधित मंत्रालय तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण करना।

लाभार्थी

 इस स्कीम के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के अतिरिक्त किशोर युवितयों को लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य

 आंगनवाड़ी सेवा (आईसीडीएस) और बाल संरक्षण सेवा पूरे देश में पहले से ही चल रही है। किशोरी योजना का चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन परियोजनाओं का युक्तिकरण करते हुए इन्हें अम्ब्रेला स्कीम आई.सी.डी.एस. में उपयोजनाओं के रूप में शामिल किया गया। इन योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं:

- आंगनवाडी सेवा
 - 🗸 इस योजना का उद्देश्य छह साल से कम आयु के बच्चों का समग्र विकास करना है।
 - 🗸 इस आयु वर्ग के सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएँ एवं धात्री माताएँ इसके लाभार्थी पात्र हैं।

• किशोरी योजना

- √ इस योजना का उद्देश्य िकशोरियों को सुगमता प्रदान करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना है, तािक पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार
 के माध्यम से उन्हें आत्मिनर्भर तथा जागरूक नागरिक बनाया जा सके।
- स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, स्कूल बाह्य िकशारियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना तथा विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना है।





• बाल संरक्षण सेवा

- 🗸 इस योजना का उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिये सुरक्षित एवं निरापद परिवेश प्रदान करना।
- 🗸 सामाजिक संरक्षण में व्यापक उपायों के माध्यम से 'असुरक्षिता' घटाना।
- 🗸 बच्चों के दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्यवाहियों को रोकना।
- ✓ गैर संस्थानिक देखरेख पर बल देना।
- √ सरकार एवं सभ्य समाज के बीच साझेदारी के लिये एक मंच विकसित करना।
- √ बाल संबद्ध सामाजिक संरक्षण सेवाओं में तालमेल स्थापित करना।

• राष्ट्रीय शिशु गृह योजना

- √ इस योजना का उद्देश्य कामकाजी माताओं हेतु उनके छोटे बच्चों के लिये एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। यह प्रयास महिला
 सशक्तीकरण की दिशा में एक प्रभावकारी कदम साबित होगा।
- साथ ही यह 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के संरक्षण और विकास की दिशा में भी एक उल्लेखनीय पहल है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Awas Yojana -PMAY)

- प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिये आवास की परिकल्पना की है।
- इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये केन्द्र सरकार ने एक व्यापक मिशन '2022 तक सबके लिये आवास' शुरू किया है।
- इस योजना के तहत सभी बेघर और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत ग्रामीण आवास योजना 'ग्रामीण' के क्रियान्वयन को अनुमित प्रदान कर दी है।
- गौरतलब है कि निर्माण क्षेत्र, भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार प्रदाता क्षेत्र है। इस क्षेत्र का सीधा संबंध 250 से भी ज्यादा उद्योगों से है।

फोन पर जाति-सूचक अभद्रता एक अपराध है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Caste and Scheduled Tribe) के साथ होने वाले अभद्र व्यवहार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला सुनाया कि सार्वजनिक स्थान पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के खिलाफ फोन पर जातिवादी टिप्पणियों का प्रयोग एक दंडनीय अपराध (इसके तहत अधिकतम पाँच साल की जेल भी सुनिश्चित की गई है) है।

मुद्दा क्या है?

- कुछ समय पहले एक व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की एक महिला के साथ अपमानजनक जातिवादी टिप्पणियाँ करने का मुद्दा प्रकाश में आया था।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाई न करने तथा एफ.आई.आर. रद्द करने के संबंध में अस्वीकृति व्यक्त की है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उक्त व्यक्ति को इस परीक्षण (trial) के दौरान यह साबित करना होगा कि उसने सार्वजनिक स्थान पर किसी महिला के साथ फोन पर इस प्रकार की बात नहीं की है।





अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(s)

• विदित हो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(एस) के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य के साथ जाति-सूचक अभद्रता ऐसे स्थान पर करता है, जो कि एक सार्वजनिक स्थान है तो उसे एक दंडनीय अपराध माना जाएगा।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 की विशेषताएँ

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध िकये जाने वाले अपराधों में निम्नलिखित शामिल है:
 - √ सिर और मूँछ के बालों का मुंडन कराना।
 - ✓ समुदाय के लोगों को जूते की माला पहनाना।
 - 🗸 सिंचाई सुविधाओं तक जाने से रोकना या वन अधिकारों से वंचित रखना।
 - मानव और पश् नरकंकाल को निपटाने और लाने-ले जाने के लिये बाध्य करना।
 - √ कब्र खोदने के लिये बाध्य करना।
 - √ सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उपयोग और अनुमित देना।
 - 🗸 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित करना।
 - ✓ जातिस्चक शब्द कहना।
 - √ जाद्-टोना अत्याचार को बढ़ावा देना।
 - ✓ सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना।
 - 🗸 चुनाव लड़ने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकना।
 - 🗸 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को वस्त्रहरण कर आहत करना।
 - 🗸 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य को घर-गाँव और आवास छोड़ने के लिये बाध्य करना।
 - 🗸 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पूजनीय वस्तुओं को विरूपित करना।
 - 🗸 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार करना।
 - 🗸 यौन दुर्व्यवहार भाव से उन्हें छूना और अभद्र भाषा का उपयोग करना।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु 'महिला शक्ति केंद्र' का महत्व

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs) द्वारा वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 की अविध के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का विस्तारीकरण करते हुए उन्हें 'महिलाओं के लिये सुरक्षा और सशक्तीकरण मिशन' (Mission for Protection and Empowerment for Women) नामक अम्ब्रेला स्कीम में शामिल किये जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 'प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्रट (Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra) नामक नई स्कीम को भी मंज़्री प्रदान की गई।
- इस योजना के तहत सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि एक ऐसे परिवेश का निर्माण किया जा सके, जिसमें महिलाएँ अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकें।
- इसके अलावा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की सफलता को देखते हुए इसके विस्तार को भी मंज़्री प्रदान की गई है।





इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं -

- घटते हुए लिंगानुपात में सुधार करना।
- नवजात कन्या की उत्तरजीविता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- उसकी शिक्षा को सुनिश्चित करना और उसकी क्षमता को पूर्ण करने के लिये उसे सशक्त बनाना।
- ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों हेत् सरकार से संपर्क करने के लिये इंटरफेस प्रदान करना।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना।
- स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थी, स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा और लैंगिक समानता की भावना को प्रोत्साहित करना।

अम्ब्रेला स्कीम के मुख्य कार्यकलाप

- प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र नई स्कीम की परिकल्पना विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के लिये की गई है।
- राष्ट्र स्तरीय (क्षेत्र आधारित ज्ञान सहायता) और राज्य स्तरीय (महिलाओं के लिये राज्य संसाधन केंद्र) संरचनाएँ महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर संबंधित सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।
- ज़िला और ब्लॉक-स्तरीय केंद्र महिला शक्ति केंद्र को सहायता प्रदान करेंगे।
- स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थियों के माध्यम से सामुदायिक सेवा की परिकल्पना प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र खंड-स्तरीय पहलों के रूप में, 115 अत्यधिक पिछड़े ज़िलों के रूप में परिकल्पित की गई है।
- स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थी विभिन्न महत्त्वपूर्ण सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता सृजन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थियों के कार्यकलापों पर आधारित प्रमाण को वैब आधारित प्रणाली के माध्यम से मॉनीटर किया जाएगा।
- कार्य समाप्ति पर सामुदायिक सेवा के प्रमाण-पत्रों को सत्यापन के लिये राष्ट्रीय पोर्टल पर दर्शाया जाएगा और प्रतिभागी विद्यार्थी भविष्य में इन्हें अपने संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

वन स्टॉप सेंटरों की स्थापना

- हिंसा से पीड़ित महिलाओं को समावेशी सहायता प्रदान करने के लिये इस अवधि के दौरान 150 अतिरिक्त ज़िलों में वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) की स्थापना की जाएगी।
- इन वन स्टॉप सेंटरों को महिला हेल्पलाइन के साथ जोड़ा जाएगा।
- देश भर के सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 24 घंटे की आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया
 प्रणाली प्रदान की जाएगी।
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्वैच्छिक आधार पर मिहला पुलिस स्वेच्छाकर्मियों (एमपीवी) को संलग्न करके एक अद्वितीय पहल शुरू की जाएगी, जिससे कि जनता-पुलिस संपर्क स्थापित किया जा सके।
- सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 65 ज़िलों में इसका विस्तार किया जाएगा।

योजना की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन:

- इस योजना के तहत सभी उप-योजनाओं की योजना, समीक्षा और निगरानी के लिये राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर एक सामान्य कार्यबल गठित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य कार्यवाही के अभिसरण और लागत प्रभाविकता को सुनिश्चित करना है।
- नीति आयोग द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार, सभी उप-योजनाओं के लिये सूचकों पर आधारित परिणाम की निगरानी के लिये तंत्र की स्थापना भी की जाएगी।





- इन योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
- सभी उप-योजनाओं का केंद्रीय स्तर, राज्य, ज़िला और खंड स्तर पर एक अंतरनिर्हित निगरानी ढाँचा विकसित किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का एक शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी, 1950 में की गई थी। वस्तुतः यह संविधान के रक्षक के तौर पर काम करता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 तथा 147 संघीय न्यायपालिका से संबंधित हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति।
- संविधान के अंतर्गत 30 न्यायधीशों एवं 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान निहित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

योग्यताएँ

- व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिये।
- कम से कम पाँच साल के लिये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम पाँच वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो; अथवा
- किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो; अथवा
- वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।
- सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिये किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में पाँच वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

कार्यकाल

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है।
- न्यायाधीशों को केवल (महाभियोग) दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग में ज़मानत के सख्त प्रावधान असंवैधानिक घोषित

सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 में शामिल ज़मानत संबंधी प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि इस धारा में निहित प्रावधान इतने कठोर हैं कि आरोपी के लिये ज़मानत पाना लगभग असंभव है। न्यायालय ने इन प्रावधानों को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी बताया है।

क्या है मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा-45 ?

• धन शोधन (रोकथाम) अधिनियम (PMLA)-2002 की धारा-45 के अनुसार न्यायाधीश आरोपी को ज़मानत देने का निर्णय दो स्थितियों में दे सकता है।





- यदि न्यायाधीश के पास इस बात पर भरोसा करने का पर्याप्त आधार हो कि आरोपी ने अपराध नहीं किया होगा।
- न्यायाधीश को इस बात का भी भरोसा होना चाहिये कि आरोपी ज़मानत के बाद इस प्रकार का अपराध दोबारा नहीं करेगा।
- इन दो कठोर शर्तों को न्यायपालिका के चिर-परिचित सिद्धांत "ज़मानत नियम है, जेल एक अपवाद है" (bail is the rule and jail an exception) के भी विरुद्ध माना जा रहा है।





641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9 दूरभाष : 011-47532596, (+91)8130392354, 56 ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation दिवटर: twitter.com/drishtiias



आर्थिक घटनाक्रम

ओएनजीसी और एनजीटी से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु

ओएनजीसी (Oil and Natural Gas Corporation Limited-ONGC) ने नेदुवासल गाँव में विवादास्पद हाइड्रोकार्बन परियोजना से खुद को अलग कर लिया है।

• एनजीटी (National green tribunal-NGT) के समक्ष ओएनजीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि नेदुवासल गाँव में शुरू की जाने वाली यह हाइड्रोकार्बन परियोजना केंद्र सरकार और जी.ई.एम (GEM) लेबोरेटरीज़ लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित एक राजस्व साझाकरण अनुबंध था, जिसमें ओएनजीसी की कोई भूमिका नहीं है।

विरोध के कारण?

- विदित हो कि यह इलाका भूजल से पिरपूर्ण है और यह भूमि तीन ओर से निदयों से घिरी होने की वज़ह से बेहद उपजाऊ है और बहु-फसलीय व्यवस्था के अनुकूल है।
- प्राकृतिक तेल और गैस निकालने की प्रक्रिया की वज़ह से पानी और ज़मीन का प्रदूषण बढ़ने, भूजल स्तर के गिरने, साँस की बीमारियाँ बढ़ने,
 कृषि भूमि के दूषित होने और उसे फिर से उपयोग के लायक बनाने की समस्या से लोग बेहद चिंतित हैं और इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।

एनजीटी क्या है?

- एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण बचाव, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सिहत पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिये अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करने एवं इससे जुड़े हुए मामलों के प्रभावशाली और तीव्र गित से निपटारे के लिये की गई है।
- यह एक विशिष्ट निकाय है, जो पर्यावरण विवादों एवं बहु-अनुशासनिक मामलों को सुविज्ञता से संचालित करने के लिये सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है। अधिकरण का उद्देश्य पर्यावरण के मामलों को द्रुत गित से निपटाना तथा उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करना है।

ओएनजीसी क्या है

- ओएनजीसी सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोलियम कंपनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1955 में भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण के अधीन तेल एवं गैस प्रभाग के रूप में ओएनजीसी का शिलान्यास किया गया था।
- विदित हो कि 14 अगस्त, 1956 को इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया और 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को
 एक निगम में रूपांतरित कर दिया गया था।
- वर्ष 1997 में इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्नों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया, जबिक वर्ष 2010 में महारत्न का दर्ज़ा दिया गया है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड क्या है?

- ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासिनक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की एक मिनिरत्न अनुसूची
 'ए' में केंद्रीय सार्वजिनक क्षेत्र की उद्यम है।
- यह भारत की प्रमुख राष्ट्रीय तेल कंपनी ओएनजीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।





- ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का प्राथमिक कारोबार भारत से बाहर तेल और गैस के उत्पादन के लिये संभावनाएँ तलाश करना है, जिसमें तेल और गैस का अन्वेषण, विकास और उत्पादन शामिल है।
- ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का 17 देशों में 38 तेल और गैस की पिरसंपत्तियों में हिस्सेदारी है। इसने वित्त वर्ष 2017 में क्रमशः 23.4% तेल और भारत के घरेलू तेल और प्राकृतिक गैस का 18.9% उत्पादन किया है।

अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

फिलीपींस के लॉस बानोस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (International Rice Research Institute-IRRI) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक 'राइस फील्ड लेबोरेटरी' (rice field laboratory) का अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।

क्या है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान?

- अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) चावल की किस्मों के विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है, जिसने 'हिरत क्रांति' में अहम् योगदान दिया था।
- यहाँ पर चावन का जीन बैंक भी है, साथ ही यहाँ चावल की सवा लाख से ज्यादा किस्में हैं, जिन्हें 100 देशों से इकट्ठा किया गया है।
- 1960 में स्थापित यह केंद्र चावल अनुसंधान के मामले में सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र है और यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय वैज्ञानिक भी काम करते हैं।
- यह अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्शदात्री समूह (Consultative Group on International Agricultural Research-CGIAR) के तहत स्थापित दुनिया के 15 अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

आईआरआरआई का उद्देश्य

- अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्य उद्देश्य चावल अनुसंधान के ज़रिये भूख और गरीबी को कम करना।
- साथ ही यह चावल की खेती करने वाले किसानों और उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखने का कार्य भी करता है।
- चावल की खेती के संदर्भ में पर्यावरणीय स्थिरता (environmental sustainability) सुनिश्चित करना भी इसका एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।

भारत और आईआरआरआई

- उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एक-दूसरे के साथ मिलकर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, ताकि भारत में सूखा, बाढ़ और लवण सहनशील (drought, flood and salt tolerant) चावल की किस्मों का प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- केंद्र सरकार की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वाराणसी में एक क्षेत्रीय केंद्र खोलने जा रहा है। यह क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थित
 'राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र' के परिसर में खुलेगा।
- वाराणसी केंद्र चावल की उत्पादकता को बढ़ाने, उत्पादन की लागत में कमी करने और किसानों के कौशल में वृद्धि के ज़िरये उनकी आय बढ़ाने
 में मददगार साबित होगा।





'उदय' का बढ़ता दायरा

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत दूसरी वर्षगाँठ पर सरकार द्वारा परिचालन संबंधी सुधार के लिये नागालैंड और संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के साथ चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए। इस योजना के अंतर्गत ये राज्य/संघ-शासित प्रदेश केवल परिचालन संबंधी सुधार करेंगे। ये वित्तीय पुनर्गठन/बॉण्ड के मुद्दे को नहीं उठाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- अनिवार्य वितरण के ज़िरये ट्रांसफॉर्मर मीटिरिंग, उपभोक्ता इंडेक्सिंग और नुकसान की जीआईएस मैपिंग, ट्राँसफॉर्मर/मीटर आदि के उन्नयन/परिवर्तन, उच्च क्वालिटी के उत्पादों की चाहत रखने वाले उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटिरिंग, फीडर ऑडिट आदि के ज़िरये एटी एंड सी (Aggregate Technical and Commercial) नुकसान और ट्राँसिमशन नुकसान को कम किया जा सकेगा।
- साथ ही बिजली की आपूर्ति की लागत और वसूली के बीच के अंतर को भी समाप्त किया जा सकेगा।
- हालाँकि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनी संचालन संबंधी कार्य क्षमता में सुधार और बिजली की आपूर्ति की लागत कम करने के प्रयास किये जाएंगे।
- केंद्र सरकार ऊर्जा के बुनियादी ढाँचे में सुधार और बिजली की लागत कम करने के लिये राज्य/संघ शासित प्रदेश को प्रोत्साहन देगी।
- केंद्रीय योजनाएँ जैसे- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), समन्वित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), बिजली क्षेत्र विकास कोष अथवा बिजली मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अन्य योजनाएँ विद्युत बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये पहले से ही धनराशि प्रदान कर रही हैं।
- इन योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त/प्राथिमकता के रूप में धनराशि देने के बारे में विचार किया जाएगा, यदि राज्य/संघ शासित प्रदेश योजना में दी
 गई संचालन संबंधी उपलब्धियों को पुरा करते हों।
- उदय में ऊर्जा कार्य दक्ष एलईडी बल्बों के इस्तेमाल, कृषि पंपों, पंखों और एयरकंडीशनर तथा पीएटी (परिणत, हासिल करना, व्यापार) के ज़िरये दक्ष औद्योगिक उपकरण, बिजली की अधिक मांग वाले समय में लोड को कम करने में मदद करेंगे, जिससे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में ऊर्जा के उपभोग को कम करने में मदद मिलेगी।
- एटी एंड सी नुकसान का स्तर कम होने का अर्थ है कि उपभोक्ताओं को बिजली की प्रति इकाई कम कीमत अदा करनी पड़ेगी। साथ ही वितरण कंपनी/विद्युत विभाग अधिक बिजली की आपूर्ति करने की स्थिति में होगा।
- इससे उन स्थानों पर तेज़ी से सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकेगी, जहाँ आज भी बिजली नहीं है।
- 24 घंटे बिजली की उपलब्धता से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, उद्योग/पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही इन राज्य/संघ शासित प्रदेशों के लोगों को रोज़गार के और अधिक अवसर मिलेंगे।

क्या है उदय (UDAY)?

- उदय अर्थात् उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (Ujwal DISCOM Assurance Yojana)। डिस्कॉम अर्थात् डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़।
- इस योजना का लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा यह योजना 'उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना' या 'उदय' नाम से प्रारंभ की गई है।

उदय से लाभ

- सभी के लिये सातों दिन चौबीसों घंटे बिजली।
- सभी गाँवों के लिये विद्युतीकरण।





- सक्षम उर्जा सुरक्षा।
- रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये बिजली क्षेत्र में निवेश को पुनर्जीवित करना।
- लगभग सभी विद्युत वितरण कंपिनयों को लाभदायक स्थिति में लाना।
- उदय दक्षता में सुधार कर वार्षिक 1.8 लाख करोड़ की बचत करना।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के महत्त्वपूर्ण निर्णय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation - EPFO) की केंद्रीय बोर्ड की 219वीं बैठक में कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिये गए।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय बोर्ड द्वारा 20 मई से 30 सितंबर 2017 की अवधि के दौरान हुई क्षित के संदर्भ में पात्रहीन प्रतिष्ठानों के संबंध में 10 निवेदनों पर विचार किया गया, जिन्हें ई.पी.एफ.ओ. द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया था।
- विदित हो कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा अगस्त 2015 से इक्विटी एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (Equity Exchange-Traded Funds ETFs) में निवेश शुरू किया गया था। इसी इक्विटी निवेश के मूल्यांकन और हिसाब-किताब के लिये आई.आई.एम. बेंगलूरू के परामर्श से एक लेखांकन नीति तैयार की गई थी।
- लेखांकन नीति में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों को भी शामिल किया गया। इन सभी टिप्पणियों एवं सुझावों
 को केंद्रीय बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
- यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ई.पी.एफ.ओ. की मौजूदा विकेंद्रीकृत प्रणाली में (हितधारकों को भुगतान के संबंध में), जहाँ एक ओर लेन-देन की लागत काफी अधिक आती है, वहीं दूसरी ओर असफल लेन-देन के मामले में दोबारा निधि भेजने में भी काफी विलंब होता है। इसमें 'आधार' के स्तर पर भुगतान की सुविधा नहीं है।
- यही कारण है कि ई.पी.एफ.ओ. द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India NPCI) के रूप में एक केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली (Centralised Payment System) को अपनाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्तावित भुगतान प्रणाली के लाभ इस प्रकार हैं :-

- एन.पी.सी.आई. के ज़रिये लाभार्थियों को उसी दिन (भुगतान के ही दिन) धनराशि का अंतरण।
- 'आधार' के स्तर पर धनराशि के अंतरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- बैंक शुल्क के रूप में लेन-देन का खर्च भी कम होगा।
- इसके अतिरिक्त केंद्रीय बोर्ड द्वारा हितधारकों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिये ई.पी.एफ.ओ. के तहत सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता
 एवं उपयोगिता के संदर्भ में भी विचार किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया –

एकीकृत पोर्टल पर सभी नागरिकों के लिये ऑनलाइन 'आधार' प्रमाणित यू.ए.एन. आवंटन:

- रिटर्न जमा करने और देयता संबंधी ब्योरे के संबंध में सार्वभौमिक खाता संख्या (Universal Account Number UAN) को अनिवार्य बना दिया गया है। हालाँकि, संस्थानों को कर्मचारियों के 'आधार' को अन्य विवरणों से संबद्ध करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
- वस्तुतः इस कठिनाई को दूर करने के लिये ही यह सुविधा दे दी गई है कि कोई भी नागरिक, मौजूदा/भावी कर्मचारी अपने 'आधार' की सहायता से यूएएन प्राप्त कर सकता है, साथ ही उसे के.वाई.सी. विवरण के साथ भी जोड़ सकता है।





नाम, जन्म-तिथि और लिंग विवरण में सुधार हेतु ई.पी.एफ. सब्सक्राइबरों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना :

 डिजिटल भारत के संबंध में सरकार के फैसले के अनुरूप एक अन्य सुविधा विकसित की गई है, जहाँ कोई भी सदस्य नाम, जन्म-तिथि और लिंग विवरण में सुधार के लिये अपने नियोक्ता को ऑनलाइन निवेदन कर सकता है। इस सुविधा को भी एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

उमंग एप

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक नया मोबाइल एप उमंग (यूनीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज़ गवर्नेंस) लॉन्च किया गया।
- इस एप की सहायता से सभी बड़ी सरकारी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर एक्सेस करने में आसानी होगी। वर्तमान में इस कार्य के लिये वेब, एस.एम.एस. एवं आई.वी.आर. जैसी व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जा रहा है।
- इस एप में आधार, डिजीलॉकर, भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) जैसी बहुत सी महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ भी शामिल की गई हैं।
- इतना ही नहीं, उमंग एप को कर का भुगतान करने, एल.पी.जी. सिलेंडर की बुकिंग करने तथा पी.एफ. एकाउंट इत्यादि डिजिटल सुविधाओं के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है।

डिजिटल भारत की राह में पेटीएम का एक और कदम

मोबाइल भुगतान ब्रांड पेटीएम ने यू.पी.आई. यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payments Interface – UPI) का समन्वय करते हुए पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) लेंडिंग की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले कुछ समय से डिजिटल भुगतान के बाज़ार में पेटीएम सबसे व्यापक भुगतान प्रणाली बन कर उभरा है।

- पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) लेंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से निवेश और क़र्ज़ लेना बहुत सरल हो जाता है। इसके तहत प्रदत्त कर्ज़ अथवा लोन का पोर्टफोलियो काफी विविधतापूर्ण होता है, जिसके कारण इसमें जोखिम भी कम होता है।
- इतके अतिरिक्त एक अहम् बात यह है कि इसके अंतर्गत कानूनी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही कर्ज़ दिया जाता है।
- भारत में अभी इसके संबंध में कोई विशेष कानून उपस्थित नहीं है। हालाँकि, इस संबंध में आर.बी.आई. द्वारा कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस अवश्य जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- भीम यू.पी.आई. के साथ एकीकरण होने से पेटीएम के माध्यम से भुगतान करना सरल हो जाएगा।
- इसका कारण यह है कि इससे पेटीएम के अंतर्गत डिजिटल भुगतान हेतु वॉलेट खाता होने की अनिवार्यता अथवा वॉलेट के उपयोग द्वारा मुद्रा हस्तांतरित करने संबंधी बाध्यता समाप्त हो जाएगी।
- यू.पी.आई. के साथ एकीकरण होने का एक अन्य लाभ यह होगा कि अन्य बैंकों के उपभोक्ता भी अब मुद्रा हस्तांतरण के लिये पेटीएम का उपयोग कर सकते हैं।
- इसी बात को ध्यान में रखते हुए पेटीएम द्वारा अपने पी 2 पी लेनदेन में 100% वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है।

भीम एप क्या है?

- यह वित्तीय लेन-देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल एप है।
- इसका पूरा नाम (Bharat Interface For Money) है। यह नाम इसे डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर दिया गया है।
- इस एप के अंतर्गत एक बायोमीट्रिक भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हुए सीधे बैंक खाते से ई-भुगतान किया जा सकता है। यह एकीकृत भुगतान इंटरफेस पर आधारित व्यवस्था है।





- इसे सभी स्मार्ट फोन एवं फीचर फोन के द्वारा उपयोग किया जा सकता है।
- इसके अंतर्गत आधार गेटवे से जुड़े बैंक खाते में अँगूठे के निशान से ही भुगतान किया जा सकता है।
- वस्तुतः इस प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लेन-देन के माध्यम से गरीब से गरीब व्यापारियों एवं हाशिये पर खड़े वर्गों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

आधार पे

- आधार पे एईपीएस पर आधारित मॉडल है, इसे व्यापारियों के लिये शुरू किया गया है।
- केवल मोबाइल फोन पर इस एप को इंस्टाल करके और स्कैनर पर अपने फिंगर प्रिंट को दर्ज़ कराके व्यापारी सभी आधार आधारित खातों से भुगतान शुरू कर सकते है।
- इसके लिये किसी प्रकार के कार्ड या मोबाइल फोन अथवा पीओएस मशीन की आवश्यकता नहीं होती है।
- इसके अंतर्गत भुगतान करने तथा इसे प्रमाणित करने के लिये केवल आधार नंबर और अँगूठे का निशान ही पर्याप्त होता है।

यू.पी.आई. पिन क्या होता है?

- यह मोबाइल नंबर आधारित एक प्रणाली है, जो मोबाइल नंबर के ज़िरये यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ता को उसके बैंक से जुड़ी सभी प्रकार की जानकरियाँ उसके मोबाइल नंबर पर ही उपलब्ध हो सके।
- यू.पी.आई. भुगतान व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ता किसी भी बैंक खाते से मुद्रा का लेन-देन कर सकता है। इसके इस्तेमाल हेतु विभिन्न बैंकों द्वारा अपने-अपने एप शुरू किये गए हैं।

यह कैसे काम करेगा?

- इस नई सुविधा के अंतर्गत उपयोगकर्ता पेटीएम एप्लिकेशन पर अपनी भीम यू.पी.आई. आई.डी. बनाने में सक्षम होंगे। यह आई.डी. पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त पेटीएम उपयोगकर्त्ता मुद्रा भेजने अथवा प्राप्त करने के लिये अपनी पेटीएम भीम यू.पी.आई. आई.डी. के साथ अपने किसी भी अन्य बचत बैंक खातों को भी लिंक कर सकते है।
- पेटीएम भीम यू.पी.आई. के साथ उपयोगकर्त्ता अब आसानी से दो बैंक खाते के बीच सीधा और त्वरित मुद्रा हस्तांतरण कर सकते है।
- साथ ही ऐसा करने के लिये उन्हें अपने बैंक खाते के विवरण और आई.एफ.एस.सी. (Indian Financial System Code IFSC) को भी किसी के साथ साझा नहीं करना पड़ेगा।

मर्चेंट पार्टनर

- इस लक्ष्य प्राप्ति को सफल बनाने के लिये पेटीएम अपने पाँच लाख व्यापारी साझेदारों को पेटीएम भीम यू.पी.आई. आई.डी. बनाने और उस के उपयोग द्वारा मुद्रा का हस्तांतरण करने संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
- इसका लाभ यह होगा कि अब व्यापारी यू.पी.आई. के माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों में धन स्वीकार करने में सक्षम हो सकेंगे।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India NPCI) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक भीम
 यू.पी.आई. के माध्यम से उपयोगकर्त्ता प्रतिदिन मात्र 1 लाख रुपये तक की ही धनराशि भेज सकते हैं, हालाँकि धन प्राप्ति के संबंध में ऐसी कोई
 सीमा तय नहीं की गई है।



ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में भारत ने लगाई 30 स्थानों की छलाँग

विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस (कारोबारी सुगमता) रैंकिंग में भारत पिछले साल के 130वें स्थान से 30 स्थानों की छलाँग लगाते हुए अब 100वें स्थान पर पहुँच गया है। विदित हो कि कई क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है और यही कारण है कि ईज ऑफ डूहंग बिज़नेस में भारत की रैंकिंग सुधरी है।

किन क्षेत्रों में बेहतर हुआ है भारत का प्रदर्शन?

- ज़ल्द कारोबार आरंभ करने के मामले में भारत 156वें स्थान पर पहुँच गया है। इसमें भारत की रैंकिंग में पहले के मुकाबले सुधार हुआ है।
- उद्योगों को बिजली कनेक्शन देने के मामले में भारत 129वें नंबर पर पहुँच गया है। दिवालिया मामलों के निपटान के मामले में भारत 33 स्थान की छलांग लगाकर भारत 103 पर पहुँच गया है।
- जहाँ एक ओर कारोबार के लिये ऋण लेना भी आसान हुआ है, वहीं अल्पसंख्यक शेयरधारकों की हितों की रक्षा के लिये अहम् कदम उठाए गए हैं, साथ में कर अदायगी को आसान बनाने की दिशा में भी सुधारों को बल मिला है।

क्या है ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस?

- किसी देश में कारोबारी सुगमता के स्तर को ही तकनीकी भाषा में 'ईज ऑफ डुइंग बिज़नेस' की रैंकिंग के नाम से जाना जाता है।
- दरअसल इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि कौन सा देश कारोबार आरंभ करने की दृष्टि से कितना बेहतर है?
- विश्व बैंक समूह द्वारा बनाया गया यह सूचकांक व्यावहारिक अनुसंधान (Empirical Research) पर आधारित है।
- उच्च रैंकिंग (कम संख्यात्मक मान) यह दिखाता है कि व्यवसाय करने के लिये सरल प्रक्रिया विद्यमान है और संपदा के अधिकारों की भी सुरक्षा की गई है।
- यह सूचकांक इन 10 उप-निर्देशों के औसत पर आधारित है:
 - 1. कारोबार शुरू करना।
 - 2. निर्माण अनुमति प्राप्त करना।
 - 3. विद्युत प्राप्त करना।
 - 4. संपत्ति को पंजीकृत कराना।
 - क्रेडिट प्राप्त करना।
 - 6. निवेशकों की रक्षा करना।
 - 7. कर चुकाना।
 - 8. सीमापार व्यापार करना।
 - 9. प्रवर्तनीय कॉन्ट्रैक्ट।
 - 10. दिवालियेपन का समाधान करना।

क्यों महत्त्वपूर्ण है यह घटनाक्रम?

- विश्व बैंक की ओर से आज जारी होने वाली यह रिपोर्ट भारत के लिये कई मायने में महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि हाल के दिनों में कारोबारी सुगमता को सहज करने के लिये कई आर्थिक सुधार किये गए हैं।
- यदि इन सुधारों के बावजूद भारत की रैकिंग नहीं सुधरती तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये शुभ संकेत नहीं होता। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की रैंकिंग 190 देशों में भारत 130वें स्थान पर रखा गया था।





क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ द्वारा दी जाने वाली रेटिंग में भी संबंधित देश की ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग का ध्यान रखा जाता है। अतः भारत के लिये 30
स्थानों की यह छलाँग महत्त्वपूर्ण है।

रिकैपिटलाइज़ेशन बॉण्ड से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु

सरकार ने 'रिकैपिटलाइजेशन कार्यक्रम' की घोषणा की है। इसके माध्यम से अगले 18 माह में सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से 2.1 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्युजन (equity infusion) प्राप्त होने की अपेक्षा की जा रही है। विदित हो कि उच्च गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों से प्रभावित हो रहे पीएसबी को धन की आपूर्ति करने के लिये 1.35 ट्रिलियन रुपये के बॉण्ड जारी किये जा रहे हैं। रिकैपिटलाइजेशन बॉण्ड को सरकार द्वारा घोषित 2.11 ट्रिलियन रुपये के कैपिटल इन्फ्युशन पैकेज (capital infusion package) के एक भाग के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

रिकैपिटलाइज़ेशन बॉण्ड क्या है?

- रिकैपिटलाइज़ेशन बॉण्ड एक डेडिकेटेड बॉण्ड (dedicated bond) है, जिसे एनपीए की समस्या का सामना कर रहे 'सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों'
 (Public Sector Banks-PSBs) को रिकैपिटलाइज़ करने के लिये जारी किया जाता है।
- रिकैपिटलाइजेशन शब्द का तात्पर्य किसी संस्था के ऋण को कवर करने के लिये इक्विटी राशि (equity money) देना है। यदि सार्वजिनक क्षेत्रों
 की बात की जाए तो रिकैपिटलाइजेशन के माध्यम से सरकार द्वारा एनपीए (ऋण) को इक्विटी पूंजी से विस्थापित कर दिया जाएगा।
- इन बॉण्ड की बिक्री से प्राप्त धन को सरकारी इक्विटी फंडिंग के तौर पर पीएसबी में दे दिया जाता है।

आरसीबी को कौन जारी करेगा?

- यह कहा जा रहा है कि आरसीबी को एक होल्डिंग कंपनी द्वारा जारी किया जाएगा, जिसका सृजन पीएसबी में सरकारी इक्विटी रखने के लिये किया जाएगा। यदि ऐसी कंपनी कोई बॉण्ड जारी करती है तो यह सरकार के ऋण में नहीं गिना जाएगा और इसलिये यह ऋण राजकोषीय घाटे में नहीं जोड़ा जाएगा।
- संभव है कि एक होल्डिंग कंपनी की स्थापना करके इसमें सभी पीएसबी में रखे सरकार के शेयरों का हस्तांतरण किया जाएगा।
- इसके बाद यह कंपनी प्रस्तावित बॉण्ड जारी करेगी। यदि सरकार बॉण्ड को जारी नहीं करना चाहती है तो भी इस विकल्प का उपयोग िकया जा सकता है।
- यद्यपि इन बॉण्ड को एक पृथक संस्था द्वारा भी जारी किया जा सकता है, परंतु इन्हें सरकारी पहचान प्राप्त होगी।

रिकैपिटलाइज़ेशन बॉण्ड किस प्रकार कार्य करेंगे?

- एक बार होल्डिंग कंपनी द्वारा जारी कर लिये जाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं ही इनकी सदस्यता प्राप्त कर लेंगे। बॉण्ड को जारी करने से प्राप्त
 हुए धन का उपयोग पीएसबी के शेयरों को सब्सक्राइब करने में किया जाएगा और इसे अतिरिक्त सरकारी इक्विटी और पूंजी माना जाएगा। इस
 प्रकार पीएसबी की पूंजी में वृद्धि की जाएगी जिससे उन्हें एनपीए संबंधी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी।
- चूँिक विगत कुछ वर्षों में ऋण वृद्धि (credit growth) कम रही है अतः वर्तमान में बैंकों के पास पर्याप्त धन है। साथ ही बैंकों में विमुद्रीकरण के
 दौरान भी काफी पैसा जमा किया जा चुका है। अनुमान है कि बैंकिंग व्यवस्था में कम से कम 1 ट्रिलियन रूपये हैं, जहाँ जमाकर्त्ताओं को उनके
 आय के स्रोत से अवगत कराना पडता है।





रिकैपिटलाइज़ेशन किस प्रकार एनपीए की समस्या के समाधान में बैंकों को मदद कर सकता है?

- बॉण्ड के जारी होने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार से अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक बैंक द्वारा ली जाने वाली धनराशि का निर्धारण बाद में िकया जाएगा और यह एनपीए समस्या पर ही निर्भर करेगा। तात्पर्य यह है िक जिस बैंक की एनपीए समस्या जितनी बड़ी होगी, उस बैंक को उतनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। यदि एक बार बैंक धन प्राप्त कर लेते हैं तो वे रिकैपिटलाइजेशन से प्राप्त धन का उपयोग करके अपनी बैड लोन संबंधी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
- बेसेल III मानकों के अनुसार, बैंकों के पास न्यूनतम उच्च गुणवत्ता की पूंजी जैसे- इक्विटी पूंजी (टियर 1 पूंजी) होनी चाहिये। इन मानकों के अनुसार न्यूनतम टियर-1 पूंजी 7% है परंतु अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास यह न्यूनतम उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी नहीं होती है।

रिकैपिटलाइज़ेशन बॉण्ड का सरकार के राजकोषीय घाटे पर क्या प्रभाव होगा?

इन बॉण्ड की बिक्री से प्राप्त धन को राजकोषीय घाटे के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, परंतु इसके लिये किया गया ब्याज भुगतान राजकोषीय घाटे का
एक भाग होगा। प्रमुख आर्थिक सलाहकार के अनुसार, इसमें होने वाला वार्षिक ब्याज भुगतान खर्च लगभग 9000 करोड़ रुपये होगा। इस
ब्याज भुगतान खर्च को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राप्त की गई पूंजी के लाभों से कवर कर लिया जाएगा।

भारत में 'पेपाल' की पहल

पेपाल (PayPal) ने भारतीय बाजारों में अपने व्यापार का विस्तार करने के उद्देश्य से देश में अपने घरेलू भुगतान प्लेटफार्म को लॉन्च कर दिया है। डिजिटल भुगतानों की इस कंपनी को पहले भी इसके सीमापारीय लेन-देनों के लिये जाना जाता था, परंतु अब यह भारत में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगी। इसने भारत के एक तिहाई बी2सी (B2C) निर्यात भुगतानों पर नियंत्रण का भी दावा किया है।

प्रमुख बिंदु

- भारत से संचालित होने वाले पेपाल के साथ ही ग्राहक अब इस प्रसिद्ध कंपनी के साथ ऑनलाइन शॉपिंग सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
- पेपाल ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के साथ कार्य करेगा। पेपाल का उपयोग करके ग्राहकों के सामने विश्व भर के सभी व्यापारियों की सूची सामने आएगी, जिससे वे अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यापारी से खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा यह व्यापारियों के लिये भी लाभदायक है, क्योंकि इससे व्यापारियों के लिये कई विकल्प खुलेंगे।
- पेपाल अपने व्यापारियों को उनके कार्य से संबंधित आँकड़े भी उपलब्ध कराएगी, जो उन्हें उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
- इस प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिये पेपाल विनियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करेगा।
- इसमें क्रेता और विक्रेता के मध्य किसी विवाद को निपटाने के लिये 180 दिनों का रिज़ोल्युशन विंडो है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई ऑनलाइन विक्रेता ग्राहकों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं को नहीं भेजता है तो पेपाल ग्राहक को उसके धन का पुनर्भुगतान करेगा। यदि ग्राहक वस्तुओं के लिये विक्रेता को उचित भुगतान नहीं करता है तो व्यापारी को हुई हानि का भी भुगतान करेगा।
- पेपाल का दावा है कि अभी तक इसके ग्राहकों की जानकारी व्यापारियों के साथ साझा नहीं की जाती है, क्योंकि ग्राहकों का बैंक अकाउंट इससे जुड़ा होता है और अन्य जानकारी साझा होने पर उन्हें अपने कार्ड के विवरणों में बदलाव करना पड़ता है।

क्या है पेपाल?

• पेपाल होल्डिंग्स इंक एक अमेरिकी कंपनी है, जो एक विश्वव्यापी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का संचालन करती है।





- यह कंपनी नकद रिहत लेन-देन धन का समर्थन करती है। ये नकद रिहत लेन-देन परंपरागत माध्यमों जैसे-चेक और मनी-आर्डर का इलेक्ट्रॉनिक विकल्प है।
- पेपाल विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट भुगतान कंपनियों में से एक है।
- यह कंपनी ऑनलाइन विक्रेताओं, नीलामी साइट्स और अन्य वाणिज्यिक यूजर्स के लिये एक भुगतान संसाधक (payment processor) है।
- पेपाल की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी और इसने वर्ष 2002 में आईपीओ (initial public offering) की पेशकश की और उसके बाद यह eBay के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।
- वर्ष 2015 में eBay ने पेपाल को एक स्वतंत्र कंपनी में बदलने के लिये आवश्यक योजनाओं की घोषणा की और इसे 18 जुलाई को एक स्वतंत्र कंपनी बना दिया गया।

राज्यस्तरीय ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में तेलंगाना शीर्ष पर काबिज़

वर्ष 2017 के 'बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान' (Business Reforms Action Plan - BRAP) के कार्यान्वयन के आकलन के आधार पर जारी राज्यवार रैंकिंग में तेलंगाना राज्य शीर्ष पर है। इसकी जनवरी 2018 में अंतिम रैंकिंग जारी होने की संभावना है।

राज्यवार रैंकिंग

- इस रैंकिंग में तेलंगाना राज्य को (61.83% के कार्यान्वयन स्कोर के साथ) प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- इसके बाद हरियाणा (54.03%), ओडिशा (45.70%), छत्तीसगढ़ (45.43%) और पश्चिम बंगाल (44.35%) का स्थान आता है।
- गौर करने वाली बात यह है कि यह रैंकिंग स्थायी नहीं है। यह एक गितशील रैंकिंग है। इसके अंतर्गत शामिल राज्यों के स्थानों में इनके बीच होने वाली तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण बदलाव आना स्वाभाविक है।

नोडल मंत्रालय

• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Commerce and Industry Ministry) इसका नोडल मंत्रालय है।

आकलन के आधार बिंदु क्या-क्या हैं?

- इस वर्ष राज्यों में व्यापार करने संबंधी स्थितियों के मूल्यांकन हेतु व्यापक क्षेत्रों में प्रयुक्त निम्नलिखित पक्षों को शामिल किया गयाः-
- कागज रहित कोर्ट (paper-less courts), ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली, ऑनलाइन कर भुगतान, अनुबंध प्रवर्तन (contract enforcement), भूमि की उपलब्धता और आवंटन, बिजली और जल कनेक्शन प्राप्त करने, पारदर्शिता के लिये समर्थन, कर, श्रम नियमन, निर्माण परिमट, पर्यावरण पंजीकरण के साथ-साथ वाणिज्यिक विवाद समाधान और संपत्ति पंजीकरण के लिये ऑनलाइन व्यवस्था जैसे पक्षों को 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' के संदर्भ में राज्यों की रैंकिंग हेतु शामिल किया गया।
- इसमें 'कारखाना अधिनियम' के तहत लाइसेंस के अनुदान और नवीकरण को भी शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत फैक्टरी एक्ट के तहत लाइसेंस के अनुमोदन, नवीनीकरण तथा पंजीकरण; किसी भी इमारत के फैक्ट्री के रूप में निर्माण/विस्तार/उपयोग हेतु योजना बनाने एवं अनुमित प्राप्त करने; बॉयलरों के पंजीकरण और नवीनीकरण के साथ-साथ विभिन्न कानूनों के तहत अनुपालन निरीक्षण को भी शामिल किया गया है।





पिछले साल की रैंकिंग क्या थी?

- पिछले साल इस रैंकिंग में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। हालाँकि, पिछले साल के शीर्ष स्थान धारक राज्य आंध्र प्रदेश (18.01% स्कोर) को वर्तमान रैंकिंग में 14वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- इसी क्रम में पिछले साल तीसरे स्थान पर रहे गुजरात राज्य को इस वर्ष (41.94% अंक के साथ) आठवें स्थान से ही संतोष करना पड़ा। जबिक पिछले साल पाँचवें स्थान पर रहे मध्य प्रदेश राज्य का स्थान इस वर्ष (10.22% के स्कोर के साथ) 22वां रहा।

विश्व बैंक ग्रुप की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति

- हाल ही में जारी विश्व बैंक ग्रुप की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट (World Bank Group's Doing Business Report) में 1 जून, 2016 से 1 जून,
 2017 तक की अविध के दौरान व्यापार क्षेत्र में सुधारों की स्थिति के आकलन को शामिल किया गया।
- ध्यातव्य है कि इसमें शामिल 190 देशों में भारत को 100वाँ स्थान प्राप्त हुआ, जबिक पिछले वर्ष 190 देशों में भारत को 130वाँ स्थान प्राप्त हुआ
 था।

इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन मानदंडों में बदलाव

आई.बी.बी.आई. (Insolvency and Bankruptcy Board of India – IBBI) द्वारा कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (corporate insolvency resolution process) के नियमों में संशोधन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रमोटरों सहित आवेदकों को उनकी क्रेडिट पात्रता और विश्वसनीयता के संबंध में कठोर मानदंडों के दायरे में रखा गया है।

संशोधन के प्रमुख बिंदु

- इन संशोधनों के तहत रिज़ॉल्यूशन पेशेवरों और लेनदारों की सिमिति पर उनके कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के संबंध में पहले की अपेक्षा अधिक ज़िम्मेदारी भी डाली गई है।
- यह संशोधन इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि एक रिजॉल्यूशन योजना (resolution plan) के अनुमोदन से पहले भाग के रूप में पूर्वोत्तर रिकॉर्ड, क्रेडिट योग्यता तथा प्रमोटरों सहित रिजॉल्यूशन आवेदक (resolution applicant) की विश्वसनीयता को सीओसी (Committee of Creditors) के अधिकार के दायरे में रखा गया है।
- संशोधित नियमों के अनुसार रिज़ॉल्यूशन पेशेवर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सीओसी को प्रस्तुत की गई, रिज़ॉल्यूशन योजना में रिज़ॉल्यूशन आवेदकों की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिये सभी पर्याप्त प्रासंगिक विवरणों को शामिल किया गया है।
- रिज़ॅल्यूशन आवेदकों के संबंध में प्रदान किये जाने वाले विवरणों में रिज़र्व बैंक द्वारा जानबूझकर गबन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप दोषसिद्धि, अयोग्यता, आपराधिक कार्यवाही एवं वर्गीकरण तथा सेबी द्वारा लगाए जाने वाले विवर्जन अर्थात् रोक (debarment) से संबंधित विवरणों को भी शामिल किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त रिजॉल्यूशन पेशेवरों को भी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code) के तहत अधोमूल्यित लेन-देन (undervalued transactions), जघन्य ऋण लेन-देन (extortionate credit transactions) और धोखाधड़ी वाले लेन-देन (fraudulent transactions) से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत शामिल सभी प्रकार के लेन-देनों के संबंध में विवरण जमा करना होगा।

उद्देश्य

 यह सुनिश्चित करने के लिये कि कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया एक विश्वसनीय और व्यवहार्य संकल्प योजना के रूप में सफल साबित हो, आई.बी.बी.आई. द्वारा आई.बी.बी.आई. (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) रिजॉल्यूशन प्रोसेस, 2016 (CIRP Regulations) में संशोधन किया गया है।





इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है?

- यह नया कानून 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाऊन इन्सॉल्वेंसी एक्ट' और 'प्रोवेंशियल इन्सॉल्वेंसी एक्ट 1920' को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरिशप एक्ट और 'सेक्यूटाइजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- िकसी भी कंपनी या साझेदारी फर्म में व्यावसायिक नुकसान के चलते कभी भी दिवालिया होने की संभावना बनी रहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि कोई आर्थिक इकाई दिवालिया होती है तो इसका मतलब यह होता है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्ति या फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं
 अन्य प्रताइनाओं से गुज़रना पड़ता है।
- विदित हो कि बैंकरप्सी कोड के तहत दिवालियापन प्रक्रियाओं को 180 दिनों के अंदर निपटाने की व्यवस्था की गई है। यदि दिवालियेपन को सुलझाया नहीं जा सकता तो ऋणदाता (Creditors) का ऋण चुकाने के लिये उधारकर्त्ता (borrowers) की परिसंपत्तियों को बेचा जा सकता है।
- हालाँकि, बैंकरप्सी कोड न केवल एन.पी.ए. समस्या का ही समाधान करता है बल्कि यह भारत के बेहद पुराने और अप्रचलित दिवालियापन कानूनों में सुधार भी करता है।

'पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री' और इसकी उपयोगिता

'पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री' (public credit registry-PCR) के आरंभ होने से डिजिटलीकरण की गति बढ़ेगी। पीसीआर बनाने हेतु आरबीआई ने एक कार्यदल का भी गठन किया था। पीसीआर क्रेडिट से संबंधित जानकारियों का एक विस्तृत डाटाबेस होगा, जो सभी हितधारकों के लिये उपलब्ध रहेगा।

 पीसीआर में ऋण की मांग करने वाले व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारियाँ, जैसे- उसने पहले कितना ऋण लिया है, उसने समयानुसार ऋण चुका दिया है या नहीं? आदि एकत्र कर रखी जाएंगी।

कैसे होता है पीसीआर का प्रबंधन?

- आमतौर पर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री यानी पीसीआर का प्रबंधन केंद्रीय बैंक या बैंकिंग पर्यवेक्षक के हाथ में होता है।
- कान्नी तौर पर कर्ज़दाताओं या कर्ज़दारों के लिये ऋण विवरणों की सूचना पीसीआर को देना अनिवार्य बना दिया जाता है।

पीसीआर के संभावित लाभ

- 'लोन डिफॉल्ट' घटाने, ऋण लेने एवं देने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने में पीसीआर की महत्त्वपूर्ण भिमका हो सकती है।
- भारत में पारदर्शी और व्यापक 'पब्लिक क्रेडिट रिजस्ट्री' बनाना समय की मांग भी है, क्योंकि आज बैंकों का एनपीए उल्लेखनीय रूप से बढ़ा हुआ है।
- साथ ही इसका फायदा छोटे और मझोले कारोबारियों व उद्यमियों को भी मिलेगा और वित्तीय समावेश बढ़ेगा तथा कारोबार करना सुगम होगा।





'फेमा' अधिनियम के संबंध में जारी अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का आदान-प्रदान अथवा उसे जारी करना) अधिनियम में अब तक किये गए 93 संशोधनों को एक ही अधिसूचना के अंतर्गत लाकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को सरल बना दिया है। विदित हो कि फेमा के मानदंडों को आसान बनाने से विदेशी निवेशकों के लिये देश में निवेश करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- यह अधिनियम वर्ष 1999 से प्रभाव में आया था। वर्ष 1999 से अब तक इसमें 93 संशोधन हो चुके हैं।
- कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवेश करना चाहता है, इस अधिसूचना के माध्यम से यह जाने में सक्षम होगा कि वह किस कंपनी में तथा कैसे निवेश कर सकता है।
- जारी नई अधिसुचना के तहत विदेशी निवेशों पर बनाए गए निम्नलिखित दो नियमों को एक साथ जोड़ दिया गया है-
 - 1. FEMA 20: इसे भारतीय कंपनी में किये गए विदेशी निवेश अथवा पार्टनरशिप अथवा सीमित देयता भागीदारी के रूप में जाना जाता है।
 - 2. **FEMA 24 :** किसी पार्टनरशिप फर्म में हुए निवेश को FEMA 24 कहा जाता है।
- इसमें 'लेट सबिमशन फी' (late submission fee) का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत निवेशक को यह अनुमित होगी, यदि उसे निवेश संबंधी सूचना जमा करने में कोई देरी होती है तो वह शुल्क का भुगतान करके इसके नियमों का उल्लंघन करने से बचाव कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त गैर-प्रवासी भारतीय से किसी गैर-प्रवासी को किया गया निवेश स्वचालित मार्ग के तहत लाया जाएगा और इसे दर्ज किया जाएगा। रिज़र्व बैंक को इससे संबंधित अनेक आवेदन प्राप्त हो रहे थे। अतः इसने यह निर्णय लिया कि ऐसे निवेशों के लिये विनियामक की पूर्वानुमित लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

फेमा क्या है?

- आर्थिक सुधारों तथा उदारीकृत परिदृश्य के प्रकाश में फेरा को एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, इसी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 कहा जाता है।
- यह अधिनियम भारत के निवासी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में रहने वाली भारत के बाहर की सभी शाखाओं, कार्यालयों तथा प्राधिकरणों पर लागू होता है।
- फेमा की शुरुआत एक निवेशक अनुकूल विधान के रूप में की गई थी, परंतु यह एक अर्थ में पूर्णतया सिविल विधान है, क्योंकि इसके उल्लंघन में केवल मौद्रिक शास्तियों तथा अर्थदंड का भुगतान करना ही शामिल है।
- इसके तहत िकसी व्यक्ति को सिविल कारावास का दंड तभी दिया जा सकता है, यदि वह नोटिस िमलने की तिथि से 90 दिन के भीतर निर्धारित अर्थदंड का भुगतान न करे, परंतु यह दंड भी उसे 'कारण बताओ नोटिस' तथा वैयक्तिक सुनवाई की औपचारिकताओं के पश्चात् ही दिया जा सकता है।
- फेमा को एक कठोर कानून (यानी फेरा) से उद्योग अनुकूल विधान अपनाने के लिये उपलब्ध कराई गई संक्रमण अवधि माना जा सकता है।
- फेमा में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन-देन करने की अनुमित दी गई है। अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अधिकृत व्यक्ति का अर्थ अधिकृत डीलर, मनी चेंजर, विदेशी बैंकिंग यूनिट या कोई अन्य व्यक्ति जिसे उसी समय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, से है।
- फेमा के मुख्य उद्देश्य हैं:





- ✓ विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को आसान बनाना।
- 🗸 विदेशी मुद्रा बाजार का अनुरक्षण और संवर्धन करना।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ द्वारा भारत की रेटिंग बढ़ाए जाने के मायने

पिछले कुछ समय में सरकार द्वारा किये गए आर्थिक और संस्थागत सुधारों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक माहौल देखने को मिला, जिसके पिरणामस्वरूप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने 13 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत की रेटिंग Baa-3 (सकारात्मक) से Baa-2 (स्थिर) कर दी है। 2004 में मूडीज़ द्वारा भारत को दी गई Baa-3 रेटिंग निवेश श्रेणी की न्यूनतम रैंकिंग है, जो कि 'जंक' दर्ज़े (निवेश के ख़राब माहौल की स्थिति) से थोड़ी ही बेहतर रैंकिंग है। मूडीज़ ने 2015 में क्रेडिट रेटिंग के आउटलुक अर्थात् भविष्य के परिदृश्य को स्थिर से सकारात्मक (positive) कर दिया था।

क्रेडिट रेटिंग क्या है?

साधारण शब्दों में क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति की ऋण लेने या उसे चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होती है।

मूडीज़ क्या है व क्रेडिट रेटिंग किस आधार पर दी जाती है ?

- मूडीज़ विश्व की तीन बड़ी अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। दो अन्य रेटिंग एजेंसियाँ स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (S&P) तथा फिच हैं। मूडीज़
 Aaa से लेकर C तक रेटिंग जारी करती है। AAA सर्वश्रेष्ठ और C सबसे ख़राब रेटिंग है।
- इन कंपनियों द्वारा रेटिंग देते वक्त किसी देश पर कर्ज़ की मौजूदा स्थिति और उसे चुकाने की उसकी क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।
- इसके अतिरिक्त ये एजेंसियाँ देश में हुए आर्थिक सुधारों, भविष्य के आर्थिक परिदृश्य तथा देश में निवेश के लिये सुरक्षित माहौल को भी ध्यान में रखती है। इसके लिये ये एजेंसियाँ आँकड़ों और तथ्यों का इस्तेमाल करती हैं। इसमें सरकार द्वारा दी गई रिपोर्टों और सूचनाओं आदि का इस्तेमाल किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग से देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है।

भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाए जाने के कारण

- भारत में निवेश और व्यापार करने के माहौल में काफी सुधार हुआ है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी 'व्यापार सुगमता सूचकांक' (Index of Ease of doing Business) में भारत की रैंकिंग में 30 पायदानों के सुधार ने इस बात की पृष्टि भी कर दी है।
- मूडीज़ ने नोटबंदी और बैंकों में फँसे कर्ज़ को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, आधार कार्ड और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (DBT) को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये सकारात्मक कदम बताया है।

क्रेडिट रेटिंग बढ़ाए जाने के क्या लाभ होंगे?

- क्रेडिट रेटिंग में सुधार से भारत सरकार और भारतीय कंपनियों को बाहर से कर्ज़ मिलना आसान हो जाएगा।
- कर्ज़ की दर भी कम होगी, जिससे अवसंरचना के विकास में सहायता मिलेगी और रोज़गार की संभावनाओं में भी वृद्धि होगी।
- संभावना है कि अन्य रेटिंग एजेंसियाँ भारत की रेटिंग बढ़ा दें। इससे विदेशी निवेशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा, जो कि उन्हें भारत में निवेश के लिये प्रेरित करेगा।
- मूडीज़ ने अनुमान लगाया है कि सरकार के कुछ सुधारात्मक क़दमों का असर कुछ समय बाद दिखाई देगा, जिससे भारत की GDP विकास दर में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। एजेंसी ने मार्च 2018 तक देश की जीडीपी विकास दर 6.7% तथा 2019 तक पुनः 7.5% होने का अनुमान लगाया है।





ई.टी.एफ. से आप क्या समझते हैं?

सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी विनिर्दिष्ट करते हुए एक्सचेंज़ ट्रेडेड फंड्स (Exchange Traded Funds - ETFs) को बेचने की बजाय इन्हें अपने अधिकार में ही रखने का निर्णय किया गया। इसी क्रम में एक नवीनतम पहल भारत 22 ई.टी.एफ. शुरू की गई। यह एक ऐसा फंड है, जिसमें 22 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ शामिल हैं।

ई.टी.एफ. क्या है?

- एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध म्युचुअल फंड होते हैं। इनकी खरीद-फरोख्त भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों की भाँति ही की जाती हैं।
- इंडेक्स ई.टी.एफ. को संस्थागत निवेशकों द्वारा एक इंडेक्स टोकरी में शेयरों की स्वैपिंग करके तैयार किया जाता है।
- ई.टी.एफ. केवल एक सूचकांक की प्रतिलिपि बनाता है और इसके प्रदर्शन को सही रूप से प्रतिबिंबित करने की कोशिश करता है।
- ई.टी.एफ. में बाज़ार के समय के दौरान वास्तविक समय के आधार पर मौजूदा बाज़ार मूल्यों पर इन्हें खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है।
- ई.टी.एफ. के अंतर्गत मूल रूप से केवल बाज़ार पर नज़र रखी जाती थी, परंतु हाल के वर्षों से इनके द्वारा विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों को भी ट्रैक करने का काम किया जा रहा है।
- ई.टी.एफ. की प्रभावशीलता को रिटर्न के अलावा, ट्रैकिंग में होने वाली त्रुटि के माध्यम से भी मापा जाता है। ट्रैकिंग में होने वाली त्रुटि के तहत इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि ई.टी.एफ. द्वारा चुने हुए सूचकांक को कितनी बारीकी से ट्रैक किया गया है।

भारत 22 ई.टी.एफ.

- हाल ही में पेश किये गए भारत 22 ई.टी.एफ. के अंतर्गत सरकार को चयनित पी.एस.यू. में अपनी हिस्सेदारी को ई.टी.एफ. के रूप में सुरक्षित रखने की अनुमित दी गई है। इसके तहत सरकार विनिवेश के माध्यम से निवेशकों से पैसे जुटा सकती है।
- यह विशेष रूप से निर्मित एस.एंड पी. बी.एस.ई. भारत 22 इंडेक्स को ट्रैक करने के लिये निर्मित किया गया है, जिसे एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- यह सूचकांक 22 पी.एस.यू. शेयरों सिहत कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों से निर्मित है।
- ई.टी.एफ. का लक्ष्य 8000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि प्राप्त करना है।
- योजना की 25 प्रतिशत यूनिट प्रत्येक श्रेणी के निवेशकों को आवंटित की जाएगी।
- इस ई.टी.एफ. में रिटायरमेंट फंड निवेशकों को अलग श्रेणी में रखा गया है। विस्तार के मामले में खुदरा और रिटायरमेंट फंडों को प्राथिमकता देते हए इन्हें अतिरिक्त भाग का आवंटन किया जाएगा।
- सभी निवेशकों के लिये 3 प्रतिशत का डिस्काउंट होगा।
- सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के 6 क्षेत्रों वित्त, उद्योग, ऊर्जा, उपयोगिता, उपभोक्ता सामान तथा बुनियादी सामग्रियों में शेयर लिये गए हैं। यह सामंजस्य सूचकांक को व्यापक और विविध बनाता है।

यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- ई.टी.एफ. लागत प्रभावी होते हैं। चूँकि ये कोई स्टॉक (या सुरक्षा विकल्प) नहीं बनाते हैं, इसलिये ये स्टार फंड मैनेजर्स (star fund managers) की सेवाओं का उपयोग भी नहीं करते हैं।
- लागतों के अलावा वर्तमान में वैश्विक निवेशकों के बीच ई.टी.एफ. के संबंध में उत्साह की तीन वज़हें और भी हैं।





- सर्वप्रथम, ई.टी.एफ. निवेशकों को एक विविध निवेश पोर्टफोलियो की पेशकश करते हुए फंड मैनेजर द्वारा खराब सुरक्षा के चयन के जोखिम से बचने की अनुमित देता है।
- दूसरा कारण यह है कि इंडेक्स प्रदाताओं द्वारा न केवल सूचकांक के शेयरों का ध्यान से चयन किया जाता है बल्कि समय-समय पर पुनर्संतुलित भी किया जाता है।
- तथा तीसरा कारण यह है कि ई.टी.एफ. एक्सचेंजों के माध्यम से किसी भी समय तरलता की पेशकश करते हैं।
- वर्तमान में चार प्रकार के ई.टी.एफ. पहले से ही उपलब्ध हैं इक्विटी ई.टी.एफ., डेब्ट ई.टी.एफ., कमोडिटी ई.टी.एफ. और ओवरसीज़ इक्विटी ई.टी.एफ.।
- भारतीय इक्विटी ई.टी.एफ. द्वारा निफ्टी **50**, निफ्टी नेक्स्ट **50**, सेंसेक्स **30**, निफ्टी **100** और बी.एस.ई. **100** को ट्रैक किया जाता है।

हांगकांग के साथ दोहरे कराधान से बचाव की संधि

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के उन्मूलन और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिये चीन जनवादी गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हॉन्कॉन्ग की सरकार के बीच) करार को अपनी मंज़ूरी प्रदान की।

क्या है दोहरे कराधान से बचाव की संधि?

- दोहरा कराधान का संदर्भ ऐसी स्थिति से है, जहाँ एक ही आय, एक ही कंपनी या व्यष्टि (करदाता) के हाथों में एक से अधिक देश में कर योग्य हो जाती है।
- दोहरे कराधान से बचाव की संधि दो या अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित एक कर संधि है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन देशों में करदाताओं को समान आय पर दो बार कर लगाने से बचाना है।
- यह उन मामलों में लागू होता है, जहाँ करदाता का आवास और धनोपार्जन का स्थान दोनों अलग-अलग देशों में हो।
- भारत का 80 से अधिक देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव की संधि है। जिन देशों के साथ भारत के व्यापक दोहरे कराधान से बचाव की संधि है, उनमें प्रमुख हैं:
 - ✓ ऑस्ट्रेलिया
 - ✓ कनाडा
 - √ जर्मनी
 - ✓ मॉरीशस
 - ✓ सिंगापुर
 - √ संयुक्त अरब अमीरात
 - ✓ ब्रिटेन
 - ✓ अमेरिका

हांगकांग से संबंधित मुख्य तथ्य

- हांगकांग चीन में एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह दुनिया का चौथा सबसे घनी आबादी वाला देश या क्षेत्र है।
- 'वन नेशन, टु सिस्टम' के सिद्धांत के तहत हांगकांग चीन से एक अलग राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बनाए रखता है।
- सैन्य रक्षा और विदेशी मामलों को छोड़कर, हॉन्कॉन्ग अपनी स्वतंत्र कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ रखता है।





आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development OECD) 35 सदस्य देशों का एक अंतरसरकारी आर्थिक संगठन है।
- इसे आर्थिक प्रगति एवं वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 1960 में स्थापित किया गया था।
- इसका मुख्यालय फ्राँस के पेरिस शहर में स्थित है।
- यह एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक संगठन है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों देशों को आर्थिक प्रगति प्रात करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ सदस्य देशों में रोज़गार एवं लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी करना, समस्त विश्व को एक मज़बूत आर्थिक विकास प्रदान करना तथा विकासशील देशों (विशेषकर निर्धन देशों) की स्थिति में सुधार लाना शामिल है।

गिग इकोनॉमी क्या है?

- आज स्वचालित होती दुनिया में रोज़गार की परिभाषा और कार्य का स्वरूप बदल रहा है। एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था उभर रही है, इसे ही 'गिग इकॉनमी' नाम दिया गया है।
- दरअसल, गिग इकोनॉमी में फ्रीलांस कार्य और एक निश्चित अवधि के लिये प्रोजेक्ट आधारित रोज़गार शामिल होते हैं। गिग इकोनॉमी में किसी व्यक्ति की सफलता उसकी विशिष्ट निपुणता पर निर्भर करती है।
- असाधारण प्रतिभा, गहरा अनुभव, विशेषज्ञ ज्ञान या प्रचिलत कौशल प्राप्त श्रम बल ही गिग इकोनॉमी में कार्य कर सकता है।
- आज आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम बन सकते हैं या एक मल्टीनेशनल कंपनी में रोज़गार ढूँढ सकते हैं,
 लेकिन गिग इकोनॉमी एक ऐसी जगह है, जहाँ आप अपनी इच्छानुसार काम कर सकते हैं।

एनबीएफसी के लिये आउटसोर्सिंग से संबंधित नए निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी (Non-banking financial companies) द्वारा आउटसोर्सिंग के ज़रिये प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं में जोखिमों के प्रबंधन और नियमावली के संबंध में नए निर्देश जारी किये।

क्या हैं नए निर्देश?

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) अपने ग्राहकों के लिये केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) मानदंड तय करना, ऋण की मंज़ूरी देना,
 निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना और 'इंटरनल ऑडिट' (internal audit) जैसे 'कोर प्रबंधन' कार्यों को आउटसोर्स नहीं कर सकती हैं।
- एनबीएफसी को एक शिकायत निवारण व्यवस्था (grievance redressal machinery) के गठन के लिये कहा गया है।
- साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिये कि एनबीएफसी की शिकायत निवारण मशीनरी आउटसोर्स एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित मामले भी निपटाएगी।
- वित्तीय सेवा प्रदाताओं की संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने और वित्तीय लेन-देन की रिपोर्ट बनाने के दायित्व का पालन एनबीएफसी को ही करना होगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) क्या हैं?

• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस संस्था को कहते हैं, जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका मुख्य काम उधार देना तथा विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभृतियों, बीमा कारोबार तथा चिटफंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना है।





- गैर बैंकिंग वित्त कंपनियाँ भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यह संस्थाओं का विजातीय समूह है (वाणिज्यिक सहकारी बैंकों को छोड़कर), जो विभिन्न तरीकों से वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करती है जैसे:
 - √ जमा स्वीकार करना।
 - √ ऋण और अग्रिम देना।
 - ✓ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में निधियाँ जुटाना।
 - √ अंतिम व्यय कर्त्ता को उधार देना।
 - 🗸 थोक और खुदरा व्यापारियों तथा लघु उद्योगों को अग्रिम ऋण देना।

'प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ'?

• जिन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की परिसंपत्तियों का आकार पिछले लेखापरीक्षा के अनुसार 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, उन्हें प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ' माना जाता है।







वैज्ञानिक घटनाक्रम

भारतीय जल की निगरानी हेतु इसरो का इमेज़री सैटेलाइट

इसरो (Indian Space Research Organisation - ISRO) द्वारा एक ऐसे इमेजरी सैटेलाइट को विकसित किया गया है, जिसकी सहायता से भारतीय जल में तैनात संदिग्ध जहाज़ों और नौकाओं की निगरानी की जा सकेगी। इस प्रकार यह देश की तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।

प्रमुख बिंदु

- अगले वर्ष तक इसरो द्वारा तटीय सुरक्षा हेतु 1,000 ट्रांसपोंडर (transponders) उपलब्ध कराए जाएंगे।
- यही कारण है कि इस संदर्भ में मछुआरों की बायोमीट्रिक पहचान की जा रही है। बायोमीट्रिक पहचान-पत्रों हेतु अभी तक 19.74 लाख मछुआरों को नामांकित किया गया है और 18.60 लाख को पहचान-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

स्वत: पहचान प्रणाली को स्थापित किया जाएगा

नौकाओं की निगरानी हेतु सभी नावों में 20 मीटर की ऊँचाई पर स्वत: पहचान प्रणाली को स्थापित किया जाएगा। इसके साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र (High sea) और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा की निगरानी के लिये नौकाओं के रंग संबंधी संकेतन (Colour coding) का कार्य तटीय राज्यों एवं संघ-शासित प्रदेशों द्वारा किया जाएगा।

भारत की तटीय सीमा

भारत की कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर की है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा
 पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ-साथ संघ-शासित प्रदेशों दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुड्चेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समृह तक फैली हुई है।

विकसित मानक संचालन प्रक्रियाएँ (Standard operating procedures - SOPs)

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (International Maritime Boundary Line) के उल्लंघन संबंधी मामलों से निपटने के लिये मानक संचालन प्रक्रियाओं को विकसित किया गया। इनके अंतर्गत निम्नलिखित पक्षों को शामिल किया गया –
 - 🗸 कम महत्त्व वाले बंदरगाहों और लंगर स्थल की सुविधाओं (single point mooring facilities) की सुरक्षा का उन्नयन।
 - ✓ तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय।
 - √ तटीय इलाके का विवरण तैयार करना।
 - ✓ तटीय और स्थानीय पुलिस स्टेशनों की सुरक्षा।
 - √ बम विस्फोट से बचाव संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था।
 - 🗸 बंदरगाहों के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, फिशिंग लैंडिंग पॉइंट्स के संबंध में जानकारियाँ एकत्रित करके तटीय मानचित्रण तैयार करना।

अंतरिक्ष मलबे को मापने हेतु नासा की पहल

नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station - ISS) के आस-पास मौजूद अंतरिक्ष मलबे को मापने के लिये एक संवेदक को लॉन्च किया जा रहा है। यह संवेदक कक्षीय मलबे को कम करके मानव जीवन के जोखिम को कम करने में भी मददगार साबित होगा।





• इस एस.डी.एस. (Space Debris Sensor - SDS) को स्पेस-एक्स कार्गी मिशन (SpaceX cargo mission) के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिकी अंतिरक्ष एजेंसी द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, संवेदक के अंतर्गत दोहरे परत की पतली फिल्मों एवं एक ध्वनिक सेंसर प्रणाली के साथ-साथ एक प्रतिरोधी ग्रिड सेंसर प्रणाली और निकटवर्ती-समय प्रभाव (near-real-time impact) का पता लगाने और रिकॉर्डिंग करने के लिये सेंसर वाले एक बैकस्टॉप का उपयोग किया गया है।
- अमेरिका स्थित एयरोस्पेस कंपनी स्पेस-एक्स द्वारा अपने ड्रैगन नामक अंतरिक्ष यान (Dragon spacecraft) को अपने 13वें वाणिज्यिक पुनर्गठन मिशन हेतु लॉन्च किया जाएगा।

अन्य जाँच विकल्प

- एक अन्य जाँच विकल्प के अंतर्गत फाइबर ऑप्टिक तार का निर्माण करने के लिये ZBLAN का इस्तेमाल किया जाएगा। सामान्य रूप से ZBLAN, जो कि एक भारी धातु फ्लोराइड काँच होता है, का इस्तेमाल फाइबर ऑप्टिक ग्लास को बनाने के लिये जाता है।
- जब ZBLAN पृथ्वी में स्थिर हो जाता है तो इसकी परमाणु संरचना क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाती है।
- अनुसंधानकर्त्ताओं के अनुसार, यह भी संभव है कि माइक्रो-ग्रेविटी में दबाव से ZBLAN फाइबर उतना अधिक क्रिस्टलीकृत न हो पाए, जितना कि ऑप्टिकल तार हो सकता है, अर्थात् फाइबर युक्त ऑप्टिकल तारों में प्रयुक्त सिलिका की तुलना में अधिक बेहतर ऑप्टिकल गुण दे सकते हैं।
- इस जांच से प्राप्त परिणामों के बाद अंतिरक्ष और पृथ्वी दोनों पर उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर ऑप्टिक उत्पादों के उत्पादन की संभावनाओं को बल मिलेगा।

रोडेंट रिसर्च- 6

- नासा के अनुसार, इसके अतिरिक्त आई.एस.एस. के पास एक और अनुसंधान रोडेंट रिसर्च -6 (Rodent Research-6) की जाँच को भेजा गया
 है।
- इसके अंतर्गत अंतिरक्ष अथवा अन्य स्थानों पर मांसपेशियों में आने वाले खिंचाव अथवा टूट-फूट के संबंध में एक दवा के यौगिकों और दवा वितरण प्रणाली की जाँच भी की जाएगी।
- आर. अार. -6 जाँच से प्राप्त परिणाम, जहाँ एक ओर शोधकर्ताओं को गुरुत्वाकर्षण के अभाव में एक स्वस्थ शरीर संरचना को किस प्रकार स्वस्थ बनाए रखा जाए, के प्रयासों में सहायता प्रदान करेंगे, वहीं दूसरी ओर इससे मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों, विकारों और चोटों के विषय में हमारी समझ में भी वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप हम अधिक बेहतर ढंग से इस दिशा में प्रभावी प्रयास कर पाएंगे।

अंतरिक्षीय मलबा क्या होता है?

- इंसानों द्वारा पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाने वाले कई उपग्रह वहीं नष्ट हो जाते हैं, इसके पश्चात् वहाँ उनके छोटे-छोटे टुकड़े कचरे बनकर हवा में तैरने लगते हैं।
- नासा द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, पृथ्वी के चारों ओर 50,000 से अधिक मलबे के टुकड़े 17,500 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से घूम रहे हैं।
 इस मलबे के कारण किसी प्रकार की दुर्घटना न घट जाए, इसलिये इन पर लगातार नज़र रखी जा रही है।
- अंतिरक्ष में घूमता यह कचरा सिर्फ उपग्रहों की कक्षा में ही नहीं, बिल्क हमारे वायुमंडल के लिये भी काफी खतरनाक हो सकता है। यदि कोई बड़ा टुकड़ा पूरी तरह नष्ट हुए बिना हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो यह धरती पर तबाही मचा सकता है।

सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस के एयर-वैरिएंट का सफल परीक्षण





भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सुखोई फाइटर विमान से परीक्षण कर इसके तीनों संस्करणों (थल, जल और वायु) के सफल परीक्षण की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद अब भारतीय वायुसेना भी शत्रु के ठिकानों को लगभग 400 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकती है।

इस परीक्षण के मायने

- सुखोई और ब्रह्मोस के इस मेल को अत्यंत घातक कहा जा रहा है, क्योंकि सुखोई जैसे लड़ाकू विमान से इसे दागे जाने पर दूरी और ऊँचाई दोनों ही स्तरों पर इसकी रेंज और मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी।
- हवा से सतह पर दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल की तकनीक न ही पाकिस्तान के पास है और न ही चीन के पास है। हालाँकि संभावना है कि
 भविष्य में चीन ऐसी तकनीक विकसित कर सकता है।

ब्रह्मोस मिसाइल तथा इसकी विशेषताएँ

- ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ने तैयार किया है।
- इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।
- इसकी वास्तविक रेंज 290 किलोमीटर है, परंतु इसे लड़ाकू विमान से दागे जाने पर यह लगभग 400 किलोमीटर हो जाती है। इसे भविष्य में 600 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है।
- यह 300 किलोग्राम भार तक युद्धक सामग्री ले जा सकती है।
- यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गित 2.8 मैक है, जो विश्व में किसी भी मिसाइल से ज्यादा है अर्थात् इसकी मारक क्षमता ध्विन की गित से भी तीन गुना अधिक है।
- यह मिसाइल भूमिगत परमाणु बंकरों, समुद्री क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे शत्रु विमानों को दूर से ही सफलतापूर्वक भेद सकती है।
- इसकी लक्ष्य भेदन क्षमता अचूक है, इसलिये इसे 'दागो और भूल जाओ' (Fire and Forget) मिसाइल भी कहा जाता है। यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है।
- इसे पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट, हवा और ज़मीन से दागा जा सकता है।

बॉट्स का उदय : एक नई दुनिया का आगाज़

बॉट क्या है?

 बॉट, स्वचालित रूप से काम करने हेतु बनाया गया एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग इंटरनेट पर जानकारी इकट्ठा करने या दोहरावदार नौकरियाँ करने के लिये उपयोग किया जाता है।

ये अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं?

• हर तकनीक की तरह इस तकनीक के भी दो पक्ष हैं-

सकारात्मक पक्ष :

• बॉट का एक विशिष्ट लाभकारी उपयोग जानकारी इकट्ठा करना है। इस तरह के कार्यों में संलग्नित बॉट को 'वेब क्रॉलर' कहा जाता है।





- इसका एक बेहतरीन पक्ष त्वरित संदेश भेजने, त्वरित रिले चैट करने अथवा अन्य वेब इंटरफेस के माध्यम से स्वचालित इंटरैक्शन करना है।
- इसके अलावा यह वेबसाइटों के साथ डायनेमिक इंटरैक्शन भी कर सकता है। इन सभी उपयोगों के कारण ही सकारात्मक प्रयोजनों के लिये इसका उपयोग किया जाता है।

नकारात्मक पक्ष

- बॉट को स्व-प्रचार वाले मैलवेयर के रूप में पिरभाषित किया जाता है, जो न केवल इसके मेज़बान को संक्रमित करता है बिल्क इसे वापस केंद्रीय सर्वर (central servers) से भी जोड़ता है।
- मैलवेयर बॉट न केवल पासवर्ड इकट्टा कर सकते हैं, कुंजी स्ट्रोक को लॉग-इन कर सकते हैं, बल्कि वित्तीय जानकारी भी एकत्रित कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त वायरस एवं वर्म्स के साथ-साथ स्पैम का भी प्रसारण कर सकते हैं।
- ट्विटर और फेसबुक पर स्वचालित खातों के संबंध में भी बॉट चर्चा का कारण बने हुए हैं। हालाँकि, इस प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्मों पर बॉट द्वारा
 गलत सूचना दिये जाने पर रोक लगाने के संबंध में प्रयास भी किये जा रहे हैं।

'अच्छे' बॉट का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

- बॉट एक नया एवं प्रभावकारी एप है। वर्ष 2021 तक तकरीबन 50% से अधिक उद्यम पारंपिरक मोबाइल एप डेवलपमेंट्स की तुलना में बॉट और चैटबॉट के निर्माण पर वर्तमान सालाना खर्च की तुलना में काफी अधिक खर्च किया जाएगा।
- एप्पल का सिरी, गूगल सहायक, अमेज़न का एलेक्सा और माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टाना बॉट के कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं।

कैंसर अध्ययन हेतु फोन एप का प्रयोग

आई.आई.टी. खड़गपुर के शोधकर्त्ताओं ने एक ऐसे स्मार्टफोन एप को विकसित किया है, जो उपचार के पश्चात् कैंसर की सटीक जाँच आसानी से कर सकता है। इस एप को स्मार्ट आईएचसी-एनालाइज़र (SmartIHC-Analyser) नाम दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस एप ने कैंसर कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि का निर्धारण करने के लिये एक प्रोटीन मार्कर की-67 (Ki-67) के भावों का विश्लेषण किया। यह एप अब एंड्राइड फोन के लिये भी उपलब्ध हो गया है।
- इस एप की सहायता से उपचार के पश्चात् कैंसर के रंगीन ऊतकों के सूक्ष्म चित्रों का विश्लेषण करने पर एक मिनट से कम समय में ही कैंसर कोशिकाओं में हुई वृद्धि और कमी के विषय में पता लगाया जा सकता है।
- शोधकर्ताओं ने इस एप की तुलना एक वेब आधारित एप्लीकेशन 'इम्यूनो-रेशियो (ImmunoRatio) से भी की है। जहाँ सामान्य विधि और नए एप के मध्य सटीकता अंतराल मात्र 6% का था, जबकि इम्यूनो-रेशियो और एप के मध्य यह अंतराल 15% था।





'व्यवहार्य कोशिकाओं' की प्राप्ति का एक प्रभावी तरीका

वैज्ञानिकों ने क्रायोप्रीज़र्व्ड (cryopreserved) ऊतक के नमूनों से व्यवहार्य कोशिकाओं को प्राप्त करने के लिये एक नए व प्रभावी तरीके की खोज की है। इसके माध्यम से शोधकर्त्ता विभिन्न अध्ययन साईटों पर एकत्रित किये गए ऊतकों के नमूनों का परीक्षण करके रहयूमेरॉइड गठिया जैसे रोग पर अधिक गहन शोध कर सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- रहयूमेरॉइड गठिया (Rheumatoid arthritis -RA) एक चिरकालिक रोग है, जिसमें जोड़ों में दर्द, कड़ापन व सूजन आ जाती है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि यह रोग प्रतिरक्षा प्रणाली (immune system) में असंतुलन के कारण होता है।
- गठिया रोग का उपचार करने में आधुनिक दवाएँ काफी प्रभावी हैं। ये दवाएँ जोड़ों के दर्द, सूजन को कम करने में मदद करती हैं और गठिया को दबाती भी हैं।

रहयूमेरॉइड गठिया

- यह एक दीर्घकालिक रोग है, जो शरीर के जोड़ों, उनसे जुड़े ऊतकों, मांसपेशियों एवं तंतु ऊतकों को प्रभावित करता है।सामान्यतः यह रोग वयस्कता(20 से 30 वर्ष) में होता है।
- विकसित देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाएँ इस रोग से अधिक पीड़ित होती हैं।
- रहयूमेरॉइड गठिया ऑटोइम्यून गठिया (autoimmune arthritis) का सामान्य प्रकार है। जब मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र उचित तरीके से कार्य नहीं करता है तो यह रोग होता है। इसके कारण कलाई, हाथ के जोड़ और पैरों में सूजन आ जाती है।





पर्यावरण घटनाक्रम

अंडमान में केले की एक और नई प्रजाति पाई गई

वनस्पित विज्ञानियों द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केले की एक नई प्रजाति की खोज की गई। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में केले की कोई विशेष प्रकार की प्रजाति खोजी गई है। इस क्षेत्र विशेष में केले की ऐसी बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती है; जिनके विषय में अभी तक हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इसका सबसे अहम् कारण यह है कि यह द्वीप समूह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जहाँ जंगली केले की सात अलग-अलग प्रजातियाँ खोजी जा चुकी हैं।

केले की इस नई प्रजाति का नाम क्या है?

- हाल ही में नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी (Nordic Journal of Botany) में प्रकाशित एक नवीनतम खोज में 'मूसा परमजीतना' (Musa paramjitiana) नामक जंगली केले की एक नई प्रजाति के विषय में जानकारी दी गई है।
- इस प्रजाति को यह नाम भारत के बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Botanical Survey of India BSI) के निदेशक परमजीत सिंह के सम्मान में दिया गया है।

कहाँ खोजी गई?

• जंगली केले की यह नई प्रजाति मानव निवास स्थान से 6 किलोमीटर दूर उत्तरी अंडमान के कृष्णापुरी वन (Krishnapuri forest) में पाई गई।

विशेषताएँ क्या-क्या हैं?

- इस प्रजाति के पौधे नौ मीटर की ऊँचाई तक बढ़ सकते है।
- इसका फल स्वाद में खट्टा-मीठा होता है। यह फल स्थानीय जनजातियों के आहार का हिस्सा है।
- यह दिखने में नाव के आकार का होता है तथा इसमें बहुत से बल्ब के आकार वाले बीज भी मौजूद होते हैं।
- उल्लेखनीय है कि इस प्रजाति की संरक्षण स्थिति को IUCN की रेड लिस्ट के आधार पर 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' घोषित किया गया है, क्योंकि
 अभी तक इस प्रजाति को 6 से 18 पौधों में एक झुंड के रूप में इस द्वीप समूह पर केवल दो स्थानों पर ही देखा गया है।
- इसके अतिरिक्त यह प्रजाति फल के रूप में भी और बीज के रूप में भी जातीय-औषधीय (ethno-medicinal) महत्त्व रखती है
- इतना ही नहीं, इस पौधे की छद्म स्टेम (Pseudo-stem) और पत्तों का भी यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान उपयोग किया जाता है।

इसके जर्मप्लाज़्म का संरक्षण करना

 जंगली केले की सभी प्रकार की प्रजातियों के जर्मप्लाज्म को तत्काल आधार पर संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें से अधिकतर प्रजातियाँ बहुत छोटे-छोटे निवास स्थानों और विलुप्ती के खतरे की स्थिति में पाई जाती हैं।





ध्यातव्य है कि वर्ष 2014 में अंडमान द्वीप के उष्णकिटबंधीय वर्षा वन में जंगली केले की एक अन्य प्रजाति 'मूसा इंडेंडैनेंसिस' (Musa indandamanensis) की खोज की गई थी।

'स्मार्ट' सौर हरित गृह की अवधारणा एवं विकास से संबद्ध पक्ष

वैज्ञानिकों द्वारा 'स्मार्ट' सौर हरितगृहों का विकास किया गया है, जिसके माध्यम से अब पौधों के विकास को अवरुद्ध किये बिना अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। शोधकर्त्ताओं के अनुसार, पारंपरिक हरित गृह में उगाए गए टमाटर एवं खीरे की तुलना में ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम सौर-सघन हरित गृह द्वारा उत्पादित टमाटर और खीरे की पहली फसल अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ पाई गई।

यह किस प्रकार कार्य करता है?

- विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम सौर हरित गृह द्वारा तरंग-दैर्ध्य चयनात्मक फोटोवोल्टेइक सिस्टम्स (Wavelength-Selective Photovoltaic Systems WSPVs) का प्रयोग किया जाता है।
- यह एक नई तकनीक है। इस तकनीक के अंतर्गत अधिक कुशल बिजली के निर्माण के साथ-साथ पारंपरिक फोटोवोल्टेइक प्रणालियों की तुलना में कम कीमत पर कार्य किया जाता है।
- ये हरित गृह उज्ज्वल मेजेंटा लुमिनेंसेंट डाई (magenta luminescent dye) से संबद्ध पारदर्शी छत पैनलों से ढके होते हैं, जो कि प्रकाश को अवशोषित करके उसे ऊर्जा के रूप में संकीर्ण फोटोवोल्टेइक स्ट्रिप्स (photovoltaic strips) में स्थानांतरित कर देते हैं। इन फोटोवोल्टेइक स्ट्रिप्स में ही बिजली का उत्पादन होता है।
- डब्ल्यू एस.पी.वी. प्रकाश के कुछ नीले और हरे रंग के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन बाकी के सभी तरंग दैर्ध्य को पौधों की वृद्धि के लिये छोड़ देते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिये हरित कोड की प्रासंगिकता

बाघ रिज़र्व के समीप रहने वाले ग्रामीणों और वन अधिकारियों के मध्य सप्ताहांत में संपर्क बनाए रखना एक कठिन कार्य होता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों द्वारा एक अलग प्रकार के कोड का अभ्यास किया जा रहा है। इस कोड को इस प्रकार से व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इससे सप्ताहांत में भी ग्रामीणों एवं वन अधिकारियों के मध्य संपर्क बना रहे। इस दिशा में कार्य करते हुए:-

• वन विभाग ने एक स्वैच्छिक कार्यक्रम (volunteer programme) शुरू किया है, जिससे ग्रामीणों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने तथा इस विशेष वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण एवं वृद्धि के लिये अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा सके।

प्रमुख बिंदु

- लगभग 20 सॉफ्वेयर विशेषज्ञों (software professionals) का एक अनौपचारिक समूह, जो स्वयं को स्वाट (Swift Wildlife Action Team SWAT) के नाम से संबोधित करता है, द्वारा पिछले तीन महीनों से दक्षिणी कर्नाटक तथा पश्चिमी घाटों की तलहटी वाले क्षेत्रों में बाघ रिज़र्व क्षेत्रों का निरीक्षण एवं सर्वेक्षण किया जा रहा है।
- इस टीम का एजेंडा बाघ रिज़र्व क्षेत्रों पर पैनी दृष्टि रखना है, ताकि यहाँ होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सके।





इस पहल का उद्देश्य

• इस नई पहल के तहत स्वयंसेवक सदस्यों द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि बफर ज़ोन में वन्यजीव को पकड़ने हेतु जाल आदि न बिछाए जाएँ। साथ ही प्रायः जंगलों में लगने वाली आग को रोकने संबंधी उपायों को भी लागू किया जा सके।

शिकारियों की तलाश

- पी.सी.सी.एफ. [Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)] कार्यालय द्वारा अधिक से अधिक स्वयंसेवकों को इस नई पहल के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
- ऐसा करने का उद्देश्य इस संबंध में अधिक से अधिक लोगों, समूहों तथा संगठनों तक वन्यजीव संरक्षण के विषय में जागरूकता पैदा करना तथा इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु वन अधिकारियों में उत्साह एवं विश्वास का संचालन करना है, जो अपनी सुविधा एवं सुरक्षा को जोखिम में डालकर वन्यजीवों के कल्याण के लिये निरंतर प्रयास करते हैं।
- इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत शिकारियों एवं जाल डालने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जलवाय लक्ष्य को प्रभावित करेगा 'कार्बन उत्सर्जन अंतराल'

'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट' (UN Environment Emissions Gap Report), 2017 में यह चेतावनी दी गई कि वर्ष 2030 में ज़ाहिर की गई जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं और वर्तमान प्रतिबद्धताओं के मध्य एक विशाल 'कार्बन उत्सर्जन अंतराल' (carbon emissions gap) मौजूद है और इसके लिये सभी देशों को मिलकर वैश्विक औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को 2^0 C अथवा वर्ष 2100 तक 1.5^0 C से कम रखने का प्रयास करना है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (Nationally Determined Contributions -NDCs) का बिना शर्त क्रियान्वयन और तुलनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप पूर्व औद्योगिक स्तरों के सापेक्ष वर्ष 2100 तक तापमान में लगभग 3.20°C की वृद्धि होगी, जबिक यदि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों का सशर्त कार्यान्वयन किया जाएगा तो इसमें कम से कम 0.2% की कमी आएगी।
- जीवाश्म ईंधन और सीमेंट उत्पादन का ग्रीनहाउस गैसों में 70% योगदान होता है।
- रिपोर्ट में 2030 के लक्षित उत्सर्जन स्तर और 2⁰C और 1.5⁰C लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अपनाए जाने वाले मार्गों के बीच विस्तृत अंतराल है। वर्ष 2030 के लिये सशर्त और शर्त रहित एनडीसी के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु तापमान में 2⁰C की बढ़ोतरी 11 से 13.5 गीगाटन कार्बन-डाइऑक्साइड के समान है। यदि अमेरिका 2020 में पेरिस समझौते को छोड़ देता है तो यह स्थिति और अधिक भयावह हो सकती है।
- समझौते के प्रभाव में आने के बाद भी वर्ष 2014 से कार्बन-डाइऑक्साइड का उत्सर्जन स्थिर बना हुआ है। भारत और चीन में इसका उत्सर्जन नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा किया जाता है।

पेरिस जलवायु समझौता

इस समझौते में यह लक्ष्य तय किया गया था कि इस शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2⁰C के नीचे रखने की हरसंभव कोशिश की जाएगी। इसका कारण यह बताया गया था कि वैश्विक तापमान 2⁰C से अधिक होने पर समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और जल व भोजन का अभाव भी हो सकता है।





- इसके अंतर्गत उत्सर्जन में 2⁰C की कमी लाने का लक्ष्य तय करके जल्द ही इसे प्राप्त करने की प्रतिबद्धता तो ज़ाहिर की गई थी, परंतु इसका मार्ग तय नहीं किया गया था।
- तात्पर्य यह है देश इस बात से अवगत ही नहीं है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उन्हें क्या करना होगा। दरअसल सभी देशों में कार्बन उत्सर्जन स्तर अलग-अलग होता है अतः सभी को अपने देश में होने वाले उत्सर्जन के आधार पर ही उसमें कटौती करनी होगी।

क्या है सीओपी-21?

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के ढाँचे यानी यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) में शामिल सदस्यों का सम्मेलन 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज' (सीओपी) कहलाता है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर करने और पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिये वर्ष 1994 में इसका गठन किया गया था।
- वर्ष 1995 से सीओपी की बैठक प्रतिवर्ष होती है। साल 2015 में इसके सदस्य देशों की संख्या 197 थी। दिसंबर 2015 में सम्मेलन के दौरान पेरिस जलवायु समझौता प्रभाव में आया।

18 पन्नों का एक दस्तावेज़ है पेरिस समझौता

यह 18 पन्नों का एक दस्तावेज है, जिस पर अक्टूबर 2016 तक 191 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर कर लिये थे। पेरिस समझौते पर शुरुआत में ही 177 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिये थे। ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के पहले ही दिन इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों ने सहमित व्यक्त की।

भारत का पक्ष

- भारत विश्व के 4.1 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिये जि़म्मेदार है। यह आँकड़े अपने आप में बेहद चिंताजनक हैं।
- भारत ने दो अक्तूबर को पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया था। इसके साथ ही वह जलवायु परिवर्तन पर अनुमोदन संबंधी अपना दस्तावेज जमा कराने वाला 62वाँ देश बन गया है। इस सम्मेलन के दौरान भारत सहित ऑस्ट्रिया, बोलविया, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, हंगरी, माल्टा, नेपाल, पुर्तगाल और स्लोवािकया के साथ-साथ यूरोपीय संघ ने भी इसकी पृष्टि कर दी है।
- ऊर्जा के लिये कोयले के उपयोग को लेकर भारत पर सवाल खड़े करने वाले विकसित देश भी इसका लगातार उपयोग कर रहे हैं। अतः भारत पर सवाल उठाना तार्किक दृष्टि से उचित नहीं है।
- भारत का मानना है कि पेरिस सम्मेलन में हुए समझौते के बाद यह ज़रूरी हो गया है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या का समाधान करने के लिये बजट का आवंटन भी सही पैमाने पर किया जाए। इसके अलावा इसमें विकासशील देशों की चिंताओं का भी ध्यान रखना चाहिये, ताकि वह विकास की गति में अग्रसर हो सके।

मांसभक्षी पौधों के लिये कार्बन-डाइऑक्साइड का महत्त्व

जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पित उद्यान और अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को प्रमाणित कर दिया है कि कुछ मांसभक्षी पौधे कीटों और चींटियों को अपने शिकार के जाल में फँसाने के लिये कार्बन-डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। दरअसल, पहले ऐसा माना जाता था कि मांसभक्षी पौधों (Carnivorous plants) में ऐसी कई विशेषताएँ (जैसे-पराग, गंध, रंग, पराबैंगनी प्रतिदीप्ति आदि) पाई जाती हैं, जिनका उपयोग वे शिकार को लुभाने और उन पर आक्रमण करने के लिये करते हैं।





प्रमुख बिंदु

- संस्थान में फाइटोकैमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा किये गए एक अध्ययन में यह पाया गया है कि भारतीय पिचर प्लांट नेपेंथेस खासियाना (Nepenthes khasiana) शिकार को आकर्षित करने और पाचन प्रक्रिया में सहायता के लिये इस गैस का उपयोग करता है।
- नेपेंथेस पिचर्स का उपयोग प्राकृतिक मॉडल के रूप में िकया जा सकता है क्योंिक इनमें पृथ्वी पर मौजूद कार्बन-डाइऑक्साइड के समान ही इसका उच्च सांद्रण पाया जाता है। वर्ष 2013 में एक पेपर प्रकिशत हुआ जिसमें, ये बताया गया था कि नेपेंथेस और अन्य मांसभक्षी पौधों द्वारा अपने जाल में कीडों को फँसाने के लिये पराबैंगनी प्रतिदीप्ति का प्रयोग किया जाता है।

मांसभक्षी पौधे

- मांसभक्षी पौधों को ऐसे पौधों के रूप में पिरभाषित किया जाता है, जो शिकार को आकर्षित करते हैं, पकड़ते हैं, पचाते हैं और उनके शरीर के रस को अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को मांसाहारी सिंड्रोम कहा जाता है।
- प्रमुख मांसभक्षी पौधों में सनड्यू (sundews), पिचर प्लांट (pitcher plants), बटरवोर्ट्स (butterworts), ब्लैडरवोर्ट्स (bladderworts) और विशिष्ट वीनस फ्लाईट्रैप (Venus's-flytrap) को शामिल किया जाता है।
- अब तक 150 से अधिक कीटों की पहचान इनके शिकार के रूप में की गई है, परंतु ये एराचेंड्स (मकड़ियाँ), मोलस्का (घोंघे और स्लग), केंचुओं
 और छोटी हड्डी वाले जानवर (जैसे छोटी मछलियाँ, उभयचर, रेंगने वाले जीव, चृहा और पक्षी) को भी पकड़ लेते हैं।
- ये ऐसे स्थानों पर उगते हैं, जहाँ की मिट्टी में पोषक तत्त्वों (मुख्यतः नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम) का अभाव पाया जाता है।

आर्कटिक विज्ञान समझौता

शोधकर्त्ताओं के अनुसार, आर्कटिक में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग (International scientific collaboration) अमेरिका और रूस सहित बहुत से देशों (उन सभी देशों सहित जोकि भू-राजनीतिक संघर्ष की समस्या का सामना कर रहे हैं) के समान हितों को संरेखित करने में मददगार साबित हो सकता है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि इसी वर्ष अमेरिका एवं रूस सिहत आठ आर्कटिक देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक वैज्ञानिक सहयोग समझौते
 पर हस्ताक्षर किये गए थे। इस समझौते का उद्देश्य क्षेत्र विशेष में जलवायु परिवर्तन से संबंधित पक्षों के विषय में अध्ययन करना तथा इस संबंध में वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करना है।
- ध्यातव्य है कि इस समझौते को आर्कटिक विज्ञान समझौते (Arctic Science Agreement) के रूप में भी जाना जाता है।
- यह समझौता इस बात के जोखिम को कम करता है कि अल्पाविध घरेलू नीति में बदलाव किये जाने से आर्किटिक क्षेत्र वाले देशों के संबंधों पर भी असर पडेगा।
- इसके अतिरिक्त यह समझौता पहले के दुर्गम डेटा का विस्तार और प्रसार करने के लिये देशों में अनुसंधान प्लेटफ़ॉर्मों की स्थिरता को भी बढ़ावा प्रदान करता है।
- इतना ही नहीं, यह इस क्षेत्र में समुद्री, स्थलीय, वायुमंडलीय और मानव-केंद्रित परिवर्तनों की व्याख्या करने तथा अध्ययन एवं शोध के लिये निरंतर आवश्यक डेटा भी उपलब्ध कराएगा।
- असल में आर्किटिक विज्ञान समझौता इस क्षेत्र के सभी देशों की क्षमता को बढ़ावा देने पर भी बल देता है, तािक ऐसे डेटा को सबूतों और विकल्पों के साथ एकीकृत किया जा सके, जो आर्किटिक स्थिरता के बारे में फैसला करने में योगदान करते हैं।





निष्कर्ष

आर्किटिक विज्ञान समझौते के संबंध में शोधकर्त्ताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्किटिक सहयोग (international Arctic collaboration – IAC) के इतिहास की जाँच की गई। ध्यातव्य है कि आई.ए.सी. की शुरुआत 1950 के दशक में की गई थी। तब से लेकर अभी तक यह निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इस सहयोग समझौते के संबंध में शोधकर्त्ताओं द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि सही रूप में प्रयोग किया जाए तो विज्ञान भी कूटनीति के निर्धारण में अहम् भूमिका का निर्वाह कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि यह देशों के मध्य विद्यमान आपसी संघर्ष को कम करते हुए सहयोग को भी बढ़ावा प्रदान करता है तथा आर्किटिक क्षेत्र में संघर्ष को भी रोकता है, जैसा कि अमेरिका और रूस के मामले में देखा गया।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारियों का संग्रहण, मृल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है।
- इसका मुख्यालय नैरोबी (केन्या) में है।
- यू.एन.ई.पी. पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- यू.एन.ई.पी. अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है।

वाय् गुणवत्ता सूचकांक

- यह 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत चलाई जा रही एक वृहद् सरकारी पहल है, जिसे 17 सितंबर, 2014 को 'पर्यावरण, वन एवं जलवायु
 परिवर्तन मंत्रालय' के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा प्रारंभ किया गया था।
- यह सूचकांक आम आदमी को उनके आस-पास के क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की बेहतर समझ उपलब्ध कराता है।
- इसे 'एक नंबर-एक रंग-एक व्याख्या' के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें छः विभिन्न रंगों के माध्यम से छः AQI श्रेणियों को तैयार किया गया है, जो वायु प्रदृषण के विभिन्न स्तरों को इंगित करता है।
- 'राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक' (NAQI) के अंतर्गत 8 वायु प्रदूषकों को शामिल किया गया है, जिनकी सूची निम्नलिखित है-
 - ✓ PM 2.5
 - ✓ PM 10
 - ✓ SO2 (सल्फर डाइऑक्साइड)
 - ✓ ОЗ (ओज़ोन)
 - ✓ CO (कार्बन मोनोऑक्साइड)
 - ✓ NH3 (अमोनिया)
 - √ NO2 (नाइट्रोजन डाइऑक्साइड)
 - ✔ Pb (सीसा)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था।





- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध करता है।

भारत का 'चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल'

मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को 'प्रकृति का उत्सव' (a celebration of nature) घोषित किया है। इस वर्ष त्योहार की शुरुआत 8 नवंबर को हो चुकी है। यह दूसरा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है। अतः इसके आयोजकों ने इसके नाम में अंतर्राष्ट्रीय शब्द जोड़कर इसका नाम 'इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल' (India International Cherry Blossom Festival) कर दिया है।

- वर्ष 2014 से ब्लॉसम नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही हो जाता है। 'जैव संसाधन और सतत् विकास संस्थान', जो भारत सरकार का संस्थान है, इस त्योहार का आयोजन करता है।
- इस वर्ष वर्षा का स्वरूप अनियमित था, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक वर्षा हुई थी। परंतु चेरी के पेड़ों पर बौर आने के लिये ठंडा मौसम चाहिये।
 चूँिक शिलांग में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर है। अतः बौर आने में देर हो जाती है।
- जापान जैसे देशों में चेरी ब्लॉसम बसंत में दिखाई देते हैं। जापानी चेरी ब्लॉसम वृक्ष का वैज्ञानिक नाम 'प्रून्स येदोएंसिस' (Prunus yedoensis), है जिसे सामान्यतः 'सोमी योशिमा' (Somei Yoshima) के नाम से जाना जाना जाता है।
- उत्तर-पूर्वी भारत मुख्यतः शिलांग में चेरी ब्लॉसम का वैज्ञानिक नाम 'प्रून्स 'सेरासोइड्स' (Prunus cerasoides) है। इसे 'जंगली हिमालयी चेरी ब्लॉसम इन ऑटम' (Wild Himalayan Cherry and blossoms in autumn) के नाम से भी जाना जाता है।
- इसके फल खाने योग्य होते हैं, परंतु ब्लॉसम के मौसम में ये पेड़ हल्के गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूलों से भर जाते हैं।
- पिछले वर्ष नवंबर के दूसरे सप्ताह में इस त्योहार का आयोजन किया गया था। इस समय फूल गिरने लगे थे। अतः इस वर्ष यह त्योहार जल्दी मनाया जा रहा है। इस वर्ष फूलों के न आने पर यह संकेत मिलता है कि जलवायु कारक पौधों की प्रजातियों के जीवन चक्र को प्रभावित कर रहे हैं।

दक्षिण भारत में बोनेट मकाक का अस्तित्व खतरे में

दक्षिण भारत में बोनेट मकाक (Bonnet Macaques) एक ऐसा बंदर है, जिसके संदर्भ में अक्सर ऐसा अनुमान व्यक्त किया जाता है कि यह प्रायः सभी स्थानों पर आसानी से पाया जाता है, का अस्तित्व खतरे में है। हाल ही में प्लॉस वन (PLOS ONE) जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, इनकी संख्या में आ रही गिरावट का एक सबसे अहम् कारण तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण (शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव के परिणामस्वरूप सड़क के किनारे के पेड़ की संख्या में निरंतर कमी आ रही है, साथ ही शहरी क्षेत्रों में वनस्पति भी लगभग नष्ट होती जा रही है) है।

बोनेट मकाक की विशेषताएँ

- बोनेट मकाक बंदरों की एक स्थानिक सहभोजी प्रकार की प्रजाति हैं।
- विश्व का यह सबसे पुराना बंदर एक दिनचर प्राणी है। इसका व्यवहार एवं सांकेतिक भाषा बहुत अधिक विशिष्ट होती है। यही कारण है कि इसकी पहचान बहुत सरलता से की जा सकती है।
- ये अजगर एवं चीते जैसे शिकारियों के संबंध में एक अलार्म कॉल के रूप में भी कार्य करते हैं।
- बोनेट मकाक की दो उप-प्रजातियों की भी पहचान की गई है- एम.आर. रैडाइटा एवं एम.आर. डायलूटा (M. r. radiata and M. r. diluta)।
- ये केवल भारत के प्रायद्वीपीय भागों में पाए जाते हैं।
- इनमें मनुष्यों के साथ निकटता से रहने की प्रवृत्ति विद्यमान होती है।
- प्राय: इनका निवास स्थान नदी के किनारे अवस्थित मंदिरों से लेकर सड़क के किनारे के पेड़ तक होता है।





सैकॉन के सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार

- बोनेट मकाक की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिये तिमलनाडु के सलीम अली केंद्र (Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History - SACON), सैकॉन सिहत कुछ अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की सड़कों (कुल 1,140 किमी.) से संबंधित एक सर्वेक्षण किया गया।
- इस सर्वेक्षण के अंतर्गत दक्षिण भारत तक रीसस मकाक के संबंध में एक शोध किया गया। इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि रीसस मकाक कर्नाटक के रायच्र जिले के दक्षिण क्षेत्र तक फैले हुए हैं।

निरंतर घटती संख्या

• दक्षिण भारत में किये गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि वर्तमान में बोनेट मकाक केवल 16 वन-वर्चस्व संरक्षित क्षेत्रों (forest-dominated protected areas) में ही पाए जाते हैं। चिंता की बात यह है कि इन क्षेत्रों में भी इनकी संख्या में पर्याप्त कमी आई है।

सलीम मुईनुद्दीन अब्दुल अली के विषय में

- भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित सलीम मुईनुद्दीन अब्दुल अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृतिवादी थे।
 उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है।
- इन्होंने देश भर में व्यवस्थित रूप में पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया तथा भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में उल्लेखनीय योगदान भी दिया।

क्यों विशेष हैं ओलिव रिडले समुद्री कछुए?

- ओलिव रिडले समुद्री कछुओं (Lepidochelys olivacea) को 'प्रशांत ओलिव रिडले समुद्री कछुओं' के नाम से भी जाना जाता है।
- यह मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। ये मांसाहारी होते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाला विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन आईयूसीएन (International Union for Conservation of Nature- IUCN) द्वारा जारी रेड लिस्ट में इसे अतिसंवेदनशील (Vulnerable) प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है।
- ओलिव रिडले कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर उड़ीसा के गंजम तट पर अंडे देने आते हैं और फिर इन अंडों से निकले बच्चे समुद्री मार्ग से वापस हजारों किलोमीटर दूर अपने निवास-स्थान पर चले जाते हैं।
- उल्लेखनीय है कि लगभग 30 साल बाद यही कछुए जब प्रजनन के योग्य होते हैं तो ठीक उसी जगह पर अंडे देने आते हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ
- दरअसल अपनी यात्रा के दौरान वे भारत में गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से गुजरते हैं, लेकिन प्रजनन करने और घर बनाने के लिये उड़ीसा के समुद्री तटों की रेत को ही चुनते हैं।





सामाजिक मुद्दे

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

- यह 'संयुक्त राष्ट्र' की एक विशिष्ट एजेंसी है, जो श्रम-संबंधी समस्याओं/मामलों, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों, सामाजिक संरक्षा तथा सभी के लिये कार्य अवसर जैसे मामलों को देखती है।
- यह संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों से इतर एक त्रिपक्षीय एजेंसी है अर्थात् इसके पास एक 'त्रिपक्षीय शासी संरचना' (Tripartite Governing Structure) है, जो सरकारों, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों का (सामान्यतः 2:1:1 के अनुपात में) इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व करती है।
- यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को पंजीकृत तो कर सकती है, किंतु यह सरकारों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती है।
- इस संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् 'लीग ऑफ नेशन्स' (League of Nations) की एक एजेंसी के रूप में सन् 1919 में की गई
 थी।
- भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य रहा है।
- इस संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है।
- वर्तमान में 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं, जिनमें से 186 देश संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से हैं तथा एक अन्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित 'कुक्स द्वीप' (Cook's Island) है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 1969 में इसे सर्वोच्च प्रतिष्ठित 'नोबेल शांति पुरस्कार' प्रदान किया गया था।

बाल यौन दुर्व्यवहार और शोषण पर राष्ट्रीय गठबंधन

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश में बच्चों के साथ होने वाले ऑनलाइन यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार के विरुद्ध जंग का ऐलान करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन के गठन का निर्णय लिया गया।
- इसका उद्देश्य बच्चों के माता-िपता, स्कूलों, समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों तथा स्थानीय सरकारों के साथ-साथ पुलिस एवं वकीलों की इस विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था तक पहुँच सुनिश्चित करना है, तािक बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में निर्मित सभी वैधािनक नियामकों, नीितयों, राष्ट्रीय रणनीितयों एवं मानकों के सटीक क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

उद्देश्य

- इस संदर्भ में बाल यौन दुर्व्यवहार और शोषण पर राष्ट्रीय गठबंधन (National Alliance on Child Sexual Abuse and Exploitation) के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

 - मौजूदा सेवा वितरण प्रणाली को मज़बूत बनाने के लिये एक पोर्टल इनक्लूसिव हॉटलाइन सिंहत मिहला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक बहु-सदस्थीय सिंचवालय की स्थापना करना।





- नेटवर्किंग और जानकारी साझा करने के लिये सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों और अन्य बाल अधिकार कार्यकर्त्ताओं के लिये एक मंच प्रदान करना।
- √ बच्चों के ऑनलाइन शोषण की रोकथाम के संदर्भ में सर्वोत्तम तरीकों और सफलता की कहानियों (सक्सेस स्टोरीज़) व दस्तावेजों का
 प्रयोग
- ✓ ऑनलाइन बाल उत्पीड़न और शोषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर माता-िपता, शिक्षकों, सेवा प्रदाताओं और बच्चों को शिक्षित तथा जागरूक करना।
- 🗸 अनुसंधान और अध्ययन के आधार पर बच्चों के अधिकारों और नीति के लिये एक मंच प्रदान करना|

दक्षिण भारतीय राज्यों और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक महिला उद्यमी

महिला उद्यमियों के नॉलेज हब 'शी एट वर्क' द्वारा जारी 'भारत में महिला उद्यमियों की स्थिति' नामक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि देश के दक्षिणी राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में महिला उद्यमियों की संख्या देश के अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है।

प्रमुख बिंदु

- यह रिपोर्ट इन राज्यों में महिला-उद्यमिता के पीछे महिला सशक्तीकरण के प्रयासों के अतिरिक्त यहाँ महिलाओं की उच्च साक्षरता दर को भी इसका कारण बताती है।
- इन राज्यों में दस वर्ष या अधिक वर्षों की शिक्षा पूर्ण करने वाली महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है।
- इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महिला उद्यमियों को आकर्षित करने वाले क्षेत्रों में शीर्ष पर क्रमशः शिक्षा, वित्त, बीमा, पशुपालन और वानिकी संबंधी उद्यम हैं, जबकि छठी आर्थिक गणना के अनुसार सर्वाधिक महिला उद्यम कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं।
- एक और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि लगभग 80% महिला उद्यमी स्व-वित्तीयन (self-financing) के माध्यम से अपने उद्यम का संचालन करती हैं।
- महिला उद्यमियों के लिये सर्वाधिक योजनाओं का संचालन करने वाले राज्यों में क्रमशः गोवा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शीर्ष पर हैं।
- तमिलनाडु में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे कारोबारों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ करीब 10 लाख इकाइयाँ महिलाओं द्वारा संचालित हैं।
- इससे पहले केंद्रीय सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की छठी आर्थिक गणना के मुताबिक देश भर में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या 80.50 लाख है जिसमें से सर्वाधिक उद्यम तिमलनाडु में 13.51 प्रतिशत है। इसके बाद केरल (11.35 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (10.56 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (10.33 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (8.25 प्रतिशत) है।
- वहीं उत्तरी राज्यों में महिला उद्यमों की संख्या काफी कम है। उदाहरण के लिये देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या मात्र 4.82 लाख है, जो देश का सिर्फ 5.99 प्रतिशत है। इसी तरह बिहार में महिला उद्यमों की संख्या 1.53 लाख है, जो देश का 1.91 प्रतिशत है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016

- उभयलिंगी व्यक्ति को परिभाषित करना।
- उभयलिंगी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करना।





- ऐसे व्यक्ति को उस रूप में मान्यता देने के लिये उसे अधिकार प्रदत्त करने और स्वत: अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार प्रदत्त करना।
- पहचान पत्र जारी करना।
- यह उपबंध करना कि उभयिलंगी व्यक्ति को किसी भी स्थापन नियोजन, भर्ती, प्रोन्नित और अन्य संबंधित मुद्दों के विषय में विभेद का सामना न करना पड़े।
- प्रत्येक स्थापन में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
- विधेयक के उपबंधों का उल्लंघन करने के संबंध में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना।

मातृत्व लाभ अधिनियम : समस्याएँ एवं समाधान

मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत किये गए संशोधनों में 26 सप्ताह के सवैतनिक प्रसूति अवकाश के साथ-साथ अनिवार्य क्रैच सुविधा का विशेष प्रावधान किया गया है।

यूनिसेफ एवं डब्लू.एच.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार


- यूनिसेफ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई वाली ग्लोबल ब्रेस्टफीडिंग कलेक्टिव (Global Breastfeeding Collective) द्वारा जारी एक रिपोर्ट, 2017 में माताओं द्वारा शिश् को स्तनपान कराने को 'वैश्विक स्वास्थ्य में सबसे अच्छा निवेश' के नाम से संबोधित किया गया है।
- ग्लोबल ब्रेस्टफीडिंग कलेक्टिव के अनुसार, एक 'ग्लोबल ब्रेस्टफीडिंग स्कोरकार्ड, 2017' से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत द्वारा प्रति बच्चा मात्र \$0.15 (10 रुपए से भी कम) खर्च किया जाता है।

मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोज़गार देने वाले सभी संस्थानों पर लागू होगा।
- अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक महिला को मिलने वाले मातृत्व अवकाश की अविध 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। ऐसे मामले जिनमें महिला के दो या दो से अधिक बच्चे हैं, को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाना जारी है।
- दत्तक और कमिशनिंग माताओं के लिये भी 12 सप्ताह के अवकाश का प्रावधान है।
- ऐसी संस्थाएँ, जिनमें 50 अथवा अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, को एक निर्धारित दूरी के अंदर क्रेच (शिशु गृह) की सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी।
- इस प्रकार यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 42 के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों का भी अनुसरण करता है।

पंचायती राज संस्थाओं में चयनित महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु एक पहल

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (Elected Women Representatives - EWRs) और प्रधान प्रशिक्षकों (मास्टर ट्रेनर्स) के लिये एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया।





641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9 दूरभाष: 011-47532596, (+91)8130392354, 56 ई-मेल:helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट:www.drishtiIAS.com फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation ट्विटर:twitter.com/drishtiias



कार्यक्रम का आयोजक कौन होगा?

 महिलाओं में क्षमता विकास हेतु बेहतर विकल्प प्रदान करने के लिये शुरू किये गए इस कार्यक्रम का आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक को-ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट (National Institute of Public Co-operation and Child Development - NIPCCD) द्वारा किया जा रहा है।

लक्ष्य

 इसके तहत देश के प्रत्येक ज़िले से लगभग 50 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करते हुये मार्च 2018 तक कुल बीस हज़ार को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विभिन्न डेयरी विकास योजनाएँ

देश में दूध की बढती मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न डेयरी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दुधारु पशुओं की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय गौकुल मिशन

- यह योजना देश में वैज्ञानिक एवं समेकित तरीके से स्वदेशी गौवंश (Domestic Bovines) नस्लों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से 27 राज्यों में 35 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है।
- 2. इसके तहत 31 उच्च नस्ल के मादा गौवंश फार्म (Mother Bull Farm), गायों के दुग्ध उत्पादकता की रिकॉर्डिंग, 30,000 कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को प्रशिक्षण और साथ ही गौवंश के विशेष संरक्षण हेतु 14 **गोकुल ग्राम** (Bovine Development Centres) की स्थापना की जा रही है।
- 3. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी नस्लों के विशेष संरक्षण हेतु 2 **कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर** आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थापित किये जा रहे हैं।
- 4. इस मिशन से लगभग 7 करोड़ दृग्ध उत्पादक किसानों व 30 करोड़ गौवंश एवं भैंस वंश की उत्पादकता में सुधार की संभावना है।

नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर

- 1. देश में हमारी देशी नस्तों के संरक्षण हेतु दो 'नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर' आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थापित किये जा रहे हैं।
- 2. इसके तहत 41 गोजातीय नस्लों और 13 भैंस की नस्लों को संरक्षित किया जाएगा।

राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन

- 1. पशुपालकों की आय एवं दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि वर्ष 2016 से **'राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन'** की नई योजना की शुरुआत की गई।
- इस योजना का उद्देश्य 8.8 करोड़ दुधारु पशुओं को नकुल स्वास्थ्य पत्र एवं पशु यू.आई.डी. (UID) जारी करना है, तािक इनके स्वास्थ्य एवं उत्पादकता की पूर्ण निगरानी एवं सामयिक उपचार किये जा सकें।
- मादा बोवाइन की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से उन्नत प्रजनन तकनीक (Advanced Breeding Techniques), जैसे लिंग सोर्टेड बोवाइन वीर्य तकनीक (Sex Sorted bovine Semen), 50 भ्रूण स्थानांतरण केंद्र (Embryo Transfer Techniques) और इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (In vitro Fertilization) केंद्र खोले जाएंगे।
- 4. देशी नस्लों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिये **राष्ट्रीय जेनोमिक केंद्र** की स्थापना की जा रही है, जिसमें जेनोमिक तकनीक के माध्यम से कुछ ही वर्षों में देशी नस्लों को उच्च उत्पादकता हेतु स्वीकार्य बनाया जा सकेगा।
- 5. वर्ष 2016 में ही पहली बार उच्च नस्ल/उत्पादक पशुधन को बेचने एवं खरीदने के लिये **ई-पशुधन हाट पोर्टल** की शुरुआत की गई।





डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष

- इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 10881 करोड़ की डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता तथा बल्क मिल्क कूलर के माध्यम से दुग्ध अवशीतन क्षमता का सृजन किया जाएगा।
- 2. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध मिलावट परीक्षण उपकरण एवं दूध को मूल्य-वर्धित दुग्ध पदार्थों में परिवर्तित करने की क्षमता का भी प्रावधान रखा गया है।







विविध

बंगनपल्ले आमों के साथ ही छह अन्य उत्पादों को प्राप्त हुआ 'जीआई टैग'

आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंगनपल्ले आम और पश्चिम बंगाल के तुलापंजी चावल उन सात उत्पादों में शामिल हैं, जिन्हें इस वर्ष 'भारतीय पेटेंट कार्यालय' द्वारा 'भौगोलिक संकेत' (Geographical Indications- GI) टैग दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष जिन अन्य उत्पादों को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, उनमें तेलंगाना का पोचमपल्ली इकाट (Pochampally Ikat) पश्चिम बंगाल का गोबिंदोभोग (Gobindobhog), आंध्र प्रदेश के दुर्गी स्टोन कार्विंग्स (Durgi Stone Carvings) और एटीकोपक्का और नागलैंड के चाक्षेसांग शॉल (Chakshesang Shawl) शामिल हैं।
- दार्जिलिंग चाय, तिरुपित लड्डू, काँगड़ा पेंटिंग्स, नागपुर संतरा और कश्मीरी पश्मीना आदि उत्पाद भारत में पंजीकृत भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पाद
 हैं।
- वर्ष 2016-17 में 33 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ था।

बंगनपल्ले आम

- बंगनपल्ले आम को आंध्र प्रदेश राज्य में 100 वर्षों से उगाया जा रहा है।
- इसे बेनशन (Beneshan,), बनेशन (Baneshan), बनिशन (Benishan), चप्पातई (Chappatai) और सफेदा (Safeda) के नाम से भी जाना जाता है।
- इन्हें बंगनपल्ली (Banaganapalli), बंगिनपल्ली (Banginapalli), बंगनपल्ले (Banaganapalle) भी कहा जाता है।
- यदि इस फल को शीत भंडार गृह में रखा जाए तो तीन माह तक भी इनकी मिठास बरकरार रहती है।
- बंगनपल्ले आम की मुख्य विशेषता यह है कि उसके आवरण पर बहुत हल्के धब्बे होते हैं। इसकी गुठली आकार में लंबी तथा बीज बहुत पतला होता है, जिसके चारों ओर बहुत कम परंतु मुलायम रेशे होते हैं।
- बंगनपल्ले, पान्यम (Paanyam) तथा नंदयाल मंडलों (Nandyal mandals) के साथ ही इस फल का प्राथमिक उत्पादन कुरनूल ज़िले में किया जाता है।
- रॉयलसीमा और तटीय आंध्र इसके उत्पादन के द्वितीयक केंद्र हैं।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने तेलंगाना के खम्मम, महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेदक और आदिलाबाद ज़िले की पहचान भी इसके द्वितीयक उत्पादन केंद्रों के रूप में की है।

जीआई टैग क्या है?

- भौगोलिक संकेत को बौद्धिक संपदा अधिकारों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
- भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पाद मुख्यतः एक ऐसा कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद (हस्तिशिल्प और औद्योगिक वस्तुएँ) होता है, जिसे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही उगाया जाता है।






- जीआई टैग प्रदान करना किसी विशिष्ट उत्पाद के उत्पादक को संरक्षण प्रदान करता है, जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उनके मूल्यों को निर्धारित करने में सहायता करता है।
- यह संकेत प्राप्त होने पर उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता सुनिश्चित होती है।
- भौगोलिक संकेत का टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति अथवा किसी विशेष क्षेत्र से उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है, क्योंकि उत्पाद की विशेषता और उसके अन्य गुण उसके उत्पति स्थान के कारण ही होते हैं।
- यह दर्शाता है कि वह उत्पाद एक विशिष्ट क्षेत्र से आता है। यह टैग किसानों और विनिर्माताओं को अच्छे बाज़ार मूल्य प्राप्त करने में सहायता करता है।

ड्रिप सिंचाई

 ड्रिप सिंचाई पद्धित सिंचाई की उन्नत पद्धित होती है। इस पद्धित के प्रयोग द्वारा सिंचाई जल की पर्याप्त बचत होने के साथ-साथ खाद की भी बचत होती है। इस पद्धित के अंतर्गत पानी को बूँद-बूँद करके कई अलग-अलग पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है, इसे 'टपक सिंचाई' अथवा 'बूँद-बूँद सिंचाई' भी कहा जाता है।



ड्रिप सिंचाई तंत्र

परंपरागत सिंचाई के तहत जल का सही रूप में उपयोग नहीं हो पाता है इसका कारण यह है कि जो पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचना चाहिये,
 उसमें से कुछ का वाष्पीकरण हो जाता है और कुछ जल रिस कर जमीन में वापस चला जाता है। स्पष्ट रूप से सिंचाई के लिये अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है।

लाभ

- इससे फसलों की पैदावार बढ़ती है।
- खाद का इस्तेमाल कम होता ह, जिसके कारण उच्च गुणवत्तापूर्ण फसल का उत्पादन होता है।
- जल के साथ-साथ मृदा के विक्षालन एवं अप्रवाह में कमी आती है।
- जल की बचत जैसे बहुत से लाभ हैं।



641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9 दूरभाष: 011-47532596, (+91)8130392354,56 ई-मेल:helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट:www.drishtiIAS.com फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation ट्विटर:twitter.com/drishtiias



भारतीय वैज्ञानिकों की एक नई खोज : स्मार्ट विंडो

बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसे स्मार्ट विंडो अर्थात् खिड़की (smart window) विकसित की गई है, जिसमें जैसे ही ऊष्मा प्रदान की जाती है, यह स्वचालित रूप से पारदर्शी से अपारदर्शी हो जाती है, लेकिन जैसे ही इसे ऊष्मा से पृथक् किया जाता है तो यह अपनी मूल पारदर्शी स्थिति में वापस आ जाती है।

इनके निर्माण में किस प्रकार के तत्त्वों का इस्तेमाल किया गया है?

- सी.ई.एन.एस. (Centre for Nano and Soft Matter Sciences (CeNS) के शोधकर्त्ताओं द्वारा भिन्न-भिन्न व्यवहारों वाली तीन अलग-अलग प्रकार की खिड़कियाँ (थर्मोक्रोमिक, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजेल) बनाई गई हैं।
- ये तीनों अलग-अलग प्रकार की खिड़िकयाँ थर्मोक्रोमिक, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजेल (thermochromic, hydrocarbon, hydrogel) से निर्मित हैं।

ये किस प्रकार कार्य करती हैं?

- हाइड्रोजेल (hydrogel) से बनी खिड़िकयों को जब ऊष्मा के संपर्क में लाया जाता है तो ये पारदर्शी से अपारदर्शी में परिवर्तित हो जाती हैं और जैसे ही इससे ऊष्मा को दूर किया जाता है तो ये पुन: अपने स्वाभाविक रूप में वापस आ जाती है।
- थर्मोक्रोमिक (Thermochromic) और हाइड्रोकार्बन (hydrocarbon) से बनी खिड़िकयाँ कमरे के तापमान पर अपारदर्शी होती हैं और जैसे ही ये गर्म होने लगती हैं, ये पुन: पारदर्शी बन जाती हैं।

सौर और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण

- ये ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (optoelectronic devices), जो प्रकाश और विद्युत धाराओं दोनों पर काम करते हैं, का मूल घटक पारदर्शी हीटर होता है।
- थर्मोक्रोमिक खिड़िकयों में एक साधारण काँच आधारित पारदर्शी हीटर लगा होता है, जो वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध तापमान-संवेदनशील रंगों से लेपित होता है।
- विंडो की पारदर्शिता को बहुत कम (0.2 वाट/सेमी²) ऊष्मा की आपूर्ति के माध्यम से अपनी आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है।
- दूसरी और तीसरी प्रकार की खिड़िकयाँ या तो हाइड्रोकार्बन (आमतौर पर उपलब्ध फैटी एसिड) या फिर हाइड्रोजेल (हाइड्रॉक्सीप्रोपिल मिथाइल सेल्युलोज) से बनी होती है, इनमें एक काँच पारदर्शी हीटर और एक सादे काँच के साथ जुड़ा हुआ होता है।
- भारतीय कार्यालयों और घरों के लिये हाइड्रोजेल विंडो आदर्श विंडो है। जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है तो खिडिकयों में लगा काँच अपारदर्शी होकर बड़ी खिडिकयों वाले कार्यालयों के लिये एक कुशल ऊष्मा प्रबंधन व्यवस्था प्रदान करता है।
- इस प्रकार की खिड़िकयों को केवल 0.2 वाट/सेमी² ऊष्मा प्रदान करके भी नियंत्रित किया जा सकता है। रोचक बात यह है कि इसे पूरी तरह से अपारदर्शी होने में सिर्फ दो मिनट लगते हैं।
- हाइड्रोजेल खिड्कियाँ अवरक्त विकिरण को प्रतिबंधित कर सकती हैं, जिससे इनडोर तापमान को कम किया जा सकता है।

<u>'उलुरू' : ऑस्ट्रेलिया की विशाल 'लाल चट्टान'</u>

उलुरू-कैटा जूटा नेशनल पार्क बोर्ड (Uluru-Kata Tjuta National Park Board) ने वर्ष 2019 से विश्व के विशाल मोनोलिथ (monolith) 'उलुरू' पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदित हो कि इस विशाल लाल चट्टान का सांस्कृतिक महत्त्व है और यह ऑस्ट्रेलिया में आने वाले पर्यटकों के लिये आकर्षण का केंद्र भी है। अनेक पर्यटक इस पर चढ़ाई (climb) करते हैं, जिस कारण वर्तमान में यह एक 'थीम पार्क' (theme park) बनता जा रहा है।





प्रतिबंध लगाने का कारण

- मोनोलिथ विशाल पत्थर होता है, जिसका उपयोग किसी ढाँचे अथवा स्मारक के निर्माण के लिये किया जाता है
- 'उल्रूक' पर चढ़ाई करना साहसिक कार्य का प्रतीक है। इसे 'एयर्स रॉक' (Avers Rock) के नाम में भी जाना जाता है।
- नेशनल पार्क बोर्ड का मानना है कि यहाँ आने वाले अधिकांश पर्यटक पारंपरिक आदिवासी लोगों (जिन्हें 'अनांगु' कहा जाता है) की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं, जिसे वे पसंद नहीं करते हैं।
- पारंपरिक 'आदिवासी मालिकों' का इस स्थल से कई हज़ार वर्ष पुराना संबंध है और इसका उनके लिये काफी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व भी है।

उलुरू से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

- उल्रू संभवतः ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक भू-भाग है। यह प्राचीन मोनोलिथ काफी आकर्षक भी है। अतः ऑस्ट्रेलिया आने वाले लगभग सभी पर्यटक इसे देखने ज़रूर आते हैं।
- इसे एयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसे यह नाम वर्ष 1873 में विलियम गॉस द्वारा सर हेनरी एयर्स के नाम पर दिया गया था।
- यह चट्टान लगभग 3.6 किलोमीटर लंबी और 1.9 किलोमीटर चौड़ी है, जिसकी परिधि 9.4 किलोमीटर है। इसके शीर्ष पर पहुँचने के लिये 1.6 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि तीव्र ढाल युक्त है, जबिक इसका शिखर सामान्यतः समतल है।
- इस चट्टान में उपस्थित लोहे के सतही ऑक्सीकरण के कारण स्लेटी दिखने वाला उलुरू नारंगी और लाल रंग का दिखाई देता है।
- इसी समय इसके निकट कैटा जूटा (अथवा ओल्गास) का भी उद्भव हुआ था। ऐसा माना जाता है कि आरंभ में ये दोनों मिलकर एक ही विशाल मोनोलिथ बनाते थे।
- ये उलुरू- कैटा जूटा नेशनल पार्क का एक भाग है, जिसकी स्थापना वर्ष 1950 में 'एयर्स रॉक माउंट-ओल्गा नेशनल पार्क' (Ayers Rock-Mount Olga National Park) के नाम से की गई थी। वर्ष 1995 में इसका नाम बदलकर उलुरू-कैटा जूटा नेशनल पार्क कर दिया गया था।

उलुरू कितना बड़ा है?

- 348 मीटर ऊँचा (1141 फीट)
- 348 मीटर ऊँचा (1141 फीट) समुद्र तल से 863 मीटर ऊँचा (2,831फीट)
- 3.6 किलोमीटर लंबा (2.2 मील)
- 1.9 किलोमीटर चौड़ा (1.2 मील)
- आधार 9.4 किलोमीटर अथवा 5.8 मील
- क्षेत्रफल: 3.33 वर्ग किलोमीटर (1.29 वर्ग मील)

19 एशियाई देशों का 'नई बाज़ार व्यवस्था में उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण' सम्मेलन

नई दिल्ली में 'बाज़ार व्यवस्था में उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण' विषयक दो-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

- विधिक माप विज्ञान नियम 2011 में संशोधन कर खाद्य वस्तुओं के अंतर्गत की जाने वाली घोषणाओं को FSSAI के प्रावधानों के साथ मिला दिया गया है। अब खाद्य वस्तुओं के पैक पर अधिकतम खुदरा मूल्य, शुद्ध मात्रा और उपभोक्ता सहायता संबंधी विवरण के लिये अक्षरों और अंकों के आकार प्रदर्शित करने का अनुपालन करना होगा।
- अनिवार्य घोषणा करने के लिये अक्षरों और अंकों का आकार बढ़ा दिया गया है, ताकि उपभोक्ता उसे आसानी से पढ़ सकें।





• नियमों में विशेष उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित व्यापार पद्धित या व्यापार के अनुचित तरीके अपनाकर, जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में परिभाषित किया गया है, पहले से पैकबंद एक जैसी वस्तुओं के लिये अलग-अलग अधिकतम खुदरा मूल्य घोषित नहीं करेगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

- उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। निजी, सरकारी और सहकारी सभी क्षेत्र के उत्पादों को इस कानून के अंतर्गत रखा गया है।
- यदि किसी उपभोक्ता को लगे कि उसे मिली वस्तु या सेवा में कुछ खराबी है, जिसके कारण उसे हानि पहुँची है, तब वह इस कानून का प्रयोग कर उचित उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज़ करा सकता है।
- इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता के अधिकार स्पष्ट तौर पर उल्लेखित हैं कि उपभोक्ता जीवन एवं संपत्ति के लिये घातक पदार्थों या सेवाओं की बिक्री से बचाव का अधिकार रखेगा। उपभोक्ता को पदार्थों एवं सेवाओं का मूल्य, उनका स्तर, गुणवत्ता, शुद्धता, मात्रा व प्रभाव के संबंध में सूचना पाने का अधिकार है।
- इनके अलावा अनुचित व्यापार प्रक्रिया अथवा अनियंत्रित उपभोक्ता शोषण से संबंधित शिकायत की सुनवाई का भी अधिकार है।







पीआईबी स्पेशल

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जारी रखने और पुनर्संरचना के लिये मंज़ूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (National Rural Drinking Water Programme - NRDWP) को जारी रखने तथा इसकी पुनर्संरचना को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों हेतु गुणवत्तापूर्ण शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये इस कार्यक्रम को पहले से मौजूद योजनाओं की कार्यशीलता की बेहतर निगरानी करने के साथ-साथ पहले की अपेक्षा और अधिक निर्णायक एवं प्रतिस्पर्द्धी बनाने पर बल दिया गया है।

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर की समस्त ग्रामीण जनसंख्या को कवर किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना से यह न केवल पहले की अपेक्षा और अधिक लोचदार, परिणामोन्मुखी और प्रतिस्पर्द्धी बन सकेगा, बल्कि मंत्रालय द्वारा सतत् प्रयासों के ज़रिये पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त भी किया जा सकेगा।

वित्त

• 14वें वित्त आयोग की अविध (2017-18 से 2019-20) के लिये इस कार्यक्रम के तहत 23,050 करोड़ रुपये की धनराशि को मंज़ूरी प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु

- एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. को 14वें वित्त आयोग के मार्च 2020 के चक्र के अनुरूप जारी खा जाएगा।
- एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. की पुनर्संरचना के साथ-साथ जापानी एंसेफलाइटिस (Japanese Encephalitis JE)/एक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम (Acute Encephalitis Syndrome AES) से प्रभावित क्षेत्रों के लिये 2 प्रतिशत धन की भी व्यवस्था की जाएगी।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक उप-कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (National Water Quality Sub-Mission NWQSM), जिसे फरवरी 2017 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, के अंतर्गत तकरीबन 28 हज़ार आरसेनिक और फ्लोराइड प्रभावित लोगों को (पूर्व चयनित) स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की तत्काल ज़रूरत को पूरा किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के सटीक अनुपालन के लिये आगामी चार वर्षों हेतु तकरीबन 12,500 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश की आवश्यकता होगी, जबिक दूसरी किस्त का आधा अंश राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी बाद में केंद्रीय वित्तपोषण से प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- यदि राज्य वित्तीय वर्ष में 30 नवंबर से पूर्व इस राशि का दावा करने में विफल रहते हैं तो ये निधियाँ सामान्य पूल का हिस्सा बन जाएंगी तथा इस राशि को ऐसे उच्च कार्य निष्पादक राज्यों को जारी कर दिया जाएगा, जिनके द्वारा 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर भारत सरकार को पहले ही वित्त पोषित कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. कार्यक्रम वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था।
- इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों हेतु पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत पीने योग्य पानी की उपलब्धता, पर्याप्तता, सुविधा, वहन करने की क्षमता तथा साम्यता की दृष्टि से पानी की सतत् उपलब्धता पर सबसे अधिक बल दिया गया है।
- वस्तुतः यह प्रत्येक ग्रामीण को हर समय तथा सभी प्रकार की परिस्थितियों में (चाहे बाढ़ अथवा सूखे की स्थिति हो या फिर कोई अन्य कारण)
 सभी प्रकार की जल संबंधी आवश्यकताओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करता है।
- एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में निधि वहन की जाती है।





मज़दुरी नीति से संबंधित विभिन्न पक्ष

केंद्रीय मंत्रिमडल द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के कामगारों हेतु मज़दूरी समझौते के आठवें चरण के लिये मज़दूरी नीति को मंजूरी दी गई।

मुख्य विशेषताएँ

- सरकार द्वारा मज़द्री में बढ़ोतरी के लिये कोई भी बजटीय सहायता नहीं दी जाएगी।
- संपूर्णिवत्तीय भार संबंधित सीपीएसई द्वारा उसके आंतरिक संसाधनों से वहन किया जाएगा।
- संबंधित सीपीएसई के प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि वेतन के पराक्रमित स्केल उसके एक्ज़क्यूटिव/अधिकारियों और गैर-यूनियनकृत अधीक्षकों के वर्तमान वेतनमान से अधिक नहीं होंगे।
- जिन सीपीएसई के प्रबंधन में 5 वर्षों की आविधकता को अपनाया गया है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि दो उत्तरवर्ती मज़दूरी समझौतों के पराक्रमित वेतन स्केल संबंधित सीपीएसई के एक्ज़क्यूटिव/अधिकारियों और गैर-यूनियनकृत अधीक्षकों के वर्तमान वेतनमान से अधिक नहीं होंगे, जिनके लिये 10 वर्षों की आविधकता का अनुपालन किया जा रहा है।
- सीपीएसई को यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि समझौते के बाद मज़दूरी में कोई भी बढ़ोतरी से उनकी वस्तुओं और सेवाओं की प्रशासित कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मज़दूरी संशोधन इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि उत्पादन की प्रति भौतिक इकाई की मज़दूरी लागत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
- मज़द्री समझौते की वैधता अवधि ऐसे लोगों के लिये कम से कम पाँच साल होगी, जिन्होंने पाँच वर्ष की आवधिकता का चयन किया है।
- इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों ने मज़दूरी समझौते की आविधकता के लिये 10 वर्ष की अविध का चयन किया है, उनके लिये अधिकतम अविध 10 वर्ष होगी। यह दिनांक 1.1.2017 से लागू होगी।

पृष्ठभूमि

- पी.आई.बी. द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में देश में मौजूद 320 सीपीएसई में तक़रीबन 12.34 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। इनमें से लगभग 2.99 लाख कर्मचारी बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के एक्ज़क्यूटिव और गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षक हैं। शेष लगभग 9.35 लाख कर्मचारी यूनियनकृत कामगारों की श्रेणी में आते हैं।
- यूनियनकृत कामगारों के संबंध में मज़दूरी संशोधन को मज़दूरी समझौते के लिये सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार सीपीएसई के व्यापार संघों और प्रबंधनों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

ऊर्जा दक्षता के लिये बाजारों का सृजन

कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के अनुपालन में भारत के प्रयासों को मद्देनज़र रखते हुए ग्लोबल एन्वायरनमेंट फैसेलिटी (Global Environment Facility - GEF) द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited - EESL) के साथ भागीदारी करते हुए एक नई परियोजना (Creating and Sustaining Markets for Energy Efficiency) आरंभ की गई है।

परियोजना के प्रमुख बिंदु

- कुल 454 मिलियन डॉलर की निधि वाली इस पिरयोजना के अंतर्गत जी.ई.एल. द्वारा कुल 20 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया जाएगा, जबिक 434 मिलियन डॉलर धनराशि ऋण और इक्विटी के रूप में होगी।
- इसके अतिरिक्त इसके तहत एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रदत्त 200 मिलियन डॉलर के ऋण को भी इसमें शामिल किया जाएगा।





ई.ई.आर.एफ. संबंधी प्रस्ताव

- ई.ई.एस.एल. द्वारा देश में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के टिकाऊ वित्तपोषण तंत्र हेतु ई.ई.आर.एफ. (Energy Efficiency Revolving Fund EERF) का भी प्रस्ताव पेश किया गया है।
- ई.ई.आर.एफ. तंत्र अत्यधिक दक्षता वाले पंखों की नई तकनीकों, 3G प्रौद्योगिकियों और स्मार्ट ग्रिड-अनुप्रयोगों के लिये 'अवधारणा के प्रमाण'
 (proof of concept) संबंधी निवेश को समर्थन प्रदान करेगा तथा ऊर्जा दक्षता वाले कार्यक्रमों (जैसे स्ट्रीट लाइटिंग, घरेलू प्रकाश, पाँच सितारा पंखे तथा कृषिगत पंपों) को कवर करने हेत् आवश्यक प्रारंभिक निवेश लागत प्रदान करेगा।
- यह अनुठा मॉडल नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में आने वाला अग्रिम जोखिम के संबंध में भी सहायता प्रदान करेगा।
- इसके अतिरिक्त ई.ई.एस.एल. द्वारा कूलिंग की 50 प्रतिशत तक की ऊर्जा मांग को कम कर सकने में समर्थ जिला कूलिंग सिस्टम (District Cooling Systems) को स्थापित किये जाने का भी निर्णय किया है।
- ई.ई.एस.एल. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की एक अन्य पहल (UN Environment's District Energy in Cities Initiative) में भी भागीदार बन गया है, जिसके अंतर्गत पहले से ही भारत के पाँच शहरों में 6 करोड़ डॉलर की परियोजनाओं की पहचान की जा चुकी।

इसका लक्ष्य क्या है?

- जी.ई.एफ. परियोजना के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (United Nations Environment), एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank ADB) और के.एफ.डब्ल्यू. (Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW) सहित कई तकनीकी एवं वित्तीयन भागीदारों को 60 लाख टन CO2 समतुल्य (carbon dioxide equivalent) के शमन करने का लक्ष्य तय किया गया है।
- गौरतलब है कि वर्तमान में भारत की दो तिहाई ऊर्जा पैदावार जीवाश्म ईंधन (फोसिल फ्यूइल) पर आधारित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा वर्ष 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा क्षमता के 40 प्रतिशत को केवल स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इस परियोजना का उद्देश्य भारत के आई.एन.डी.सी. (Intended Nationally Determined Contribution INDC) लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु ऊर्जा दक्षता प्रयासों को बढ़ावा देना तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (UN Sustainable Development Goals SDGs) को प्राप्त करना है।

जी.ई.एफ. क्या है ?

- यह 183 देशों, नागरिक समाज संगठनों और वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने वाले निजी क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी वाला एक वित्तीय संगठन है।
- स्वतंत्र रूप से संचालित वित्तीय संगठन के रूप में जी.ई.एफ. जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण, ओज़ोन परत,
 पी.ओ.पी. (Persistent Organic Pollutants POPs), पारा, स्थायी वन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा तथा स्थाई शहरों से संबंधित परियोजनाओं हेतु अनुदान प्रदान करता है।
- इसकी प्रशासिनक संरचना बहुत अनूठी है। इसके अंतर्गत एक असेंबली, पिषद्, सिचवालय, 18 एजेंसियाँ, एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाहकार पैनल तथा मूल्यांकन कार्यालय शामिल हैं।
- जी.ई.एफ. 6 फंड के अंतर्गत निम्नलिखित दो परियोजनाओं 'ऊर्जा दक्षता के लिये बाज़ारों का सृजन करना' तथा 'शहरों में ऊर्जा जिले बनाने' को समर्थन देने की बात कही गई है।





दीन दयाल उपाध्याय 'स्पर्श' योजना

संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने के लिये दीनदयाल 'स्पर्श' योजना (Deen Dayal SPARSH Yojana) का शुभारंभ किया गया। यह पूरे भारत के स्कूली बच्चों के लिये आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। 'स्पर्श' योजना के तहत कक्षा VI से IX तक के ऐसे सभी बच्चों को वार्षिक तौर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिनका शैक्षणिक परिणाम काफी अच्छा रहा है। इसके अतिरिक्त इन छात्रों द्वारा डाक टिकट संग्रह को एक रुचि के रूप में चुना गया हो।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत सभी डाक सर्किलों में आयोजित होने वाली एक प्रतियोगी प्रक्रिया के आधार पर डाक टिकट संग्रह में रुचि रखने वाले छात्रों का चयन किया जाएगा।
- योजना के आरंभ में इसके अंतर्गत तकरीबन 920 छात्रवृत्तियाँ देने का प्रस्ताव किया गया है।
- इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति के रूप में प्रति माह 500 रुपये (6000 रुपये वार्षिक) की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत छात्रवृत्ति पाने के लिये उक्त बच्चों को पंजीकृत स्कूल का छात्र होना चाहिये, साथ ही उक्त स्कूल को भी डाक टिकट संग्रह क्लब का सदस्य होना चाहिये तथा बच्चे को इस क्लब का सदस्य होना चाहिये।
- यदि किसी स्कूल में डाक टिकट संग्रह नहीं है तो वैसे छात्र जिनके पास डाक टिकट संग्रह के खाते मौजूद हैं, ऐसे छात्रों को भी इस योजना के तहत योग्य समझा जाएगा।

मार्गदर्शक स्कूल की क्या भूमिका होगी ?

- यह मार्गदर्शक स्कूल स्तर पर डाक टिकट क्लब की स्थापना में उक्त स्कूल को सहायता प्रदान करेगा।
- इसके अतिरिक्त युवा डाक टिकट संग्रहकर्ताओं को उनके हॉबी को अपनाने एवं इस दिशा में प्रभावी स्तर पर कार्य करने हेतु मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा।

डाक टिकट संग्रह (Philately)

- यह डाक टिकटों के संग्रह और इनके अध्ययन से संबद्ध कला है। इसके अंतर्गत डाक टिकटों एवं इससे संबद्ध उत्पादों के संग्रहण, प्रोत्साहन तथा शोध संबंधी गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है।
- डाक टिकट संग्रह के अंतर्गत डाक टिकटों को ढूंढना, चिन्ह्ति करना, प्राप्त करना, सूचीबद्ध करना, उनका प्रदर्शन करना एवं संग्रहण करने संबंधी
 कार्यों को भी शामिल किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि डाक टिकट संग्रह रुचि को सभी प्रकार में 'रूचियों का राजा' कहा जाता है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में बदलाव; नाम में 'रफ्तार' (RAFTAAR) जुड़ा

भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojna-RKVY) को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि और संबंधित क्षेत्र पुनरुद्धार लाभकारी दृष्टिकोण आरकेवीवाई-रफ्तार (Rashtriya Krishi Vikas Yojna-Remunerative Approaches for Agriculture and Allied sector Rejuvenation-RKVY-RAFTAAR) के रूप में 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्ष और जारी रखने को मंजूरी प्रदान की।





संशोधित योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- आरकेवीवाई-रफ्तार योजना की निधियाँ केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 (8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा तीन हिमालयी राज्यों के लिये 90:10) के अनुपात में अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी।
- वार्षिक परिव्यय की 20 प्रतिशत राष्ट्रीय प्राथिमकताओं से संबंधित आरकेवीवाई-रफ्तार विशेष उप-योजनाएँ।
- संपूर्ण समाधान, कौशल विकास, वित्तीय सहायता के ज़रिये नवाचार एवं कृषि उद्यम विकास के लिये वार्षिक परिव्यय का 10 प्रतिशत।
- इस योजना में राज्यों को कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिये ज़्यादा आवंटन करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है?

कृषक समुदाय को लाभ प्रदान करने के लिये कृषि मंत्रालय द्वारा राज्यों को कृषि तथा सहायक क्षेत्रों में और अधिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान यह योजना शुरू की गई, ताकि कृषि में उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाकर 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सके।

- इस योजना के तहत ज़िला तथा राज्य स्तर पर ऐसी कृषि योजनाएँ बनाई जाती हैं, जिनसे ऐसे बुनियादी ढाँचे का निर्माण हो सके, जो आज के मौजूदा उत्पादन परिदृश्य में उच्च उत्पादन को प्राप्त करने के लिये उत्प्रेरक का काम कर सके।
- यह योजना खाद्य फसलों का समन्वित विकास, कृषि का मशीनीकरण, मृदा गुणवत्ता तथा उत्पादकता, बागवानी, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन और बाज़ार ढाँचे का विकास आदि गतिविधियों के लिये उपलब्ध है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह: एकीकृत सूचकांक की तैयारी

- केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2017 तक आयोजित किया जा रहा है। 'मेरा लक्ष्य-भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषयक जागरूकता सप्ताह की शुरुआत उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने की।
- प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित करना आयोग के बहुपक्षीय दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसमें भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और उसे रोकने में सभी हितधारकों को बढ़ावा देने की रणनीति के अलावा भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है।

क्या है उद्देश्य?

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का उद्देश्य लोगों को भ्रष्टाचार से जुड़े तरीकों और इनकी शिकायत करने के बारे में जागरूक करना है।
- यह अभियान भ्रष्टाचार रोकने में लोगों को शामिल करने का जनांदोलन है।

एकीकृत सूचकांक की तैयारी

- केंद्रीय सतर्कता आयोग संगठन के अंदर आंतरिक प्रक्रिया और नियंत्रणों सिंहत बाहरी भागीदारों की अपेक्षाओं और संबंधों के प्रबंधन के आधार पर एकीकृत सूचकांक तैयार करने का काम कर रहा है।
- आयोग द्वारा संगठन में आंतिरक प्रक्रियाओं की विशिष्टताओं और नियंत्रण के आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जा रहा है।
- नई पहल होने के कारण प्रारंभ में यह एकीकृत सूचकांक 25 संगठनों के लिये विकसित किया जाएगा, जिसमें सरकारी संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ शामिल होंगी।
- बाद में एकीकृत स्चकांक को बढ़ाकर भारत सरकार के सभी संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इसमें शामिल किया जाएगा।
- सभी 25 संगठनों के प्रबंधनों को एकीकृत सूचकांक बनाने के कार्य में शामिल किया गया है और यह आईआईएम, अहमदाबाद के तकनीकी सहयोग से विकसित किया जाएगा।





सूचकांक बनाने के मुख्य उद्देश्य

- सार्वजनिक संगठनों के एकीकरण को परिभाषित करना.
- एकीकरण के विभिन्न घटकों और उनके अंत:संबंधों को परिभाषित करना.
- संगठनों के कार्य निष्पादन की जाँच के लिये एक उद्देश्य एवं विश्वसनीय साधन बनाना.
- एकीकरण की जाँच के लिये साधन को और उन्नत बनाने के लिये एक अवधि के उपरांत निष्कर्षों की पृष्टि करना.
- एकीकरण के साथ कार्य को बढ़ावा देने वाला ऐसा आंतरिक और बाहरी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, जिसके अनुसार सार्वजनिक संगठन कार्य कर सकें

इस एकीकृत सूचकांक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी बैंकों और वित्तीय संगठनों/विभागों/भारत सरकार के मंत्रालयों के वार्षिक अंक/रेंक शामिल किये जाएंगे। यह कार्य सार्वजनिक संगठनों की दीर्घकालिक दक्षता, लाभ देयता और स्थिरता के साथ सतर्कता के महत्वपूर्ण घटकों एवं सार्वजनिक संगठनों में आंतरिक और बाहरी पर्यावरण के अनुकूल कार्य पद्धति को बढ़ावा देने वाली प्रणाली को संबद्ध कर दिया जाएगा।

केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है?

- सतर्कता के मामले में केंद्र सरकार को सलाह तथा मार्गदर्शन देने के लिये के. संथानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया था।
- इस आयोग की स्थापना/अवधारणा एक ऐसे शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान के रूप में की गई है, जो किसी भी प्रकार के कार्यकारी प्राधिकारी के हस्तक्षेप से मुक्त है।
- यह आयोग केंद्र सरकार के तहत सभी कार्यों की सतर्कता निगरानी करता है तथा सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने की सलाह देता है।
- 25 अगस्त, 1998 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी कर आयोग को सांविधिक दर्ज़ा देकर इसे बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। अब इस आयोग में 1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ 2 अन्य आयुक्त भी होते हैं।
- संसद ने वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पारित किया तथा 11 सितंबर, 2013 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसने अधिनियम का रूप लिया।

